

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 248 OF 2022 (PB)

IN THE MATTER OF :

IN RE: NEWS ITEM PUBLISHED IN THE HINDU
DATED 27.03.2022 TITLED "DIGGING UP THE
CHAMBAL"

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF STATE
OF MADHYA PRADESH IN COMPLIANCE OF
ORDER DATED 03.11.2023

I N D E X

S. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Action Taken Report on behalf of State of Madhya Pradesh in compliance of Order dated 03.13.2023		04-29
2.	Affidavit		30
3.	Notification of Eco Sensitive Zone (ESZ) around the NCS MoEF&CC vide gazette notification S.O.796(E) dated 20.02.2020.	R-1	31-69
4.	Copy of Letter dated 30.10.2023 of MoEF&CC communicating minutes of the 69 th meeting dated 29 th , July ,2022 of National Board of the Wildlife	R-2	70-74
5.	Copy of the order dated 06.09.2022 of the MoEF&CC (Wildlife Division) regarding approval of de-notification of NCS area.	R-3	75-84
6.	GoMP notification no. dated 31.01.2023 regarding de-notification of sanctuary area	R-4	85-93
7.	Copy of the GoMP letter dated 08.06.2023 to MoEF&CC	R-5	94-96
8.	Copy of the MoEF&CC letter dated 28.06.2023 to GoMP	R-6	97

9.	Minutes of Joint Committee Meeting dated 31.08.2023 chaired by MoEF&CC	R-7	98-102
10.	Copy of Letter dated 30.10.2023 of GoMP to MoEF&CC seeking amendment in ESZ boundary	R-8	103-112
11.	Minutes of the inter-departmental meeting dated 08-01-24 Chaired by Chief Secretary	R-9	113-133
12.	Photographs & Maps related to NCS Fauna sites	R-10 A	134-138
13.	Tabular Presentation of Action Taken by Police Administration	R-10 B	139-140
14.	Tabular presentation of actions taken by District Administrations of Districts of Morena, Sheopur & Bhind till 31.12.2023	R-10 C	141-143
15.	Tabular presentation of Action taken by the District Administration of Morena between 01.01.2024 & 14.01.2024	R-10 D	144
16.	The Minutes of the inter-state and intra-state meetings	R-11 (Colly.)	145-189

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 248 OF 2022 (PB)

IN THE MATTER OF :

IN RE: NEWS ITEM PUBLISHED IN THE HINDU
DATED 27.03.2022 TITLED "DIGGING UP THE
CHAMBAL"

ACTION TAKEN REPORT & REPLY ON BEHALF OF STATE OF
MADHYA PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED
03.11.2023

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HERE-IN-UNDER :-

1. That in the present matter, this Hon'ble Tribunal took cognizance of the News Article dated 27.03.2022; Titled : "*Digging up the Chambal*" published in the Hindu. That the Hon'ble Tribunal directed vide order dated 03-11-23 place on record the stage of the finalisation of the "Comprehensive Conservation and Protection Plan for the National Chambal Sanctuary" and to place on record and explain as to how for the purpose of sand mining, the NCS area can be de-notified. It was also directed that

action be taken in pursuance of the earlier orders of Tribunal to prevent illegal mining of sand in the area concerned, its storage and transportation and to file a fresh action taken report. After 8 weeks. That for the convenience of this Hon'ble Tribunal the relevant extract from Order uploaded on dated 03.11.2023 is reproduced here-in-below :

“ Para 9. So far as the State of MP is concerned, the report mentions about a detailed plan on “Comprehensive Conservation and Protection Plan for National Chambal Sanctuary”. Learned Counsel for the State of MP has prayed for time to point out stage of finalization of the said proposed plan.”

“Para 11 Learned Counsel for the State of MP is directed to place on record and explain as to how for the purpose of sand mining, the NCS area can be de-notified.”

“Para 12 In view of the observations made above and having regard to the facts that continuous monitoring and stringent measures are required to prevent the illegal mining of sand in the area concerned, its storage and transportation, we direct the concerned State Authorities to take further action in pursuant to the earlier directions of the Tribunal and file fresh action taken reports after 8 weeks.....”

2. That in compliance of Paragraph 9 of the Hon'ble NGT order, the "Comprehensive Conservation and Protection Plan for National Chambal Sanctuary" prepared by the Forest Department, was already placed as Annexure R-4 of the earlier Action Taken Report. It is submitted that the "Comprehensive Conservation & Protection Plan for National Chambal Sanctuary" has been prepared and approved by competent authority for 2023-24 to 2027-28. Said plan is already being implemented by Forest & other concerned departments and a Five Year Action Plan for Rs 19.80 Cr has been sanctioned. For the year 2023-24 Rs 3.59 Cr has been sanctioned till Date. To ensure scientific management of the National Chambal Sanctuary (NCS) and to promote research and information exchange, 05 studies- 02 on Gharial, 02 on Indian skimmer and 01 on Dolphin, mugger & Gharial combined are undergoing in NCS by various research institutions, 01 study on plant resource mapping on Chambal ravines and 01 on maintenance of aquatic ecosystem services under Namami Gange Project by

Scientist of Wildlife Institute of India, Dehradun & other institutions are under progress.

3. It is further submitted that under IES activities and for Public Participation & Promote Alternate Livelihood, a Basic Nature Interpretation Centre at Deori Dist. Morena is functional. Towards, awareness and education **Anubhuti**, campaign is organised for school children in all 3 Districts of the NCS every year during winters. The details of which are as under:

District Name	No. of Camps	No. of Students
Morena	14	1680
Sheopur	16	1920
Bhind	04	480

4. Ecotourism activities are being organized at Deori interpretation center and boat rides in Chambal River are available for tourists. Alternate livelihood programs are being planned for persons dependent on Chambal River for their livelihood.

5. It is submitted that the population of aquatic fauna in the Chambal is on increase which can be seen from the following Tables:

Information about Survey of Aquatic Fauna of National Chambal Sanctuary

Year	Gharial	Dolphin	Muggar	Indian Skimmer
2018	1681	74	613	-
2019	1876	-	706	329
2020	1859	68	710	512
2021	2176	82	886	577
2022	2014	72	868	517
2023	2108	96	878	740

Information about collection of Turtle Eggs

S.No.	Year	No. of Eggs
1	2018	5860
2	2019	4934
3	2020	7621
4	2021	7496
5	2022	7410
6	2023	7612

Information of Gharial Eggs Collection and hatching

Year	No. of eggs collected	No. of eggs hatched	No. of Gharials released in River	Release batch year
2018	200	192	145	2013-2016
2019	200	184	396	2014-2017
2020	200	188	116	2018
2021	200	190	90	2018-2019
2022	200	189	94	2019-2020
2023	200	192	153	2019-2020-2021

**Currently 252 Gharials of Batch year 2020-23 are available in Deori Conservation, Rearing Centre*

6. It is further submitted that the Financial Estimates of the Comprehensive Conservation & Protection Plan (2023-24 to 2027-28) are as under:-

S.No.	Component	Budget for five years (2023-28) in Lakh of Rs.	Budget Required for first year (Rs. In Lakhs)	Sanctioned till date (Rs.in Lakhs)
1.	New Infrastructure	362	245	48.3
2.	Procurement & Maintenance of Equipment (Including Drones, High Speed Boats & Vehicles) for Turtle and Gharial rearing facilities	487.65	178.5	124.45
3.	Research and Monitoring	419.06	70.53	74.75
4.	Awareness, Conservation, Education and Public Participation	111.52	30.17	9.34

5.	Protection Major	540.79	88.58	99
6.	Miscellaneous Activities and Court Cases and other Expend.	26.64	8.54	3.54
	TOTAL:	1947.66	621.32	359.38

It is submitted that out of the budgeted outlay of Rs. 19.48 Cr, Rs 1.24 Cr has already been spent and the implementation of the Comprehensive Conservation & Protection Plan for NCS is underway.

7. That in compliance of **Paragraph 11** of the Hon'ble NGT order, it is respectfully submitted that the Eco Sensitive Zone (ESZ) around the National Chambal Sanctuary was notified by the MoEF&CC vide gazette notification S.O.796(E) dated 20.02.2020. A copy of the notification is placed and attached herewith as **Annexure R-1**.
8. It is further submitted that to facilitate the mining of sand from the Chambal River in a legal & law full manner and with a view to cope up with market requirement of sand, a proposal was sent for consideration of the National Board for Wildlife to de-notify an area of 292.39 hectares of **revenue land** from the sanctuary area. The proposal was considered by the

standing committee of the National Board for Wildlife in its 69th meeting dated 29th, July 2022 under the Chairmanship of Hon'ble Minister for Environment, Forest & Climate Change. Letter dated 30.08.2022 of MoEF&CC, communicating the minutes of the 69th meeting dated 29th, July ,2022 are marked and attached herewith as **Annexure R-2**. Accordingly conditional approval was accorded to de-notify 207.05 hectares of **revenue land** on 06th September, 2022. A copy of the said order dated 06.09.2022 of the MoEF&CC (Wildlife Division) is placed and attached herewith as **Annexure R-3**.

9. Pursuant to the approval from the National Board of Wildlife (NBW), partial **revenue area** of the sanctuary was excluded from the sanctuary area with conditions as imposed by the NBW. The notification no. For/2/0004/22-sec-2-10 dated 31.01.2023 of the Government of MP regarding de-notification of sanctuary area is placed and attached herewith as **Annexure R-4**.
10. However, in light of the ESZ notification of NCS dated 20.02.2020, where-in the ESZ width has been kept 2 km

around sanctuary boundary, the mining of sand from the de-notified area has still not taken effect.

11. It is submitted that in the said notification dated 20.02.2020 (Ann. R-1) of the Eco Sensitive Zone, the width of ESZ around the sanctuary area was notified as 2 km, and it has been provided that no commercial mining can be conducted in that area. Hence a request was sent by the GoMP to MoEF&CC on 08.06.23 that mining of sand in the de-notified area will not be possible due to this restriction, hence restriction on sand mining in the 2 km of ESZ be waived so that the demand of sand for the local population be met and desired support of the local population towards the conservation of the NCS can be obtained. A copy of the said letter dated 08.06.2023 is marked and attached herewith as **Annexure R-5.**

12. It is submitted that a reply was sent by MoEF&CC vide its letter dated 28.06.23 that that the ESZ around National Chambal WLS was declared on 20.02.2020, wherein uniform 2 km extent was notified as ESZ. The Hon'ble Supreme Court of India in its recent judgment

dated 26.04.2023 in the matter of IA No.1000 of 2003 in WP(C) No.202 of 1995: TN Godavarman vs. Union OF India & Ors has directed that the mining is to be carried outside 1 km of Protected Area the relevant extract is reproduced below:

"65. We also modify the direction contained in paragraph 56.4 of the order dated 3rd June, 2022 (supra) and direct that mining within the National Park and Wildlife Sanctuary and within an area of one kilometre from the boundary of such National Park and Wildlife Sanctuary shall not be permissible."

It was advised by MoEF&CC that considering the above facts, it would not be appropriate to give the relaxation in the matter. However, it is suggested that the State Govt. may submit a revised proposal for declaring ESZ around National Chambal Wildlife Sanctuary, reducing the de-notified area for consideration. A copy of the reply dated 28.06.2023 received from MoEF&CC is marked and placed herewith as **Annexure R-6**.

13. It is pertinent to mention that, the Secretary, Ministry of Environment Forest and Climate Change (hereinafter referred as "**MoEF&CC**") conducted a joint committee

meeting dated 31.08.2023, with various departments of the States of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan to ensure the compliance of the directions of this Hon'ble Tribunal. That as a result of the aforementioned joint committee meeting the following steps were recommended to the State of Madhya Pradesh:

8. ADGF (WL) mentioned that after obtaining the recommendations for the de-notification of 292.39 hectares of revenue land within the National Chambal Wildlife Sanctuary in Morena, Madhya Pradesh, it is incumbent upon the State Government to proceed with the process of amendment in the notification of the ESZ around the National Chambal Sanctuary, Madhya Pradesh.

9. It was discussed that the State of Madhya Pradesh should expedite the establishment of ESZ boundaries without delay. This is imperative to facilitate the lawful allocation of mining activities within the region. Furthermore, all Collectors and District Magistrates must immediately take stringent measures to combat and eliminate any instances of illegal sand mining in the area.”

That a copy of the Minutes of Joint Committee Meeting dated 31.08.2023 is marked and annexed herewith as **Annexure R-7.**

14. Thereafter, the Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, issued letter dated 30.10.2023 to MoEF&CC, seeking an amendment in Eco Sensitive Zone Notification dated 20.02.2020 of the National Chambal Sanctuary. That a copy of Letter dated 30.10.2023 of Department of Environment, Government of Madhya Pradesh to MoEF&CC is marked and annexed herewith as **Annexure R-8**. It is submitted that approval / reply from MoEF&CC is awaited.
15. It is submitted that even if MoEF&CC accords its sanction to modify the boundaries of the ESZ of NCS, mining of sand in the de-notified area may not be possible in light of the order of Hon'ble Supreme Court dated 26.04.23 in WP(C) No.202 of 1995: TN Godavarman vs. Union OF India & Ors. It is submitted that the answering respondent GoMP, has kept the option open to approach the Hon'ble Apex Court for modification of its orders and granting relaxation of the direction which prohibits mining in an area within 1 km of boundary of the National Park and Wildlife Sanctuary. It is submitted that, no mining leases have been so far

sanctioned in the de-notified revenue area nor any mining of the sand has been permitted in the de-notified area.

16. It is further pertinent to note here that in compliance of Paragraph 12 of the order dated 03.11.2023 of this Hon'ble Tribunal pertaining to action taken in pursuance of the earlier orders of Hon'ble Tribunal and file fresh ATR the Chief Secretary of the State of Madhya Pradesh reviewed the Action Taken by various departments on 08.01.2024. Various State level officers and district level officers were present in the review meeting: (i) Additional Chief Secretary, Home Department; (ii) PCCF (HoFF) Forest Department,; (iii) PCCF (WL); (iv) PS Mining; (v) PS Environment, (vi) PS Revenue, GoMP; (vii) AIG (Law); (viii) MD, MP Mining Corporation Ltd; (ix) Member Secretary, MP Pollution Control Board; (x) Deputy Secretary, Environment Department; (xi) Commissioner, Chambal Division; (xii) IG Chambal Division; (xiii) DMs, SPs & DFOs of Morena, Bhind & Sheopur districts. Chief Secretary of the State of Madhya Pradesh took personal cognizance, to ensure compliance of the orders of this

Hon'ble Tribunal. The respective departments / officers have presented their respective progress in the meeting before the Chief Secretary. Chief Secretary asked the DG Police to explore the possibility of deployment of of an additional company of SAF in Morena. The Collectors & SPs of Morena, Sheopur & Bhind were instructed to ramp up the action against illegal mining in the coming week and Divisional Commissioner Chambal was instructed to review the progress on daily basis and to continue the action on an ongoing basis. The mining department was instructed to ensure allotment of tenders for legal sand mining in Sindh River in Bhind. It was also instructed that immediate steps be taken including approaching Hon'ble Supreme Court to ensure that leagal mining is permitted at the earliest. Copy of the minutes of the meeting dated 08-01-24 is marked and annexed herewith as **Annexure R-9**.

17. That in the review meeting, the **Department of Forest**, Government of Madhya Pradesh presented the progress of its detailed plan on "Comprehensive Conservation and Protection Plan for National Chambal Sanctuary" and

that the present Progress of works under the Plan are as follows :

Sr	Strategy	Action Point	Progress Till Date
1	Protection and Recovery of Species and their Habitat	1.1 Implementation of Court Order	Court Order being implemented 106 cases are of illegal sand transportation, 100 vehicles are seized, 54 vehicles are confiscated.
		1.2 Strengthen Intelligence Network	Being strengthened through Forest Committees and awareness campaigns amongst school students, intelligence network developed
		1.3 Strengthen inter-agency coordination	- After the NGT order dated : 06.02.2023, 10 District Level Task Force Meetings, 09 Divisional level

			<p>Task Force Meetings & 09 Inter State Border Meetings have been organized to strengthen inter-agency coordination.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinated raids are being conducted by Forest, Police and Mining Dept.
		<p>1.4 Minimize mortality of eggs and hatchlings by effective patrolling in the nesting areas & better beach management</p>	<ul style="list-style-type: none"> - At 44 nesting sites constant monitoring and patrolling is being done. - 04 temporary hatcheries are established every year, during the nesting season. - Patrolling by Motor Boat & On foot patrolling by SAF & Forest Staff. - Some vulnerable nests are fenced with Chainlink.

			<p>-Gharial nests are protected against depra-dation by covering it by the metal net.</p> <p>- Drones are being used for surveillance of sensitive areas.</p>
	Protection and Recovery of Species and their Habitat	1.5 Identify species specific Critical Habitats (CH) and ensure their protection	<p>1. No. of CH identified –</p> <p>Muggar – 45 sites</p> <p>Gharial - 36 sites</p> <p>Dolphin- 30 sites (70 Km Approx)</p> <p>Indian skimmer – 52 sites</p> <p>2. Protection being ensured by regular surveillance of nesting sites & Critical Habitat.</p>
		1.6 Monitor key indicators like water quality and water flow	Monitoring of water quality is being done regularly by Wildlife Institute of India, Dehradun.

		1.7 Strengthen Deori Gharial rearing centre and Barhi Turtle rearing centre	Rs. 33.90 Lacs allotted for 2023-24
2	Adequate human Resources & Financial Support	2.1 Filling up of vacancies for effective patrolling	Recruitment of frontline staff is in process.
		2.2 Capacity building of the field staff	-Staff are being Sensitized through Regular Meetings at Division, District & Range level. - Field staff is being trained by the Wildlife Institute of India, Dehradun Scientists to develop scientific acumen. - Study tours to areas with best practices have been conducted.
		2.3 Ensure adequate financial resources	- A Five Yrs Action Plan for Rs 19.80 Crores Sanctioned, - for 2023-24

			Rs 3.16 Crores Sanctioned till Date.
3.	Ensure scientific management of the National Chambal Sanctuary	3.1 Promote research & information exchange	--- 05 studies are under going- -- 02 on gharial, 02 on Indian skimmer and 01 on Dolphin, mugger & Gharial combined are under going in NCS by various research institutions, 01 on plant resource mapping on Chambal ravines and 01 on maintenance of aquatic ecosystem services under Namami Gange Project by Scientist of Wildlife Institute of India, Dehradun & other institutions are under progress.
		3.2 Ensure baseline survey and regular monitoring through standardized protocols	Every year surveys of nesting sites, hatchlings and estimation of major species are done.

4.	IEC activities for Public Participation & Promote Alternate Livelihood	<p>4.1 Set up a Biodiversity interpretation Centre & Kiosks at appropriate places.</p> <p>4.2 Organize education and awareness programmes for the public, especially students etc.</p> <p>4.3 Promote ecotourism and ensure income from tourism for the locals.</p>	<p>4.1 Basic Nature Interpretation Centre at Deori Distt. Morena is functional.</p> <p>4.2 Anubhuti, an awareness and education campaign is organised for school children in all 3 Districts of the NCS every year during winters.:</p> <p><u>Morena:</u> 14 camps, 1680 no. of students</p> <p><u>Sheopur:</u> 16 camps, 1920 no. of students</p> <p><u>Bhind:</u> 04 camps 480 no.of students</p> <p>4.3 Ecotourism activities are organised at Deori interpretation centre and boat rides in Chambal river are available for tourists.</p>
----	--	---	---

		4.4 Promote alternate livelihood opportunities and capacity building of local youth.	4.4 Alternate livelihood programmes are being planned for persons dependent on Chambal river for their livelihood.
5.	Work towards International Recognition of NCS	Submit proposals for designation of NCS as UNESCO World Heritage Site & as RAMSAR Site.	Proposal for declaring NCS a Ramsar site has been approved by State Wetland authority.

Furthermore, detailed tabular presentations of the progress of implementation and financial estimates, collection and hatching of eggs and survey of the aquatic fauna for the National Chambal Sanctuary are already mentioned in the foregoing paragraphs by the answering respondent. The relevant photographs of the site and maps are marked and placed herewith as **Annexure R-10 A.**

18. That the **Police administration** of the three districts of Morena, Sheopur and Bhind has taken adequate steps for the deployment of forces for the prevention of illegal

mining, transportation and storage of sand from the NCS area. New check posts have been installed, CCTV surveillance is being done, and wireless equipment's have been provided for regular vigil. Preventive actions have been taken and arrests have been made of culprits. The comparative chart of the action taken by the police department as on 20.07.23 and 31.10.23 is marked and attached herewith as **Annexure R-10 B.**

19. That the **District Administrations** of, Districts of Morena, Sheopur & Bhind comprising of respective Revenue Commissioner, Inspector General of Police, District Magistrates, Superintendent of Police, District Forest Officers have taken action for the prevention of illegal mining, transportation and storage of sand from the NCS area. A detailed tabular presentation of actions taken by District Administrations of Districts of Morena, Sheopur & Bhind up to 31.12.23 is marked and annexed herewith as **Annexure R-10 C.**

20. The fresh action initiated by the district administration of Morena between 01.01.24 up to 14.01.24 is also placed marked herewith as **Annexure R-10 D.**

21. Also the Districts Administrations of the aforementioned states has engaged and coordinated with the administration of the neighboring districts within the States of Uttar Pradesh and Rajasthan for the inter-state monitoring of the illegal mining, transportation and storage of Chambal sand. Various meetings have been conducted between the departments of the districts of the neighbouring states. That to further, refrain illegal mining, transportation and storage of Chambal River sand various meeting of district level task force as well as meeting of State level officers with the district officers have been conducted from time to time so as to ensure compliance of the orders of this Hon'ble Tribunal. The minutes of various the inter-state & intra-state meetings which could not be filed earlier, are marked and placed herewith district wise as **Annexure R-11 (colly)**.
22. It is further pertinent to note here that The State Mining Department has under taken the task of ensuring the availability of sand in the area. The Mining Department

in order to ensure sand mining in the area has prepared District Survey Reports for an area of 133.629 hectares, which are approved by Madhya Pradesh State Environment Impact Assessment Committee on 27.03.23. That, as soon as the boundaries of the ESZ are amended by MoEF&CC and sand mining is permitted by competent authority, mines can be allotted and legal sand mining can be commenced which will also improve the legal availability of sand in the districts of Morena Sheopur and Bhind. Storage licenses have been sanctioned to contractors and a total storage of sand available in district Morena – 3.70 Lakh Cum.

23. It is pertinent to note here that the Mining, Police and Forest departments have established 32 check posts for the control of illegal mining, which was earlier only 7. Similarly surveillance by 2 drone cameras is being done by the Forest department. The district wise details of the check posts are as under :


District	Check Posts Earlier	Check Posts at Present
Morena	04	22
Sheopur	02	07
Bhind	01	03
TOTAL	07	32

24. The State of MP has prepared a project of installation of 100 electronic check posts in the entire state with AI (Artificial Intelligence) enabled cameras, number plate/ RFID/ QR reader. Total cost of the project is 84 Crore. The Project has been sanctioned by GoMP & tendering process for 40 check posts with a cost of Rs 38 Cr. is in progress in the first phase. This project will be implemented first in National Chambal Sanctuary with 5 such electronic check posts. These will be made operational by end of April 2024.

- i. Alabeli Police Chowki (Morena),
- ii. BanmoreTiraha Bypass (Morena),
- iii. Bandha Churaha (Morena),
- iv. Samarsa Check post (Sheopur),
- v. Barhi Toll Plaza (Bhind).

25. It is stated that Government of MP has been implementing the orders of the Hon. NGT in its full earnest for the control of illegal sand mining from the National Chambal Sanctuary. All measures are being taken including arrests, penalty, seizure, cancelling of arms license etc. However due to the scarcity of any alternate sand source in the area, miscreants undertake illegal mining activities, which are being suppressed by the administration adopting all legal means and force in its hands. Government of MP is also trying its level best to open up legally valid sand mines and approaching MoEF&CC for the same.

26. That an affidavit in support of the Action Taken Report is filed herewith.



(Anoop Mishra)
Joint Director
Directorate Geology &
Mining, & OIC in the matter



(Hemant Kumar Sharma)
Director (Environment), MP
Pollution control Board, Bhopal
& OIC in the matter

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 248 OF 2022 (PB)

IN THE MATTER OF :

IN RE: NEWS ITEM PUBLISHED IN THE HINDU
DATED 27.03.2022 TITLED: "DIGGING UP THE
CHAMBAL"

AFFIDAVIT

I, Hemant Kumar Sharma, S/o Shri M.H. Sharma, Officer-in-Charge, office at MP Pollution Control Board, Bhopal do hereby solemnly affirm on oath as under:

1. That I am Officer in Charge for State of Madhya Pradesh in the present matter, and am fully conversant with the facts of the case and hence competent to swear on this affidavit.
2. That I am filing an Action Taken Report in the aforementioned matter before the Hon'ble Tribunal the contents of which are true and correct to the best of my knowledge and no material fact has been concealed.
3. That the contents of the Action Taken Report are true and correct and no material fact is concealed or suppressed.

Hemant Kumar Sharma

Sharma
DEPONENT

श्री.....
श्री.....
आज दिनांक.....
को मेरे समक्ष शपथ ग्रहण कराया गया है।
श्री.....
ने शपथ ग्रहण किया है।

VERIFICATION

I the above named deponent do hereby verify that the contents of the affidavit above are true and correct.
Signed and verified on this 18th Day of January 2024 at Bhopal

(MP) *(Signature)*

Sharma
DEPONENT

IDENTIFY BY ME

(Signature)



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022020-216384
CG-DL-E-25022020-216384

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 727]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 2020/फाल्गुन 2, 1941

No. 727]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2020/PHALGUNA 2, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2020

का.आ. 796(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1944(अ), तारीख 11 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 11 जून, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य भारत की एक स्वच्छतम नदी में स्थित है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश के श्योरपुर, मुरैना और भिंड जिलों के अन्तर्गत 435 किलोमीटर लम्बी और क्षेत्रफल 435 वर्ग किलोमीटर है;

और, यह घड़ियाल की अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियों की 75 प्रतिशत प्राकृतिक रूप से रहने वाली जनसंख्या का वास है। अभयारण्य में राष्ट्रीय जलीय पशु ताजा जल गंगेटिक डॉल्फिन, ताजा जल कछुआ की नौ प्रजातियां और प्रवासी पक्षियों की 180 से अधिक प्रजातियों का वास है;

और, अभयारण्य में वनस्पति और जीवजंतुओं की विविधता है जिसमें पक्षी, तितली, सरीसृप, मछली, उभयचर आदि सम्मिलित हैं। अभयारण्य में विद्यमान वनस्पति के उदाहरणों में *अकैशिया निलोटीका*, *ए. लेयकोफोलोइया*, *ए* 1047 GI/2020

कटेचु, प्रसोपिस जुल्लफ्लोरा, पी. स्पीकिगेरा, अलबिजिया लेब्वेक, गरेविया ओपटीवा, अनगेइस्सूस पेंडुला, डालबेरगिया सिस्सौ, जिजिफिस मॉरिटियना, जेड. डरूइटीकोसा, सालवाडोरा परसिका, कैपेरिस डेसिडुअस, सी. सेपिआरिआ, क्लोटरोपिस गिगटेअन, करीस्सा ओपका और टमारिक्स डिओका आदि शामिल हैं। अभयारण्य के जलीय पौधों में हाइड्रिला वर्टिकिलाटा, वल्लिसारिया स्पिरालिस, पोटामोगेटोन, इम्पेराटा, टायफा, निटेल्ला, चारा और जामिंचेलिया स्पा शामिल है;

और, अभयारण्य के जीवजंतुओं में लकड़बग्घा, सियार, काराक्काल, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांभर, नेवला, मॉनिटर छिपकली आदि शामिल हैं। अभयारण्य में विद्यमान जलीय जीवजंतुओं के उदाहरणों में संकटापन्न लुप्तप्राय गेवियलिस गैंगेटीकस, क्रोकोडयलस पलुस्ट्रीस, पलाटानिस्टा गेंगेटीका, रेड-क्राउन्ड रूफड कछुआ (बाटागुर कचुगा), बाटागुर धोंगोका, हाइड्रिला थुरगी, कचुगा टेंटोरिया, नेर्रोव हेडेड, सॉफ्ट शैल कछुआ (चितरा इंडिका), भारतीय सॉफ्ट शैल कछुआ (निल्सोनिया गेंगेटीका), भारतीय फलापशैल कछुआ (लिस्सेमस पुंकाटाटा), लिस्सेमिस एडारसेनि, मयूर सॉफ्ट शैल कछुआ (निल्सोनिया हुरुम) हैं;

और, अभयारण्य में पक्षियों की विविधता में पाए जाने वाले उदाहरण भारतीय स्किम्मर, (रैन्चोपस अल्बिकोल्लिस), ब्लैक-बेल्लीड (टर्नस्टर्न एक्वूटिकाडा), सारस क्रेन (गरूस अंटीगोना), लेसर हिसलिंग डक (डेंड्रोक्रयगना जवानिका), बार-हेडेड बत्तख (अंसेर इंडिकस), ग्रेयलंग बत्तख (अंसेर अंसेर), रूड्डी शेलडक (टडोर्न फेरूगिनिया), सामान्य पोचार्ड (अयथ्या फेरिना), रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड (नेट्टा रूफिना), फेरूगिनोउस कबूत (अयथ्या नयरोका), उत्तरी शोवेलर (स्पातुला क्लीपेटा), गडवाल्ल (मेरेका स्टेपेरा), यूरोशियन विजन (मेरेका पेनेलोप) आदि हैं;

और, राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योग या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 2 किलोमीटर, तक विस्तारित क्षेत्र को राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य से शून्य (अंतर-राज्य सीमा के कारण) से 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 870 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध I के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र उपाबंध-II में दिया गया है।

(4) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III (क) और उपाबंध-III (ख) में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-IV के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी-अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों की पुनः बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरणों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंजन करेगी और इस में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले अनुसमर्थित मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा- 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परन्तु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अंतर्गत ग्रहवास सम्मिलित है; और
- (v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी गलती को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त गलती को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त गलती को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

- (i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो किसी होटल या ,रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह कि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों

(समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल, रिजार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातो, झरने, दर्रों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबन्धी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, और पर्यावरण अधिनियम अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.**— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा

संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय-यातायात.- वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) यानीय प्रदूषण.- यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां.- (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006

क्र. सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
		और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	वृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
3.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: जब तक, कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
4.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिष्कावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिजॉर्टों का वाणिज्यिक स्थापन।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथालागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परन्तु यह और कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित

क्र. सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
		संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
14.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी अवसंरचनाएं।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
18.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
19.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	नई खाई भूमि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
21.	पुरानी खाई भूमि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
22.	खनन पट्टे का स्वीकृत और नवीकरण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	वायु, वाहन और ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	विद्युत और संचार टॉवरो का परिनिर्माण और तार-बिछाने तथा अन्य	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा। भूमिगत केवल बिछाने को

क्र. सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	बढ़ावा दिया जाएगा।
25.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।
26.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
27.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
28.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा और क्रियाकलाप की सख्त मानीटरी की जाएगी।
29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
30.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
31.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
32.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
33.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
34.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- | | | |
|------|-----------------------------|----------|
| (i) | संभागीय आयुक्त, चंबल संभाग | अध्यक्ष; |
| (ii) | प्रमुख वन संरक्षक, ग्वालियर | सदस्य; |

(iii)	जिला कलेक्टर, मुरैना/भींड/ श्योपुर जिला	सदस्य;
(iv)	आयुक्त नगर निगम मुरैना/सी एम ओ नगर पालिका भींड/ श्योपुर	सदस्य;
(v)	जिला पंचायत मुरैना/भींड/श्योपुर जिले का मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य;
(vi)	नगर और शहरी योजना विभाग का जिला अधिकारी	सदस्य;
(vii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(ix)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(x)	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(xi)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(xii)	मुरैना वन संभाग का वन्यजीव वार्डन	सदस्य- सचिव।

6. निर्देश निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ) 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमो या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में संलग्न प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।


[फा. सं. 25/79/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-1

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	राजस्थान राज्यों (चम्बल नदी के मध्य प्रवाह) की अंतःराज्य सीमा-मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश है।
पूर्व	राजस्थान की अंतःराज्य सीमा-मध्य प्रदेश के पार्वती नदी में स्थित है जहां पार्वती नदी को पार करके चम्बल दाएं मुख्य कैनल है।
दक्षिण	मध्य-प्रदेश की कृत्रिम सीमा-राजस्थान और मध्य-प्रदेश, उत्तर प्रदेश (चम्बल नदी का मध्य किनारा) की अंतःराज्य सीमा से एक किलोमीटर, पार्वती नदी और चम्बल नदी के तटों के साथ पूर्व भाग पर दक्षिण भाग (स्थायी दूरी) पर संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की सीमा) से दो किलोमीटर है, जो कि हांडी, कलमुंडा, मकडावदा, बडोदिया बिंदी, पाली, ठीकरिटिया, कुंडायुथा, धर्मपुरा, सारंगपुरा, कुवहजापुर, बांसौद, विदाखेदली, वालापुरा, बजरली, ठीकरिटिया, उतनवाडा, गुढा अतवाड, डाबसा, विट्टलपुर, चक जुवाड, बनवाडा, धीरोली, भूरेडी, खैरोदा कलां, अकोरिया, हीरापुरा, उद्दोतपुरा, पराष्टा, दौलपुर, जैतपुरा, जमुरदा, पार्वती पुरा, कचिंदा, गुरैना, हीरापुरा, डुदोखर, सुखपुरा, बरहाना, मसूदपुर, रिठोना, महुआ, अर्जुनपुरा, हिम्मतपुरा, कदोरा, रत्नपुर, सूरजपुरा, चीतावली, दूल्हगन, उदन्नपुरा, पाली, अंधापुर; जजेपुरा और भानपुर से होते हुए जाती है।
पश्चिम	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों (चम्बल नदी का केंद्र प्रवाह) की अंतः राज्य सीमा से होते हुए एक किलोमीटर जाती है, संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की सीमा) से दो किलोमीटर के सामांतर दूरी में होते हुए एक किलोमीटर जाती है।

उपाबंध - II**राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र****उपाबंध-III****सारणी क: राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य, मध्य प्रदेश के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर**

क्र.सं.	जिला	आरंभिक / अंतिम बिंदु	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1.	श्योपुर	आरंभिक बिंदु	बड़ोदिया बिंदी	उ 25°24'13.09"	पू 77°36'40.98"
2.	श्योपुर	अंतिम बिंदु	नीतनवास	उ 26°11'32.78"	पू 77°06'59.45"
3.	मुरैना	आरंभिक बिंदु	बरोथा	उ 26°13'06.11"	पू 77°07'48.59"
4.	मुरैना	अंतिम बिंदु	चापक	उ 26°44'17.35"	पू 78°32'18.03"
5.	भींड	आरंभिक बिंदु	कछपुरा	उ 26°45'30.93"	पू 78°32'32.15"
6.	भींड	अंतिम बिंदु	बिंदवा	उ 26°36'07.59"	पू 79°00'14.01"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं	जिला	आरंभिक/ अंतिम बिंदु	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1.	श्योपुर	आरंभिक बिंदु	हन्दी	उ 25°23'55.32"	पू 76°37'16.22"
2.	श्योपुर	अंतिम बिंदु	पार्वतीपुरा	उ 26°05'38.15"	पू 77°00'04.60"

3.	मुरैना	आरंभिक बिंदु	कछीन्दा	उ 26°11'58.53"	पू 77°10'18.08"
4.	मुरैना	अंतिम बिंदु	महुआ	उ 26°48'29.15"	पू 78°22'27.91"
5.	भींड	आरंभिक बिंदु	अर्जुनपुरा	उ 26°44'19.71"	पू 78°33'07.55"
6.	भींड	अंतिम बिंदु	भोन्पुरा	उ 26°36'21.78"	पू 78°56'38.62"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

जिला	क्र.सं	500 मीटर परिधि पर स्थित ग्राम का नाम	अक्षांश / देशांतर
श्यापुर	1	बड़ोदिया बिंदी	उ 25° 24' 13.09" , पू 77° 36' 40.98"
	2	राधापुरा	उ 25° 25' 15.82" , पू 76° 36' 38.74"
	3	बरखेरा	उ 25° 26' 03.19" , पू 76° 35' 31.37"
	4	अदोतपुरा	उ 25° 26' 30.84" , पू 76° 35' 13.73"
	5	बड़ोदिया	उ 25° 27' 51.61" , पू 76° 33' 59.58"
	6	कालखेडली	उ 25° 28' 54.31" , पू 76° 33' 59.58"
	7	बेहदाबद	उ 25° 29' 18.74" , पू 76° 33' 40.74"
	8	पहाडली	उ 25° 30' 16.12" , पू 76° 33' 00.71"
	9	पनवाडा	उ 25° 31' 24.09" , पू 76° 32' 17.16"
	10	राजौरा	उ 25° 32' 45.88" , पू 76° 31' 47.73"
	11	गुरनावादा उत्तनबाड	उ 25° 36' 16.11" , पू 76° 31' 10.08"
	12	शांकली	उ 25° 36' 53.27" , पू 76° 30' 57.14"
	13	पटपडा	उ 25° 37' 28.30" , पू 76° 31' 03.02"
	14	आमलदा	उ 25° 38' 29.85" , पू 76° 30' 44.19"
	15	निमोदापैर	उ 25° 39' 57.93" , पू 76° 30' 53.60"
	16	गावडी	उ 25° 40' 45.67" , पू 76° 30' 21.83"
	17	पानडी	उ 25° 40' 23.39" , पू 76° 31' 58.34"
	18	जलालपुरा	उ 25° 41' 33.41" , पू 76° 28' 57.06"
	19	अडवाड	उ 25° 41' 57.80" , पू 76° 31' 46.58"
	20	सूडी	उ 25° 43' 15.22" , पू 76° 31' 08.90"

21	चैताखेदी	उ 25° 42' 47.65", पू 76° 33' 00.73"
22	माखानाखेडी	उ 25° 43' 51.28", पू 76° 31' 44.22"
23	चक जुवाड	उ 25° 44' 35.82", पू 76° 31' 59.52"
24	मलारना	उ 25° 45' 55.34", पू 76° 31' 27.74"
25	दाल्खा	उ 25° 46' 21.84", पू 76° 31' 24.21"
26	बेहतेड	उ 25° 47' 25.44", पू 76° 31' 28.92"
27	इछानाखेडी	उ 25° 47' 31.79", पू 76° 31' 44.22 "
28	अडूसा	उ 25° 48' 17.36", पू 76° 32' 56.04"
29	मुदालपाडा	उ 25° 49' 20.87", पू 76° 32' 59.49"
30	लहचोडा	उ 25° 50' 05.43", पू 76° 34' 18.43"
31	दांदरदा कलां	उ 25° 50' 16.04", पू 76° 34' 50.20"
32	सामरसा	उ 25° 50' 19.14", पू 76° 37' 11.40"
33	ऊंचाखेडा	उ 25° 50' 46.76", पू 76° 37' 09.10"
34	बिचपुरी	उ 25° 51' 09.01", पू 76° 38' 19.72"
35	आवनी	उ 25° 51' 54.36", पू 76° 37' 43.49"
36	जवासा	उ 25° 52' 22.02", पू 76° 40' 02.07"
37	टोंगनी	उ 25° 53' 24.38", पू 76° 39' 20.00"
38	सेवापुरा	उ 25° 53' 28.62", पू 76° 39' 40.03"
39	जैनी	उ 25° 52' 06.13", पू 76° 42' 13.91"
40	सिरसोद	उ 25° 53' 24.50", पू 76° 42' 38.65"
41	मानपुर	उ 25° 51' 17.40", पू 76° 42' 57.47"
42	फतहपुर	उ 25° 45' 19.21", पू 76° 34' 54.84"
43	मकरोद	उ 25° 54' 10.97", पू 76° 45' 46.11"
44	बगदीया	उ 25° 53' 44.62", पू 76° 48' 37.66"
45	बरादारी	उ 25° 54' 59.67", पू 76° 51' 05.69"
46	बिलोनी	उ 25° 57' 42.81", पू 76° 49' 20.04"
47	खीरखीरी	उ 25° 58' 09.27", पू 76° 49' 34.17"
48	दंतेडी	उ 25° 59' 37.50", पू 76° 49' 47.40"
49	सुखवास	उ 26° 00' 51.03", पू 76° 50' 53.33"

	50	खरोदाखुर्द	उ 26° 01' 18.00", पू 76° 51' 39.24"
	51	मिलावाली	उ 25° 00' 57.51", पू 76° 52' 55.44"
	52	सुढारा	उ 25° 02' 18.95", पू 76° 53' 31.95"
	53	अरोदरी	उ 25° 03' 00.19", पू 76° 54' 17.84"
	54	नीमच	उ 26° 03' 39.32", पू 76° 54' 17.84"
	55	पिपरानी	उ 26° 04' 22.68", पू 76° 54' 35.49"
	56	रिञ्जेंटा	उ 26° 05' 22.93", पू 76° 55' 28.47"
	57	बरोली	उ 26° 05' 23.99", पू 76° 56' 53.23"
	58	चैनपुर	उ 26° 06' 21.07", पू 76° 57' 55.62"
	59	जमुरदी	उ 26° 06' 49.61", पू 76° 58' 36.83"
	60	दुवावाली	उ 26° 07' 07.57", पू 76° 59' 56.87"
	61	नदीगांव	उ 26° 08' 04.64", पू 77° 00' 43.95"
	62	लिलोनी	उ 26° 10' 00.87", पू 77° 02' 42.84"
	63	जिमारछा	उ 26° 10' 15.66", पू 77° 04' 22.88"
	64	पांचौ	उ 26° 10' 42.07", पू 77° 06' 19.42"
	65	नितनवास	उ 26° 11' 32.78", पू 77° 06' 59.45"
मुरैना	66	बरोठा	उ 26° 13' 06.11", पू 77° 07' 48.59"
	67	कैमाराकलां	उ 26° 11' 13.11", पू 77° 12' 15.79"
	68	केमाराखुर्द	उ 26° 13' 29.35", पू 77° 12' 59.34"
	69	गदुला	उ 26° 13' 29.88", पू 77° 13' 25.24"
	70	बंधर	उ 26° 13' 30.40", पू 77° 14' 04.08"
	71	गोंदोली	उ 26° 13' 04.00", पू 77° 14' 57.65"
	72	अटार	उ 26° 15' 31.82", पू 77° 18' 12.45"
	73	डिगवार	उ 26° 16' 13.00", पू 77° 20' 22.52"
	74	खेडाडिगवार	उ 26° 16' 34.10", पू 77° 20' 45.47"
	75	रहू का गांव	उ 26° 19' 08.18", पू 77° 20' 21.35"
	76	गाजीखेड़ा	उ 26° 19' 37.19", पू 77° 20' 21.94"
	77	पालरी	उ 26° 20' 13.59", पू 77° 21' 11.96"
	78	बनवारा	उ 26° 20' 58.95", पू 77° 21' 19.03"
	79	नोरावली खेरोन,	उ 26° 20' 22.55", पू 77° 23' 48.52"

	80	खैरोन	उ 26° 20' 37.32", पू 77° 24' 53.25"
	81	कलारघाटी	उ 26° 22' 07.50", पू 77° 27' 35.70"
	82	झुन्डपुरा	उ 26° 21' 02.64", पू 77° 28' 32.20"
	83	कढ़ावाना	उ 26° 23' 56.12", पू 77° 28' 26.90"
	84	बरेड,	उ 26° 23' 33.45", पू 77° 30' 29.91"
	85	सिंगरोली	उ 26° 23' 45.05", पू 77° 31' 47.60"
	86	चिन्नोनी चम्बल,	उ 26° 24' 28.80", पू 77° 32' 50.58"
	87	तिंदोखर	उ 26° 24' 40.39", पू 77° 33' 55.32"
	88	बृजगढ़ी	उ 26° 25' 26.77", पू 77° 33' 43.54"
	89	मिलाउअ	उ 26° 25' 45.78", पू 77° 36' 57.56"
	90	कोटरा	उ 26° 25' 50.49", पू 77° 38' 00.10"
	91	कोलहुडांडा	उ 26° 27' 07.10", पू 77° 38' 46.45"
	92	गुर्जा	उ 26° 28' 18.10", पू 77° 39' 02.45"
	93	खिनवारा	उ 26° 28' 38.59", पू 77° 40' 11.41"
	94	उत्तमपुरा	उ 26° 27' 51.17", पू 77° 41' 34.39"
	95	ताजपुर	उ 26° 28' 51.23", पू 77° 41' 42.34"
	96	सरसौनी	उ 26° 29' 04.18", पू 77° 45' 10.32"
	97	बिंदवा देवगढ़,	उ 26° 29' 43.68", पू 77° 46' 20.36"
	98	नन्दपुरा	उ 26° 29' 19.97", पू 77° 48' 21.02"
	99	गुढा चम्बल,	उ 26° 31' 57.97", पू 77° 48' 02.18"
	100	खांडोली	उ 26° 34' 06.67", पू 77° 51' 07.76"
	101	कैथरी	उ 26° 36' 17.73", पू 77° 53' 13.72"
	102	बिंदवा चम्बल	उ 26° 37' 14.92", पू 77° 54' 55.61"
	103	जैतपुर चम्बल	उ 26° 37' 24.56", पू 77° 54' 14.92"
	104	भानपुर	उ 26° 39' 02.10", पू 77° 54' 57.89"
	105	पिपराई	उ 26° 37' 55.96", पू 77° 57' 08.62"
	106	नायकपुरा	उ 26° 39' 08.56", पू 77° 58' 27.49"
	107	गडोरा	उ 26° 39' 32.23", पू 77° 58' 48.09"

	108	गोरखा	उ 26° 40' 01.68", पू 77° 59' 57.54"
	109	रिठौरा खुर्द	उ 26° 40' 19.04", पू 78° 01' 34.65"
	110	जखोना	उ 26° 39' 05.91", पू 78° 04' 53.09"
	111	असाह	उ 26° 40' 03.98", पू 78° 07' 38.99"
	112	कुथियाना	उ 26° 41' 16.55", पू 78° 06' 25.42"
	113	बैलपुर	उ 26° 42' 18.59", पू 78° 06' 36.01"
	114	किसरोली	उ 26° 44' 32.12", पू 78° 07' 58.41"
	115	अरोली	उ 26° 45' 41.49", पू 78° 07' 40.76"
	116	गोसबसई	उ 26° 45' 55.16", पू 78° 08' 50.21"
	117	मलबसाई	उ 26° 46' 18.29", पू 78° 09' 29.06"
	118	गुंज	उ 26° 45' 57.26", पू 78° 10' 31.44"
	119	तिलोल	उ 26° 45' 31.67", पू 78° 14' 23.62"
	120	बरवाई	उ 26° 46' 48.46", पू 78° 13' 47.73"
	121	रतनबासई	उ 26° 48' 14.93", पू 78° 13' 52.71"
	122	रूअर	उ 26° 47' 10.12", पू 78° 17' 13.25"
	123	रिठौरा	उ 26° 49' 00.13", पू 78° 16' 47.66"
	124	रछेद	उ 26° 48' 55.71", पू 78° 17' 23.25"
	125	लुधावली	उ 26° 49' 34.05", पू 78° 16' 59.12"
	126	उसेघ	उ 26° 50' 49.54", पू 78° 21' 06.28"
	127	बिंडवा	उ 26° 48' 47.70", पू 78° 23' 09.88"
	128	रायपुर	उ 26° 48' 10.14", पू 78° 25' 11.33"
	129	कुदौना	उ 26° 47' 22.33", पू 78° 26' 56.68"
	130	कुरेठा	उ 26° 47' 06.04", पू 78° 27' 24.93"
	131	सिलावली	उ 26° 46' 46.08", पू 78° 29' 43.24"
	132	धोर्त	उ 26° 46' 25.58", पू 78° 30' 53.83"
	133	नागरा पोरसा	उ 26° 45' 55.11", पू 78° 31' 46.84"
	134	भदावाली	उ 26° 44' 57.29", पू 78° 32' 20.38"
	135	चपक	उ 26° 44' 17.35", पू 78° 32' 18.03"
	136	कछपुरा	उ 26° 45' 30.93", पू 78° 32' 32.15"
	137	कनेरा	उ 26° 44' 41.00", पू 78° 34' 33.99"

	138	खेरहर	उ 26° 44' 44.15", पू 78° 35' 41.08"
	139	नावली वृन्दावन,	उ 26° 44' 49.41", पू 78° 37' 40.56"
	140	अटेर	उ 26° 44' 32.03", पू 78° 38' 34.72"
	141	रेपुरा	उ 26° 44' 17.57", पू 78° 39' 53.59"
	142	बिडवा	उ 26° 45' 34.83", पू 78° 40' 31.25"
	143	सलिमपुर	उ 26° 45' 32.73", पू 78° 41' 11.27"
	144	खिपोना	उ 26° 45' 30.61", पू 78° 42' 00.32"
	145	डांगसरकेर	उ 26° 46' 23.18", पू 78° 40' 57.73 "
	146	मघेरा	उ 26° 47' 07.30", पू 78° 41' 56.79 "
	147	जमसारा	उ 26° 45' 15.63", पू 78° 42' 54.17"
	148	अकोन	उ 26° 46' 18.43", पू 78° 44' 35.40"
	149	नखलोली	उ 26° 45' 50.05", पू 78° 45' 28.37"
	150	कोसड	उ 26° 45' 17.47", पू 78° 46' 34.59"
	151	बिजोरा	उ 26° 44' 33.87", पू 78° 47' 40.45"
	152	चिलोंगा	उ 26° 44' 33.62", पू 78° 49' 00.20"
	153	परियापा	उ 26° 44' 11.53", पू 78° 49' 39.93"
	154	रामा	उ 26° 43' 29.49", पू 78° 51' 13.42"
	155	भगवंतपुरा	उ 26° 41' 46.96", पू 78° 48' 56.67"
	156	जोरी अहीर	उ 26° 41' 13.84", पू 78° 51' 07.33"
	157	गढा	उ 26° 41' 51.69", पू 78° 51' 29.70"
	158	चौसाड	उ 26° 37' 59.00", पू 78° 50' 37.73"
	159	बडेरी	उ 26° 41' 17.51", पू 78° 52' 56.21"
	160	बडपुरा	उ 26° 41' 35.44", पू 78° 53' 55.48"
	161	रानीपुरा	उ 26° 41' 16.99", पू 78° 54' 12.14"
	162	नारीपुरा	उ 26° 42' 55.02", पू 78° 40' 16.19"
	163	बरही	उ 26° 40' 32.01", पू 78° 55' 26.25"
	164	समन्ना	उ 26° 39' 57.06", पू 78° 56' 03.97"
	165	सपाड	उ 26° 39' 32.78", पू 78° 56' 15.06"

	166	कुआवाली	उ 26° 38' 50.29", पू 78° 56' 28.50"
	167	जवई	उ 26° 38' 59.76", पू 78° 56' 35.56"
	168	सराया	उ 26° 37' 37.03", पू 78° 57' 42.20"
	169	ज्ञानपुर	उ 26° 39' 52.76", पू 78° 59' 43.42"
	170	कुरोली	उ 26° 38' 30.66", पू 78° 59' 03.40"
	171	सांकरी	उ 26° 37' 01.26", पू 78° 59' 23.41"
	172	कांचई	उ 26° 36' 51.79", पू 78° 59' 39.88"
	173	विंडवा	उ 26° 36' 07.59", पू 79° 00' 14.01"

जिला	क्र.सं.	2 किलोमीटर परिधि पर स्थित ग्राम के नाम	अक्षांश /दिशांतर
श्यापुर	1	हांडी	उ 25° 23' 55.32", पू 76° 37' 16.22"
	2	कल्मुन्दा	उ 25° 24' 21.06", पू 76° 37' 57.61"
	3	मकदाबाडा	उ 25° 23' 48.11", पू 76° 37' 58.20"
	4	बड़ोदिया गिंसी	उ 25° 25' 54.10", पू 76° 36' 20.50"
	5	पाली	उ 25° 25' 44.00", पू 76° 37' 46.42"
	6	ठीकरीया	उ 25° 26' 13.23", पू 76° 38' 05.85"
	7	कुंडायथा	उ 25° 26' 43.04", पू 76° 38' 38.33"
	8	धरमपुरा	उ 25° 27' 41.49", पू 76° 36' 27.68"
	9	सांरगपुरा	उ 25° 26' 35.00", पू 76° 35' 30.00"
	10	कुव्हाजापुर	उ 25° 26' 45.00", पू 76° 34' 20.00"
	11	बासौद	उ 25° 29' 53.22", पू 76° 35' 52.25"
	12	बीदा खेदली	उ 25° 27' 20.00", पू 76° 34' 25.00"
	13	बालापुरा	उ 25° 31' 14.27", पू 76° 34' 24.19"
	14	वाजरली	उ 25° 31' 35.09", पू 76° 33' 26.97"
	15	ठीकरिया	उ 25° 32' 37.00", पू 76° 33' 45.00"
	16	उतनवाद	उ 25° 33' 36.27", पू 76° 34' 06.31"
	17	गुढां अडवाड	उ 25° 39' 27.00", पू 76° 31' 44.98"
	18	दाबरसा	उ 25° 41' 30.00", पू 76° 30' 40.00"

	19	बिडुलपुर	उ 25° 42' 15.22", पू 76° 33' 29.23"
	20	चक जुवाड	उ 25° 44' 54.81", पू 76° 32' 34.95"
	21	बनवाडा	उ 25° 39' 57.45", पू 76° 36' 47.33"
	22	घीरोली	उ 25° 52' 28.17", पू 76° 46' 26.57"
	23	खोजीपुरा	उ 25° 56' 52.36", पू 76° 50' 46.14"
	24	भूरेडी	उ 25° 59' 30.00", पू 76° 50' 30.00"
	25	खैरोद कलां	उ 26° 00' 48.00", पू 76° 52' 00.00"
	26	अकोरीया	उ 26° 00' 34.62", पू 76° 53' 11.43"
	27	हीरापुरा	उ 26° 03' 38.87", पू 76° 56' 18.16"
	28	उद्वीतपुरा	उ 26° 04' 09.24", पू 76° 58' 01.87"
	29	पराष्ट	उ 26° 05' 13.80", पू 76° 58' 22.61"
	30	दौलपुरा	उ 26° 04' 55.86", पू 76° 59' 03.37"
	31	जैतपुरा	उ 26° 05' 33.91", पू 76° 59' 33.99"
	32	जमूर्दा	उ 26° 05' 57.17", पू 76° 58' 56.32"
	33	पारवती पुरा	उ 26° 05' 38.15", पू 77° 00' 04.60 "
मुरैना	34	काछींदा	उ 26° 11' 58.53", पू 77° 10' 18.08"
	35	गुरैना	उ 26° 20' 18.87", पू 77° 27' 20.76"
	36	हीरापुर	उ 26° 19' 46.16", पू 77° 28' 46.70"
	37	डीडोखार	उ 26° 27' 24.83", पू 77° 40' 09.43"
	38	सुखपुरा	उ 26° 27' 58.67", पू 77° 43' 50.42"
	39	बरहाना	उ 26° 30' 33.71", पू 77° 48' 33.97"
	40	मसूदपुर	उ 26° 37' 30.55", पू 77° 56' 11.46"
	41	रिठौना	उ 26° 44' 43.17", पू 78° 12' 49.95"
	42	महुअ	उ 26° 48' 29.15", पू 78° 22' 27.91"
भींड	43	अर्जुनपुरा	उ 26° 44' 19.71", पू 78° 33' 07.55"
	44	हिम्मतपुरा	उ 26° 46' 14.63", पू 78° 18' 38.78"
	45	कदोरा	उ 26° 43' 31.72", पू 78° 39' 14.61"
	46	रतनपुरा	उ 26° 44' 15.46", पू 78° 43' 02.44"
	47	सुरज पुरा	उ 26° 44' 59.61", पू 78° 45' 04.85"

	48	चितावाली	उ 26° 43' 06.07", पू 78° 45' 00.15"
	49	दुल्हागांव	उ 26° 40' 53.62", पू 78° 47' 10.56"
	50	उदांपुरा	उ 26° 40' 24.12", पू 78° 51' 00.34"
	51	पाली	उ 26° 39' 42.24", पू 78° 53' 32.64"
	52	अंधापुरा	उ 26° 39' 11.74", पू 78° 52' 09.04"
	53	जाजेपुरा	उ 26° 39' 00.16", पू 78° 55' 00.93"
	54	भोनपुरा	उ 26° 36' 21.78", पू 78° 56' 38.62"

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की मानीटरी समिति: -की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें)। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2020

S.O.796(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1944(E), dated the 11th June, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 11th June, 2019;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the National Chambal Sanctuary is located in one of the cleanest rivers of India. It lies across Sheopur, Morena and Bhind districts of Madhya Pradesh with a length of 435 kilometers and area of 435 square kilometres;

AND WHEREAS, it is home of naturally living population of 75 percent of the critically endangered species of Gharial. The sanctuary also harbours national aquatic animal –the fresh water gangetic dolphins, nine species of fresh water turtles and more the 180 species of migratory birds;

AND WHEREAS, the sanctuary has diversity of flora and fauna including birds, butterflies, reptiles, fishes, amphibians etc. Examples of flora present in the sanctuary include *Acacia nilotica*, *A. leucophloea*, *A. catechu*, *Prosopis julliflora*, *P. spicigera*, *Albizia lebbek*, *Grewia optiva*, *Angeissus pendula*, *Dalbergia sissoo*, *Zizyphus mauritiana*, *Z. druiticosa*, *Salvadora persica*, *Capparis deciduas*, *C. sepiaria*, *Calotropis gigantean*, *Carissa opaca* and *Tamarix dioca* etc. The aquatic plants of the sanctuary include *Hydrilla verticillata*, *Vallisnaria spiralis*, *Potamogeton*, *Imperata*, *Typha*, *Nitella*, *Chara* and *zaminchelia spp*;

AND WHEREAS, the fauna of the sanctuary include Hyena, Jackal, Karakkal, Cheetal, Chinkara, Neelgai, Sambhar, Mongoose, Monitor lizard etc. The examples of aquatic fauna present in the sanctuary are critically endangered *Gavialis gangeticus*, *Crocodylus palustris*, *Platanista gangetica*, red-crowned roofed turtle (*Batagur Kachuga*), *Batagur Dhongoka*, *Hydrilla thurgi*, *Kachuga tentoria*, Narrow haded soft shell turtle (*Chitra Indica*), Indian soft shell turtle (*Nilssonina gangetica*), Indian flapshell turtle (*Lissemys punctata*), *Lissemys adorseni*, Peacock soft shell turtle (*Nilssonina hurum*);

AND WHEREAS, a variety of birds have found in the sanctuary for example Indian skimmer (*Rynchops albicollis*), Black-bellied (*ternsterna acuticauda*), Sarus crane (*Grus antigona*), Lesser Whistling Duck (*Dendrocygna javanica*), Bar-headed Goose (*Anser indicus*), Greylag Goose (*Anser anser*), Ruddy Shelduck (*Tadorna ferruginea*), Common Pochard (*Aythya ferina*), Red-crested Pochard (*Netta rufina*), Ferruginous Duck (*Aythya nyroca*), Northern Shoveler (*Spatula clypeata*), Gadwall (*Mareca strepera*), Eurasian Wigeon (*Mareca Penelope*) etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of National Chambal Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of zero to 2 kilometer around the boundary of National Chambal Sanctuary in the State of Madhya Pradesh as the National Chambal Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies **from zero (due to Inter-State boundary) to two kilometer** from the National Chambal Sanctuary in the State of Madhya Pradesh. The area of the Eco-Sensitive Zone is **870 square kilometers**.

(2) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone is appended at **Annexure I**.

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure II**.

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III (A) and Annexure III (B)** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-
- (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj; and
 - (xi) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:
- Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.**— (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;
- (b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;
- (c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism; eco-education and eco-development and based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities

based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (i) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
 - (ii) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio Medical Waste Management shall be as under:-
 - (i) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (ii) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

- (13) **E-waste.**- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;
- (ii) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**- The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption;
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Establishment of Major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

Sl. No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
3.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the, non-polluting cottage industries shall be promoted.
4.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per

Sl. No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
13.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
14.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	New trenching Ground	Regulated as per the applicable laws.
21.	Old trenching Ground	Regulated as per the applicable laws.
22.	Grant and renewal of mining lease	Regulated as per the applicable laws.
23.	Air, Vehicular and noise pollution	Regulated as per the applicable laws.

Sl. No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
24.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
25.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
26.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
27.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
28.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
29.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
33.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc to be actively promoted.
38.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

- | | | |
|-------|--|-----------|
| (i) | Divisional Commissioner, Chambal Division | Chairman; |
| (ii) | Chief Conservator of Forests, Gwalior | Member; |
| (iii) | District Collector, Morena/Bhind/Sheopur district | Member; |
| (iv) | Commissionar Nagar Nigam Morena/CMO Nagar Palika Bhind/Sheopur | Member; |

(v)	CEO of Zilla Panchayat Morena/Bhind/Sheopur district	Member;
(vi)	District Officer of Town and country planning Department	Member;
(vii)	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
(viii)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(ix)	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(x)	A representative from State Public Works Department	Member;
(xi)	A representative from State Pollution Control Board	Member;
(xii)	Wildlife Warden of Morena Forest Division	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.


- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and the State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/79/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I**BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA**

North	Madhya Pradesh, Uttar Pradesh or Madhya Pradesh – inter-state boundary of Rajasthan states (middle stream of Chambal river).
East	Madhya Pradesh-The inter-state boundary of Rajasthan is situated in the Parvati River where the Chambal right main canal crosses the Parvati river.
South	Artificial Boundary Madhya Pradesh - One kilometer from the inter-state boundary of Rajasthan and Madhya Pradesh, Uttar Pradesh states (middle edge of Chambal river), two kilometers from the protected area (the boundary of the National Chambal Sanctuary) on the south side (permanent distance) on the east side along the banks of river Parvati and river Chambal, which is Passes through of Handi, Kalamunda, Makvarda, Badodia Bindi , Pali, Thikritia, Kudayutha, Dharampura, Sarangpura, Kuvhajapur, Basaud, Vidakhedli, Walapura Wajarli, Thikritia, Uatnwad, Gudda Advad, Dabrasah, Vithalpur, Chak juwada, Banwada, Dhiroli, Bhoredi, Khairoda Kalan, Akoria, Heerapura, Utpatpura, Parasata, Daulpur, Jaitpura, Jamurda, Parvati Pura, Kachinda, Gueraina, Hirapura, Dudokhar, Sukhpura, Barhana, Masudpur, Rithona, Mahua, Arjunpura, Himmatpura, Kadora, Ratanpura, Surajpura, Chitawali, Dulhgan, Udnanpura, Pali, andhapura, Jajepura and Bhanpur.
West	One kilometer away from the inter-state boundary of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh states (Central Stream of Chambal river), one kilometer away from the protected area (Boundary of National Chambal Sanctuary) to two kilometers parallel distance.

ANNEXURE-II**GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NATIONAL CHAMBAL SANCTUARY**

ANNEXURE-III**TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of National Chambal Sanctuary, Madhya Pradesh**

S.No.	District	Starting/ Ending point	Village	Latitude	Longitude
1.	Sheopur	Starting point	Badodi Bindi	N 25 ⁰ 24'13.09"	E 77 ⁰ 36'40.98"
2.	Sheopur	Ending point	Nitanwas	N 26 ⁰ 11'32.78"	E 77 ⁰ 06'59.45"
3.	Morena	Starting point	Barotha	N 26 ⁰ 13'06.11"	E 77 ⁰ 07'48.59"
4.	Morena	Ending point	Chapak	N 26 ⁰ 44'17.35"	E 78 ⁰ 32'18.03"
5.	Bhind	Starting point	Kachhpura	N 26 ⁰ 45'30.93"	E 78 ⁰ 32'32.15"
6.	Bhind	Ending point	Bindwa	N 26 ⁰ 36'07.59"	E 79 ⁰ 00'14.01"

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S.No.	District	Starting/ Ending point	Village	Latitude	Longitude
1.	Sheopur	Starting point	Handi	N 25 ⁰ 23'55.32"	E 76 ⁰ 37'16.22"
2.	Sheopur	Ending point	Parwati Pura	N 26 ⁰ 05'38.15"	E 77 ⁰ 00'04.60"
3.	Morena	Starting point	Kachhinda	N 26 ⁰ 11'58.53"	E 77 ⁰ 10'18.08"
4.	Morena	Ending point	Mahua	N 26 ⁰ 48'29.15"	E 78 ⁰ 22'27.91"
5.	Bhind	Starting point	Arjunpura	N 26 ⁰ 44'19.71"	E 78 ⁰ 33'07.55"
6.	Bhind	Ending point	Bhonpura	N 26 ⁰ 36'21.78"	E 78 ⁰ 56'38.62"

ANNEXURE-IV**LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF NATIONAL CHAMBAL SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

District	S.No.	Name of village situated on 500 meters. periphery	Latitude / longitude
Sheopur	1	Badodi Bindi	N 25 ⁰ 24' 13.09" , E 77 ⁰ 36' 40.98"
	2	Radhapura	N 25 ⁰ 25' 15.82" , E 76 ⁰ 36' 38.74"
	3	Barkhera	N 25 ⁰ 26' 03.19" , E 76 ⁰ 35' 31.37"
	4	Adotpura	N 25 ⁰ 26' 30.84" , E 76 ⁰ 35' 13.73"
	5	Badodiya	N 25 ⁰ 27' 51.61" , E 76 ⁰ 33' 59.58"
	6	Kalukhedli	N 25 ⁰ 28' 54.31" , E 76 ⁰ 33' 59.58"
	7	Behadawad	N 25 ⁰ 29' 18.74" , E 76 ⁰ 33' 40.74"
	8	Pahadli,	N 25 ⁰ 30' 16.12" , E 76 ⁰ 33' 00.71"
	9	Panwada,	N 25 ⁰ 31' 24.09" , E 76 ⁰ 32' 17.16"
	10	Rajaura	N 25 ⁰ 32' 45.88" , E 76 ⁰ 31' 47.73"
	11	Gurnawada Utanwad	N 25 ⁰ 36' 16.11" , E 76 ⁰ 31' 10.08"

	12	Sankarli	N 25° 36' 53.27", E 76° 30' 57.14"
	13	Patpada	N 25° 37' 28.30", E 76° 31' 03.02"
	14	Amalda	N 25° 38' 29.85", E 76° 30' 44.19"
	15	Nimodapeer	N 25° 39' 57.93", E 76° 30' 53.60"
	16	Gaondi	N 25° 40' 45.67", E 76° 30' 21.83"
	17	Panadi	N 25° 40' 23.39", E 76° 31' 58.34"
	18	Jalalpura	N 25° 41' 33.41" E 76° 28' 57.06"
	19	Aadwad	N 25° 41' 57.80", E 76° 31' 46.58"
	20	Soondi	N 25° 43' 15.22", E 76° 31' 08.90"
	21	Cheetakhedi	N 25° 42' 47.65", E 76° 33' 00.73"
	22	Makhanakhedi	N 25° 43' 51.28", E 76° 31' 44.22"
	23	Chak Juwad	N 25° 44' 35.82", E 76° 31' 59.52"
	24	Malarna	N 25° 45' 55.34", E 76° 31' 27.74"
	25	Dalkha	N 25° 46' 21.84", E 76° 31' 24.21"
	26	Behted	N 25° 47' 25.44", E 76° 31' 28.92"
	27	Echhanakhedi	N 25° 47' 31.79", E 76° 31' 44.22"
	28	Adoosa	N 25° 48' 17.36", E 76° 32' 56.04"
	29	Mudalpada	N 25° 49' 20.87", E 76° 32' 59.49"
	30	Lechoda	N 25° 50' 05.43", E 76° 34' 18.43"
	31	Dantardakalan	N 25° 50' 16.04", E 76° 34' 50.20"
	32	Samarsa	N 25° 50' 19.14", E 76° 37' 11.40"
	33	Unchakheda	N 25° 50' 46.76", E 76° 37' 09.10"
	34	Bichpuri	N 25° 51' 09.01", E 76° 38' 19.72"
	35	Awani	N 25° 51' 54.36", E 76° 37' 43.49"
	36	Jawasa	N 25° 52' 22.02", E 76° 40' 02.07"
	37	Tongni	N 25° 53' 24.38", E 76° 39' 20.00"
	38	Sewapura	N 25° 53' 28.62", E 76° 39' 40.03"
	39	Jaini	N 25° 52' 06.13", E 76° 42' 13.91"
	40	Sirsod	N 25° 53' 24.50", E 76° 42' 38.65"
	41	Manpur	N 25° 51' 17.40", E 76° 42' 57.47"
	42	Fatahpur	N 25° 45' 19.21", E 76° 34' 54.84"
	43	Makrod	N 25° 54' 10.97", E 76° 45' 46.11"
	44	Bagdiya	N 25° 53' 44.62", E 76° 48' 37.66"
	45	Baradari	N 25° 54' 59.67", E 76° 51' 05.69"
	46	Biloni	N 25° 57' 42.81", E 76° 49' 20.04"
	47	Khirkhiri	N 25° 58' 09.27", E 76° 49' 34.17"

	48	Danteti	N 25° 59' 37.50", E 76° 49' 47.40"
	49	Sukhwas	N 26° 00' 51.03", E 76° 50' 53.33"
	50	KherodaKhurd	N 26° 01' 18.00", E 76° 51' 39.24"
	51	Milawali	N 25° 00' 57.51", E 76° 52' 55.44"
	52	Sudhara	N 25° 02' 18.95", E 76° 53' 31.95"
	53	Arrodari	N 25° 03' 00.19", E 76° 54' 17.84"
	54	Nimach	N 26° 03' 39.32", E 76° 54' 17.84"
	55	Piprani	N 26° 04' 22.68", E 76° 54' 35.49"
	56	Rijhenta	N 26° 05' 22.93", E 76° 55' 28.47"
	57	Baroli	N 26° 05' 23.99", E 76° 56' 53.23"
	58	Chainpur	N 26° 06' 21.07", E 76° 57' 55.62"
	59	Jamurdi	N 26° 06' 49.61", E 76° 58' 36.83"
	60	Dubawali	N 26° 07' 07.57", E 76° 59' 56.87"
	61	Nadigaon	N 26° 08' 04.64", E 77° 00' 43.95"
	62	Liloni	N 26° 10' 00.87", E 77° 02' 42.84"
	63	Jimarchha	N 26° 10' 15.66", E 77° 04' 22.88"
	64	Pancho	N 26° 10' 42.07", E 77° 06' 19.42"
	65	Nitanwas	N 26° 11' 32.78", E 77° 06' 59.45"
Morena	66	Baroatha	N 26° 13' 06.11", E 77° 07' 48.59"
	67	Kaimarakalan	N 26° 11' 13.11", E 77° 12' 15.79"
	68	Kaimarakhurd	N 26° 13' 29.35", E 77° 12' 59.34"
	69	Gadula	N 26° 13' 29.88", E 77° 13' 25.24"
	70	Banthar	N 26° 13' 30.40", E 77° 14' 04.08"
	71	Gondoli	N 26° 13' 04.00", E 77° 14' 57.65"
	72	Atar	N 26° 15' 31.82", E 77° 18' 12.45"
	73	Digwar	N 26° 16' 13.00", E 77° 20' 22.52"
	74	Khedadigwar	N 26° 16' 34.10", E 77° 20' 45.47"
	75	Rohu ka Gaon	N 26° 19' 08.18", E 77° 20' 21.35"
	76	Gajikheda	N 26° 19' 37.19", E 77° 20' 21.94"
	77	Palari	N 26° 20' 13.59", E 77° 21' 11.96"
	78	Banwara	N 26° 20' 58.95", E 77° 21' 19.03"
	79	Norwali Kheron,	N 26° 20' 22.55", E 77° 23' 48.52"
	80	Kheron	N 26° 20' 37.32", E 77° 24' 53.25"
	81	Kalarghati	N 26° 22' 07.50", E 77° 27' 35.70"
	82	Jhundpura,	N 26° 21' 02.64", E 77° 28' 32.20"
	83	Kadhawana	N 26° 23' 56.12", E 77° 28' 26.90"

	84	Barred,	N 26° 23' 33.45", E 77° 30' 29.91"
	85	Singhroli	N 26° 23' 45.05", E 77° 31' 47.60"
	86	Chinnoni Chambal,	N 26° 24' 28.80", E 77° 32' 50.58"
	87	Tindokhar	N 26° 24' 40.39", E 77° 33' 55.32"
	88	Brijgadhi,	N 26° 25' 26.77", E 77° 33' 43.54"
	89	Milaua	N 26° 25' 45.78", E 77° 36' 57.56"
	90	Kotra	N 26° 25' 50.49", E 77° 38' 00.10"
	91	Kolhudanda	N 26° 27' 07.10", E 77° 38' 46.45"
	92	Gurja	N 26° 28' 18.10", E 77° 39' 02.45"
	93	Chhinwara	N 26° 28' 38.59", E 77° 40' 11.41"
	94	Uttampura	N 26° 27' 51.17", E 77° 41' 34.39"
	95	Tajpur	N 26° 28' 51.23", E 77° 41' 42.34"
	96	Sarsaini	N 26° 29' 04.18", E 77° 45' 10.32"
	97	Bindwa Deogarh,	N 26° 29' 43.68", E 77° 46' 20.36"
	98	Nandpura	N 26° 29' 19.97", E 77° 48' 21.02"
	99	Gudha chambal,	N 26° 31' 57.97", E 77° 48' 02.18"
	100	Khandoli	N 26° 34' 06.67", E 77° 51' 07.76"
	101	Kainthari	N 26° 36' 17.73", E 77° 53' 13.72"
	102	Vindwa chambal	N 26° 37' 14.92", E 77° 54' 55.61"
	103	Jaitpur Chambal	N 26° 37' 24.56", E 77° 54' 14.92"
	104	Bhanpur	N 26° 39' 02.10", E 77° 54' 57.89"
	105	Piprai	N 26° 37' 55.96", E 77° 57' 08.62"
	106	Nayakpura	N 26° 39' 08.56", E 77° 58' 27.49"
	107	Gadora	N 26° 39' 32.23", E 77° 58' 48.09"
	108	Gorkha	N 26° 40' 01.68", E 77° 59' 57.54"
	109	Rithora khurd	N 26° 40' 19.04", E 78° 01' 34.65"
	110	Jakhona	N 26° 39' 05.91", E 78° 04' 53.09"
	111	Asah.	N 26° 40' 03.98", E 78° 07' 38.99"
	112	Kuthiyana	N 26° 41' 16.55", E 78° 06' 25.42"
	113	Beelpur	N 26° 42' 18.59", E 78° 06' 36.01"
	114	Kisroli	N 26° 44' 32.12", E 78° 07' 58.41"
	115	Aroli	N 26° 45' 41.49", E 78° 07' 40.76"
	116	Gosbasai	N 26° 45' 55.16", E 78° 08' 50.21"
	117	Malbasai	N 26° 46' 18.29", E 78° 09' 29.06"
	118	Goonjh	N 26° 45' 57.26", E 78° 10' 31.44"
	119	Tilol	N 26° 45' 31.67", E 78° 14' 23.62"

	120	Barwai	N 26° 46' 48.46", E 78° 13' 47.73"
	121	Ratanbasai	N 26° 48' 14.93", E 78° 13' 52.71"
	122	Ruar	N 26° 47' 10.12", E 78° 17' 13.25"
	123	Rithaura	N 26° 49' 00.13", E 78° 16' 47.66"
	124	Rachhed	N 26° 48' 55.71", E 78° 17' 23.25"
	125	Ludhawali	N 26° 49' 34.05", E 78° 16' 59.12"
	126	Useth	N 26° 50' 49.54", E 78° 21' 06.28"
	127	Bindwa	N 26° 48' 47.70", E 78° 23' 09.88"
	128	Raipur	N 26° 48' 10.14", E 78° 25' 11.33"
	129	Kundauna	N 26° 47' 22.33", E 78° 26' 56.68"
	130	Kuraitha	N 26° 47' 06.04", E 78° 27' 24.93"
	131	Silawali	N 26° 46' 46.08", E 78° 29' 43.24"
	132	Dhorra	N 26° 46' 25.58", E 78° 30' 53.83"
	133	Nagra Porsa	N 26° 45' 55.11", E 78° 31' 46.84"
	134	Bhadawali	N 26° 44' 57.29", E 78° 32' 20.38"
	135	Chapak	N 26° 44' 17.35", E 78° 32' 18.03"
	136	Kachhpura	N 26° 45' 30.93", E 78° 32' 32.15"
	137	Kanera	N 26° 44' 41.00", E 78° 34' 33.99"
	138	Kherat	N 26° 44' 44.15", E 78° 35' 41.08"
	139	Nawali Brindawan	N 26° 44' 49.41", E 78° 37' 40.56"
	140	Ater	N 26° 44' 32.03", E 78° 38' 34.72"
	141	Repura	N 26° 44' 17.57", E 78° 39' 53.59"
	142	Bindwa	N 26° 45' 34.83", E 78° 40' 31.25"
	143	Salimpur	N 26° 45' 32.73", E 78° 41' 11.27"
	144	Khipona	N 26° 45' 30.61", E 78° 42' 00.32"
	145	Dangsarkar	N 26° 46' 23.18", E 78° 40' 57.73"
	146	Maghora	N 26° 47' 07.30", E 78° 41' 56.79"
	147	Jamsara	N 26° 45' 15.63", E 78° 42' 54.17"
	148	Akon	N 26° 46' 18.43", E 78° 44' 35.40"
	149	Nakhloli	N 26° 45' 50.05", E 78° 45' 28.37"
	150	Koshath	N 26° 45' 17.47", E 78° 46' 34.59"
	151	Bijora	N 26° 44' 33.87", E 78° 47' 40.45"
	152	Chilonga	N 26° 44' 33.62", E 78° 49' 00.20"
	153	Priyaya	N 26° 44' 11.53", E 78° 49' 39.93"
	154	Rama	N 26° 43' 29.49", E 78° 51' 13.42"
	155	Bhagwantpura	N 26° 41' 46.96", E 78° 48' 56.67"

	156	Jori Ahir	N 26° 41' 13.84", E 78° 51' 07.33"
	157	Gadha	N 26° 41' 51.69", E 78° 51' 29.70"
	158	Chosad	N 26° 37' 59.00", E 78° 50' 37.73"
	159	Baderi	N 26° 41' 17.51", E 78° 52' 56.21"
	160	Badapura	N 26° 41' 35.44", E 78° 53' 55.48"
	161	Ranipura	N 26° 41' 16.99", E 78° 54' 12.14"
	162	Naripura	N 26° 42' 55.02", E 78° 40' 16.19"
	163	Barhi	N 26° 40' 32.01", E 78° 55' 26.25"
	164	Samanna	N 26° 39' 57.06", E 78° 56' 03.97"
	165	Sapad	N 26° 39' 32.78", E 78° 56' 15.06"
	166	Khuavali	N 26° 38' 50.29", E 78° 56' 28.50"
	167	Javai	N 26° 38' 59.76", E 78° 56' 35.56"
	168	Saraya	N 26° 37' 37.03", E 78° 57' 42.20"
	169	Gyanpura	N 26° 39' 52.76", E 78° 59' 43.42"
	170	Kuroli	N 26° 38' 30.66", E 78° 59' 03.40"
	171	Sankari	N 26° 37' 01.26", E 78° 59' 23.41"
	172	Kachhui	N 26° 36' 51.79", E 78° 59' 39.88"
	173	Bindwa	N 26° 36' 07.59", E 79° 00' 14.01"

District	S.No.	Name of village situated on 2 km. periphery	Latitude / longitude
Sheopur	1	Handi	N 25° 23' 55.32", E 76° 37' 16.22"
	2	Kalmunda	N 25° 24' 21.06", E 76° 37' 57.61"
	3	Makdabada	N 25° 23' 48.11", E 76° 37' 58.20"
	4	Badodia Ginsi	N 25° 25' 54.10", E 76° 36' 20.50"
	5	Pali	N 25° 25' 44.00", E 76° 37' 46.42"
	6	Thikariya	N 25° 26' 13.23", E 76° 38' 05.85"
	7	Kundaytha	N 25° 26' 43.04", E 76° 38' 38.33"
	8	Dharmapura	N 25° 27' 41.49", E 76° 36' 27.68"
	9	Sarangpura	N 25° 26' 35.00", E 76° 35' 30.00"
	10	Kwahanjapur	N 25° 26' 45.00", E 76° 34' 20.00"
	11	Basod	N 25° 29' 53.22", E 76° 35' 52.25"
	12	Beeda khedli	N 25° 27' 20.00", E 76° 34' 25.00"
	13	Balapura	N 25° 31' 14.27", E 76° 34' 24.19"
	14	Vajarli	N 25° 31' 35.09", E 76° 33' 26.97"
	15	Thekaria	N 25° 32' 37.00", E 76° 33' 45.00"

	16	Utanbad	N 25° 33' 36.27", E 76° 34' 06.31"
	17	Gudha Anwad	N 25° 39' 27.00", E 76° 31' 44.98"
	18	Dabarsa	N 25° 41' 30.00", E 76° 30' 40.00"
	19	Bitthalpur	N 25° 42' 15.22", E 76° 33' 29.23"
	20	Chak Juwad	N 25° 44' 54.81", E 76° 32' 34.95"
	21	Banwada	N 25° 39' 57.45", E 76° 36' 47.33"
	22	Dhiroli	N 25° 52' 28.17", E 76° 46' 26.57"
	23	Khojipura	N 25° 56' 52.36", E 76° 50' 46.14"
	24	Bhoridi	N 25° 59' 30.00", E 76° 50' 30.00"
	25	Khairoda Klan	N 26° 00' 48.00", E 76° 52' 00.00"
	26	Akoriya	N 26° 00' 34.62", E 76° 53' 11.43"
	27	Hirapura	N 26° 03' 38.87", E 76° 56' 18.16"
	28	Udotpura	N 26° 04' 09.24", E 76° 58' 01.87"
	29	Parashta	N 26° 05' 13.80", E 76° 58' 22.61"
	30	Daulpura	N 26° 04' 55.86", E 76° 59' 03.37"
	31	Jaitpura	N 26° 05' 33.91", E 76° 59' 33.99"
	32	Jamurda	N 26° 05' 57.17", E 76° 58' 56.32"
	33	Parwati Pura	N 26° 05' 38.15", E 77° 00' 04.60"
Morena	34	Kachhinda	N 26° 11' 58.53", E 77° 10' 18.08"
	35	Gurena	N 26° 20' 18.87", E 77° 27' 20.76"
	36	Hirapur	N 26° 19' 46.16", E 77° 28' 46.70"
	37	Didokhar	N 26° 27' 24.83", E 77° 40' 09.43"
	38	Sukhpura	N 26° 27' 58.67", E 77° 43' 50.42"
	39	Barhana	N 26° 30' 33.71", E 77° 48' 33.97"
	40	Masoodpur	N 26° 37' 30.55", E 77° 56' 11.46"
	41	Rithona	N 26° 44' 43.17", E 78° 12' 49.95"
	42	Mahua	N 26° 48' 29.15", E 78° 22' 27.91"
Bhind	43	Arjunpura	N 26° 44' 19.71", E 78° 33' 07.55"
	44	Himmatpura	N 26° 46' 14.63", E 78° 18' 38.78"
	45	Kadora	N 26° 43' 31.72", E 78° 39' 14.61"
	46	Ratanpura	N 26° 44' 15.46", E 78° 43' 02.44"
	47	Suraj pura	N 26° 44' 59.61", E 78° 45' 04.85"
	48	Chitawali	N 26° 43' 06.07", E 78° 45' 00.15"
	49	Dulhagan	N 26° 40' 53.62", E 78° 47' 10.56"
	50	Udanpura	N 26° 40' 24.12", E 78° 51' 00.34"
	51	Pali	N 26° 39' 42.24", E 78° 53' 32.64"

	52	Andhapura	N 26° 39' 11.74", E 78° 52' 09.04"
	53	Jajepura	N 26° 39' 00.16", E 78° 55' 00.93"
	54	Bhonpura	N 26° 36' 21.78", E 78° 56' 38.62"

Annexure –V**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings (mention noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan .
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.



1st Floor, Agni Wing,
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bag Road, New Delhi-110003.

Date: 30th August, 2022

To
All Members
Standing Committee of NBWL

Sub: Minutes of 69th Meeting of the Standing Committee of National Board for Wild Life-
reg.

Sir/Madam,

Kindly find enclosed copy of the Minutes of 69th Meeting of the Standing Committee of National Board for Wild Life held on 29th July, 2022 at Chandrapur Forest Academy, Chandrapur, Maharashtra under the chairmanship of Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

Yours faithfully,

(Rakesh Kumar Jagenia)
30.8.22

Deputy Inspector General of Forests (Wildlife)
Email: digwl@mefcc@gov.in

Encl: As above

Distribution:

1. Secretary, MoEF & CC
2. DGF&SS, MoEF&CC.
3. ADGF(WL), MOEF&CC.
4. ADGF(FC), MoEF&CC.
5. Member Secretary, NTCA.
6. Director/IGF, PE Division, MoEF&CC.
7. Director, WII, Dehradun.
8. Director, GEER Foundation, Gandhinagar.
9. Dr. R. Sukumar, Member, NBWL.
10. Dr. H.S. Singh, Member, NBWL.
11. Secretary, Environment, Forest, Science and Technology Department, Govt. of Andhra Pradesh.

Copy to:

1. PS to Hon'ble MoEF&CC.
2. PS to Hon'ble MoS, EF&CC.
3. PPS to Secretary, MoEF & CC
4. PPS to DGF&SS, MoEF&CC.
5. PSO to Addl. DGF(WL)/PPS to IGF(WL).

71

1331

MINUTES OF THE 69th MEETING OF THE STANDING COMMITTEE OF NATIONAL BOARD FOR WILD LIFE HELD ON 29th July, 2022

The 69th Meeting of the Standing Committee of the National Board for Wild Life was held through hybrid mode on 29th July, 2022 under the chairmanship of the Hon'ble Minister for Environment, Forest & Climate Change. The list of participants is at ANNEXURE-I.

The Member Secretary welcomed the participants to the meeting and requested IGF (WL) to initiate discussions on the agenda Items.

AGENDA ITEM No.1

69.1. Confirmation of the minutes of the 68th Meeting of the Standing Committee of National Board for Wild Life held on 30th May, 2022

The Standing Committee was informed that the minutes of the 68th meeting of the Standing Committee of National Board for Wild Life held on 30th May, 2022 were circulated to all the Members and no comments have been received on the minutes of the meeting.

Decision Taken: After discussions, the Standing Committee decided to confirm the minutes of its 68th meeting held on 30th May, 2022.

AGENDA ITEM No.2

(Action Taken Report)

69.2.1 Deposition of amount realized for mitigation measures as per conditions imposed by Standing Committee of National Board for Wild Life

The Standing Committee was informed that in view of the provisions contained in the CAF Act 2016, this policy issue was discussed in the 67th and the 68th meetings.

As decided in the 68th meeting, a committee has been constituted by the Ministry to examine the matter. The report of the committee is awaited.

Decision taken: After discussions, the Standing Committee decided to defer the matter.

69.2.2 Proposal for use of 28.83 ha of forest land from Southern Elephant Reserve for two laning for Improvement /up-gradation of H-K Road from 0.00 Km to 10.611 Km by PWD Highways in Tirap District of Arunachal Pradesh

FP/AR/ROAD/33459/2018

The Standing Committee was informed that the proposal is for use of 28.83 ha of forest land from Southern Elephant Reserve for two-laning for improvement/upgradation of 10.611 km of H-K Road in Deomali in Tirap District of Arunachal Pradesh by PWD Highways.

The proposal was first considered in the 67th meeting of the Standing Committee held on 25th March 2022. It was decided that a Site Inspection Committee comprising Dr. Sukumar and an officer from Integrated Regional Office of the Ministry at Guwahati would examine the proposed mitigation measures and submit a report for placing in the next meeting of the Standing Committee. The committee was constituted by the Ministry and it has submitted its report to the Ministry.

Decision Taken: After discussions, the Standing Committee decided to recommend the proposal subject to the following conditions:

1. The mitigation plan enclosed with the proposal shall be implemented in its entirety.
2. Speed breakers will be put up at several points along the flat stretch of road from Hukanjauri (chainage 0.0 km) up to about 3.0 km towards Khonsa. The precise locations of the speed breakers to slow the fast-moving vehicles should be determined by the DFO, Deomali, by obtaining observations from the field staff and/or through engaging the services of a local naturalist to survey the presence of animal signs and paths along the highway. The three bridges being constructed (at the following locations: Baksa nallah, Bogapani nallah and Bade nallah) along the road serve mostly as water drainage channels but also permit animals, including elephants, to cross if they need to during periods of low water flow or when dry. A number of other culverts along the road also permit smaller animals and reptiles/amphibians to cross.
3. The critical need for wildlife mitigation along the road is for passages for Hoolock Gibbon (and other primate species) to cross the highway. For this purpose, artificial "canopy walkways or bridges" must be constructed by the PWD-Highways department at a few places. While the site inspection team pointed out some locations to the accompanying forest officials, including the DFO-Deomali, a more detailed survey of the presence of Hoolock Gibbon and other primates must be carried out with the help of local naturalists and forest staff to determine their movements and precise locations for the canopy walkways. Design of canopy bridges may be taken from WII and other experienced naturalists.
4. Placing of hoardings and signages warning of animal crossings and creating awareness among the travellers using the road.
5. In future, there will also be a need for upgradation of the stretch of road (about 5km) between Deomali and Hukanjuri. This road presently lies along the (disputed) boundary between Arunachal and Assam and is

Decision taken: After discussions, the Standing Committee decided that the State Government would be requested to submit a revised mitigation plan that addresses the impact of mining on wildlife. The proposal was, therefore, deferred.

69.2.6 Partial de-notification of 292.39 ha revenue land of the National Chambal Wildlife Sanctuary, Morena, Madhya Pradesh.

FP/MP/Others/6129/2021

The Standing Committee was informed that the proposal is for alteration of boundaries of National Chambal Sanctuary by partial de-notification of 292.39 ha area from the Sanctuary.

The proposal was first considered in the 67th meeting of the Standing Committee held on 25.03.2022 wherein it was decided that a committee comprising Dr. H.S. Singh and Member Secretary, National Tiger Conservation Authority would examine the proposal and submit a report to the Ministry for placing before the Standing Committee in the next meeting. The report has been received.

The State Government has recommended exclusion of an area of 292.39 ha by rationalisation of boundaries at five places. However, the Committee has recommended exclusion of an area of 207.05 ha.

Decision taken: After discussions, the Standing Committee decided to recommend exclusion of an area of 207.05 ha from the Sanctuary as follows:

S.No.	Name of site	Range, district and town/city nearest	Recommended dimension and area	
			Dimension of recommended site- Width x Length along river	Area (ha)
1.	Badodiya Bindi	Range-Sabalgadh, District/city-Sheopur	146 m x 852.61 m	9.49
2.	Barvasin	Range-Devari, District/city-Morena	402.13 m x 3559.28 m	118.66
3.	Rajghat (Piparai)	Range-Devari, District/ city-Morena/ Jaura	201.83 m x 3539.22 m	78.90
Total area recommended for rationalization				207.05

The proposal was recommended subject to the following conditions:

- i. The administration should ensure that mining related activities should not be done in water zone or sand bars in the river surrounded by waters.
- ii. The entire process - sand-mining, sand-transport, sand-storage and sand-marketing should be done under well-established administrative, monitoring and regulatory system.
- iii. To establish a new control and regulation system, Sand Mining Corporation Ltd or a branch of existing Madhya Pradesh Mining Corporation Ltd should be established in the region for the mining, transport, storage and marketing of sand to plug possible illegal activities connected with sand mining.
- iv. Technology must be used to monitor and control illegal mining like barcoding of each Transit Permit; Barcoding of royalty receipts; IT enabled weighing balance at exit points; geo-tagged demarcation of mining leases; electronic surveillance; GPS fitted tractors/trucks involved in transporting; avoidance of heavy machinery in digging etc.
- v. The denotified area should be clearly demarcated on the ground by erecting boundary pillars and geo-tagging.
- vi. There should be regular monitoring and reporting system about the sand mining and its impact on aquatic fauna in the Chambal river.
- vii. Biennial impact assessment of sand mining needs to be done around sanctuary area to ascertain the biodiversity loss. Funding of the assessment may be done from the State MMDC/ Sand Mining Corporation Fund.
- viii. The declining trend of flow of 3.5% per annum recorded over the last 20 years needs to be factored in for future water management programmes for Chambal river.

69.2.7 Hubli – Ankola New Railway line project, Karnataka

The proposal for wildlife clearance for Hubli-Ankola railway line project was placed for consideration of the Standing Committee in the 68th meeting of the Committee. It was decided in the meeting that a committee would be constituted to examine the proposal, survey the area, and assess the impacts of the project over forest and wildlife. The committee was constituted by the Ministry by letter dated 3rd June 2022. ADG(FC) informed that the committee had planned a site inspection from 13th July to 17th July, 2022 but the inspection could not be carried out due to heavy rains in Karnataka. . He said that the committee will visit the site soon after the rainy season.

Decision taken: The Standing Committee took note of the information provided by ADG (FC).

ANNEXURE R-3

F.No.6-170/2021 WL
 Government of India
 Ministry of Environment, Forest and Climate Change
 (Wildlife Division)

3rd Floor, Jai Wing,
 Indira Paryavaran Bhawan,
 Jor Bagh Road, New Delhi 110003.

06th September, 2022

To,
 The Principal Secretary (Forests),
 Department of Forests,
 Government of Madhya Pradesh,
 Vallab Bhavan, Bhopal-462004.

Sub: Partial de-notification of 292.39 ha revenue land of the National Chambal Wildlife Sanctuary, Morena, Madhya Pradesh-FP/MP/Others/6129/2021-reg.

Sir,

Reference is invited to the subject mentioned above. The above proposal was discussed in the 69th Meeting of Standing Committee of National Board for Wild Life held on 29th July, 2022 under the Chairmanship of Hon'ble Minister for Environment, Forest & Climate Change.

2. After discussions, the Standing Committee decided to recommend exclusion of an area of 207.05 ha from the Sanctuary as follows:

S. No.	Name of site	Range, district and nearest town / city	Recommended dimension and area	
			Dimension of recommended site- Width x Length along river	Area (ha)
1.	Badodiya Bindi	Range-Sabalgad, District/city-Sheopur	146 m x 852.61 m	9.49
2.	Barvasin	Range-Devari, District/city-Morena	402.13 m x 3559.28 m	118.66
3.	Rajghat (Piparai)	Range-Devari, District/city- Morena/ Jaura	201.83 m x 3539.22 m	78.90
Total area recommended for rationalization				207.05


The proposal was recommended subject to the following conditions:

- The administration should ensure that mining related activities should not be done in water zone or sand bars in the river surrounded by waters.

- ii. The entire process - sand-mining, sand-transport, sand-storage and sand-marketing should be done under well-established administrative, monitoring and regulatory system.
- iii. To establish a new control and regulation system, Sand Mining Corporation Ltd or a branch of existing Madhya Pradesh Mining Corporation Ltd should be established in the region for the mining, transport, storage and marketing of sand to plug possible illegal activities connected with sand mining.
- iv. Technology must be used to monitor and control illegal mining like barcoding of each Transit Permit; Barcoding of royalty receipts; IT enabled weighing balance at exit points; geo-tagged demarcation of mining leases; electronic surveillance; GPS fitted tractors/trucks involved in transporting; avoidance of heavy machinery in digging etc.
- v. The denotified area should be clearly demarcated on the ground by erecting boundary pillars and geo-tagging.
- vi. There should be regular monitoring and reporting system about the sand mining and its impact on aquatic fauna in the Chambal river.
- vii. Biennial impact assessment of sand mining needs to be done around sanctuary area to ascertain the biodiversity loss. Funding of the assessment may be done from the State MMDC/ Sand Mining Corporation Fund.
- viii. The declining trend of flow of 3.5% per annum recorded over the last 20 years needs to be factored in for future water management programmes for Chambal river.

3. The minutes of the meeting have been posted online in the "PARIVESH" portal of this Ministry.

Yours faithfully,




(Dr. Rajendra Kumar)
Scientist 'C'

Email: kumar.rajendra@gov.in

Copy to:

1. Pr. Chief Conservator of Forests & Chief Wild Life Warden, Government of Madhya Pradesh, 3rd Floor, M.P. Nagar, Zone-I, Bhopal-462001.
2. Deputy Director General of Forests(C), Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, E-Arera Colony, Link Road-3, Bhopal-462016.
3. Inspector General of Forests, FC Division, MoEF&CC.
4. Joint Secretary, I.A. Division, MoEF&CC.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 जनवरी 2023-माघ 11, शक 1944

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2023

क्रमांक For/2/0004/2022-sec-2-10::वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 18 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17 जून, 1983 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्र.15-12-दस(2)-82 दिनांक 24 दिसम्बर, 1982 तथा वन्य प्राणी के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय बोर्ड की स्टेडिंग कमेटी की 69वीं बैठक के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्वारा, राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के संरक्षण के लक्ष्य के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को उनकी अजीविका के लिए रेत आपूर्ति की व्यवस्थाओं हेतु वन्य प्राणी के लिए राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा अधिरोपित निम्न शर्तों के साथ अभ्यारण्य के आंशिक राजस्व क्षेत्र को अपवर्जित करती हैं।

प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए अनुशासित किया गया:-

- (1) प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि जल सीमा क्षेत्र या जल से घिरी हुई नदी में जल क्षेत्र या रेत जमाव में उत्खनन संबंधी क्रियाकलाप नहीं किए जाएंगे।

- (2) रेत-खनन, रेत-परिवहन, रेत-भण्डारण एवं रेत-विपणन की संपूर्ण प्रक्रिया स्थापित प्रशासकीय निगरानी एवं नियामक प्रणाली के अधीन की जायेगी।
- (3) नवीन नियंत्रक एवं नियामक प्रणाली की स्थापना करने के लिए रेत खनन से संबद्ध संभावित अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के हेतु रेत खनन, परिवहन, भण्डारण एवं विपणन के लिए क्षेत्र में रेत खनन निगम मार्या, अथवा विद्यमान मध्यप्रदेश खनन निगम लिमिटेड की एक शाखा स्थापित की जाएगी।
- (4) अवैध उत्खनन की निगरानी और नियंत्रण के लिए तकनीकी, जैसे कि प्रत्येक पारगमन (ट्रांजिट) परमिट की बारकोडिंग; रायल्टी रसीद की बारकोडिंग; निकासी स्थलों पर सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम तौल मशीन, खनन पट्टों का जियो-टैग सीमांकन, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, परिवहन में सम्मिलित जीपीएस युक्त ट्रैक्टर/ट्रक, उत्खनन में भारी मशीनों का परिवर्जन आदि का उपयोग किया जाएगा।
- (5) विमुक्त किए गए क्षेत्र का सीमा चिन्ह (Boundary Pillars) खड़े कर एवं जियो-टैगिंग द्वारा सुस्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाएगा।
- (6) रेत उत्खनन और चम्बल नदी में जलीय जीवों पर उसके प्रभाव के बारे में नियमित निगरानी एवं सूचना प्रणाली होगी।
- (7) जैव विविधता क्षति को सुनिश्चित करने हेतु अभयारण्य क्षेत्र के आस-पास रेत उत्खनन का व्दि-वार्षिक प्रभाव मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। मूल्यांकन का वित्त पोषण राज्य एमएनडीसी/रेत खनन निगम निधि से किया जा सकेगा।
- (8) पिछले 20 वर्षों में दर्ज की गई 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की प्रवाह में गिरावट की प्रवृत्ति को, चम्बल नदी के लिए भविष्य के जल प्रबंधन कार्यक्रमों हेतु सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है।

अधिरोधित शर्तों के अनुसार, राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर, 1982 को आंशिक संशोधित करते हुए, इन भूमियों को निम्न सूची एवं मानचित्रों के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से अभयारण्य की सीमा से पृथक किया जाता है।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2023

20 (1)

अनुसूची - 1


वन मण्डल- मुरैना

जिला- श्योपुर

तहसील- बड़ौदा

स्थल/घाट का नाम - बड़ौदिया बिन्दी

राजस्व ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक कुल क्षेत्रफल (हे. में)	राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य से बाहर किया जाने वाला (हे. में)	बिन्दु	क्षेत्र के जीपीएस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6
कुंहाजापुर	217	75.828	2.403	A	25°28'2.25"N, 76°33'32.95"E
				B	25°28'2.19"N, 76°33'34.33"E
बड़ौदिया घाट	1	15.60	7.086	C	25°27'53.93"N, 76°33'34.81"E
				D	25°27'42.44"N, 76°33'32.45"E
				E	25°27'34.76"N, 76°33'28.59"E
				F	25°27'35.55"N, 76°33'27.43"E
				G	25°27'39.58"N, 76°33'27.80"E
				H	25°27'44.31"N, 76°33'27.29"E
योग			9.489		



मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2023

80 (3)

अनुसूची - 3

तहसील- मुरैना

जिला- मुरैना

तहसील- मुरैना

स्थल/घाट का नाम - राजघाट

राज्य वन का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक कुल क्षेत्रफल (हे. मै.)	राष्ट्रीय सम्पत्ति अधिनियम से बाहर किया जाने वाला (हे. मै.)	बिन्दु	बिन्दु के जीकोऑर्डिनेट
1	2	3	4	5	6
मानपुर	2	25.30	21.05	B	26°39'33.04"N, 77°54'46.01"E
	3	01.34	01.34	C	26°39'33.76"N, 77°54'39.58"E
				D	26°39'31.63"N, 77°55'49.46"E
				E	26°39'30.29"N, 77°55'08.36"E
	14	01.50	0.30	F	26°39'25.26"N, 77°56'27.61"E
	15	01.50	0.30	I	26°39'20.75"N, 77°56'27.01"E
	16	0.39	0.39	J	26°39'26.82"N, 77°55'32.05"E
				K	26°39'30.40"N, 77°55'27.44"E
				L	26°39'26.00"N, 77°55'26.01"E
		02.38	0.30	M	26°39'29.03"N, 77°55'08.45"E
रिपस्टॉक	2	03.49	2.40	N	26°39'30.26"N, 77°55'01.57"E
	177	19.31	17.91	O	26°39'30.12"N, 77°55'03.92"E
				P	26°39'30.80"N, 77°54'58.65"E
				Q	26°39'29.33"N, 77°54'49.10"E
				R	26°39'22.37"N, 77°54'49.60"E
				S	26°39'23.26"N, 77°54'42.23"E
				T	26°39'24.49"N, 77°54'42.17"E
	180	03.10	2.10	G	26°39'24.04"N, 77°56'41.70"E
	236	28.39	16.71	H	26°39'21.48"N, 77°56'41.99"E
	239	28.40	14.60	A	26°39'31.08"N, 77°54'26.42"E
योग		78.90	U	26°39'20.74"N, 77°54'29.45"E	



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, उपसचिव,

मौपाल, दिनांक 31 जनवरी 2023

क्रमांक For/2/0004/2022-sec-2-10:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक For/2/0004/2022-sec-2-10, दिनांक 31/01/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, उपसचिव,

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31 जनवरी 2023

Bhopal, the 31st January, 2023

For/2/0004/2022-sec-2-10: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and in pursuance of this department's Notification No.15-12-X (2)-82 dated 24th December, 1982 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 17th June, 1983 and the 69th meeting of the Standing Committee of the National Board Wildlife was held on 29th July, 2022, the State Government, hereby, exclude the partial revenue area of the sanctuary with the aim of protection of the National Chambal Sanctuary as well as for the provision of sand supply to the local residents for their livelihood with below condition imposed by National Board Wildlife.

The proposal was recommended subject to the following conditions, namely :-


- (1) The administration will ensure that mining related activities will not be done in water zone or sand bars in the river surrounded by waters.
- (2) The entire process of sand-mining, sand-transport, sand-storage and sand-marketing will be done under well-established administrative, monitoring and regulatory system.
- (3) To establish a new control and regulation system, Sand Mining Corporation Ltd or a branch of existing Madhya Pradesh Mining Corporation Ltd shall be established in the region for the mining, transport, storage and marketing of sand to plug possible illegal activities connected with sand mining.
- (4) Technology shall be used to monitor and control illegal mining like barcoding of each Transit Permit; Barcoding of royalty receipts; IT enabled weighing balance at exit points; geo-tagged demarcation of mining leases; electronic surveillance; GPS fitted tractors/trucks involved in transporting; avoidance of heavy machinery in digging etc.
- (5) The de-notified area shall be clearly demarcated on the ground by erecting boundary pillars and geo-tagging.
- (6) There shall be regular monitoring and reporting system about the sand mining and its impact on aquatic fauna in the Chambal River.
- (7) Biennial impact assessment of sand mining needs to be done around sanctuary area to ascertain the biodiversity loss. Funding of the assessment may be done from the State MMDC/Sand Mining Corporation Fund.
- (8) The declining trend of flow of 3.5% per annum recorded over the last 20 years needs to be factored in for future water management programmes for Chambal River.

As per the levied condition, by partially amending the notification of the State Government dated 24th December, 1982 these lands are separated as per the following list and maps from the boundary of the sanctuary from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

SCHEDULE-I

Division-Morena
 District-Sheopur
 Tehsil-Badhoda
 Name of Site/Ghat-Badhoda Bindi

Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. total area (In ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (In ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Kunhajapur	217	75.828	2.403	A	25°28'2.25"N, 76°33'32.95"E
				B	25°28'2.19"N, 76°33'34.33"E
Badhodia Ghat	1	15.60	7.086	C	25°27'53.93"N, 76°33'34.81"E
				D	25°27'42.44"N, 76°33'32.45"E
				E	25°27'34.76"N, 76°33'28.59"E
				F	25°27'35.55"N, 76°33'27.43"E
				G	25°27'39.68"N, 76°33'27.80"E
				H	25°27'44.31"N, 76°33'27.29"E
Total			9.489		




80 (6)

मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 01 जनवरी 2023

SCHEDULE-II

Division- Morena,
District Morena
Tehsil- Jora/Morena
Name of Site/Ghat- Barwasin


Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. Total area (In ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (In ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Khandoli (Tehsil-Jora)	852/1	40.661	32.45	B	26°36'38.01"N,77°51'05.60"E
	852/2	05.894	04.00	C	26°36'44.27"N,77°51'30.39"E
	746	67.706	56.40	F	26°36'33.25"N,77°51'54.11"E
Kenthri (Tehsil-Morena)	2	17.62	15.50	G	26°36'30.94"N,77°51'48.13"E
	103	11.432	9.51	H	26°36'32.04"N,77°51'40.84"E
				I	26°36'31.61"N,77°51'35.33"E
				J	26°36'18.23"N,77°50'47.10"E
	101	01.327	0.89	D	26°36'41.63"N,77°52'06.51"E
				E	26°36'33.92"N,77°52'07.27"E
			A	26°36'06.58"N,77°50'08.32"E	
			K	26°36'01.65"N,77°50'11.97"E	
Total			118.65		



SCHEDULE-3

Division- Morena,
 District- Morena
 Tehsil- Morena
 Name of Site/Ghat- Rajghat

Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. Total area (in ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (in ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Bhanpur	2	15.30	21.05	B	26°39'35.04"N, 77°54'46.01"E
	3	01.34	01.34	C	26°39'35.76"N, 77°54'59.58"E
				D	26°39'31.65"N, 77°55'49.46"E
				E	26°39'30.29"N, 77°56'08.36"E
				F	26°39'25.26"N, 77°56'27.61"E
	14	01.50	0.80	I	26°39'20.75"N, 77°56'27.01"E
	15	01.50	0.80	J	26°39'26.82"N, 77°55'32.06"E
	16	0.39	0.39	K	26°39'30.40"N, 77°55'27.44"E
	17	02.38	0.80	L	26°39'26.00"N, 77°55'26.01"E
Piprai	2	03.49	2.40	M	26°39'29.03"N, 77°53'08.45"E
	177	19.51	17.91	N	26°39'10.26"N, 77°55'07.57"E
				O	26°39'30.12"N, 77°55'03.92"E
				P	26°39'20.80"N, 77°54'52.65"E
				Q	26°39'29.33"N, 77°54'49.10"E
				R	26°39'22.87"N, 77°54'49.60"E
				S	26°39'23.26"N, 77°54'42.23"E
				T	26°39'24.46"N, 77°54'42.17"E
	180	03.10	2.10	G	26°39'24.04"N, 77°56'41.70"E
				H	26°39'21.48"N, 77°56'41.99"E
	236	28.39	16.71	A	26°39'31.98"N, 77°54'26.42"E
239	28.40	14.50	U	26°39'20.76"N, 77°54'29.45"E	
Total			73.90		



By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
 ANURAG KUMAR, Dy. Secy.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 जनवरी 2023—माघ 11, शक 1944

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2023

क्रमांक For/2/0004/2022-sec-2-10::वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 18 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17 जून, 1983 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्र.15-12-दस(2)-82 दिनांक 24 दिसम्बर, 1982 तथा वन्य प्राणी के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय बोर्ड की स्टेडिंग कमेटी की 69वीं बैठक के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्वारा, राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के संरक्षण के लक्ष्य के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को उनकी अजीविका के लिए रेत आपूर्ति की व्यवस्थाओं हेतु वन्य प्राणी के लिए राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा अधिरोपित निम्न शर्तों के साथ अभ्यारण्य के आंशिक राजस्व क्षेत्र को अपवर्जित करती है।

प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए अनुशंसित किया गया:-

- (1) प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि जल सीमा क्षेत्र या जल से घिरी हुई नदी में जल क्षेत्र या रेत जमाव में उत्खनन संबंधी क्रियाकलाप नहीं किए जायेंगे।


- (2) रेत-खनन, रेत-परिवहन, रेत-भण्डारण एवं रेत-विपणन की संपूर्ण प्रक्रिया स्थापित प्रशासकीय निगरानी एवं नियामक प्रणाली के अधीन की जायेगी।
- (3) नवीन नियंत्रक एवं नियामक प्रणाली की स्थापना करने के लिए रेत खनन से संबद्ध संभावित अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के हेतु रेत खनन, परिवहन, भण्डारण एवं विपणन के लिए क्षेत्र में रेत खनन निगम मार्या. अथवा विद्यमान मध्यप्रदेश खनन निगम लिमिटेड की एक शाखा स्थापित की जाएगी।
- (4) अवैध उत्खनन की निगरानी और नियंत्रण के लिए तकनीकी, जैसे कि प्रत्येक पारगमन (ट्रांजिट) परमिट की बारकोडिंग; रायल्टी रसीद की बारकोडिंग; निकासी स्थलों पर सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम तौल मशीन, खनन पट्टों का जियो-टेग सीमांकन, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, परिवहन में सम्मिलित जीपीएस युक्त ट्रैक्टर/ट्रक, उत्खनन में भारी मशीनों का परिवर्जन आदि का उपयोग किया जाएगा।
- (5) विमुक्त किए गए क्षेत्र का सीमा चिन्ह (Boundary Pillars) खड़े कर एवं जियो-टैगिंग द्वारा सुस्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाएगा।
- (6) रेत उत्खनन और चम्बल नदी में जलीय जीवों पर उसके प्रभाव के बारे में नियमित निगरानी एवं सूचना प्रणाली होगी।
- (7) जैव विविधता क्षति को सुनिश्चित करने हेतु अभयारण्य क्षेत्र के आस-पास रेत उत्खनन का व्दि-वार्षिक प्रभाव मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। मूल्यांकन का वित्त पोषण राज्य एमएमडीसी/रेत खनन निगम निधि से किया जा सकेगा।
- (8) पिछले 20 वर्षों में दर्ज की गई 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की प्रवाह में गिरावट की प्रवृत्ति को, चम्बल नदी के लिए भविष्य के जल प्रबंधन कार्यक्रमों हेतु सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है।

अधिरोपित शर्तों के अनुसार, राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर, 1982 को आंशिक संशोधित करते हुए, इन भूमियों को निम्न सूची एवं मानचित्रों के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से अभयारण्य की सीमा से पृथक किया जाता है।

अनुसूची - 1

वन मण्डल- मुरैना
जिला- श्योपुर
तहसील- बड़ौदा
स्थल/घाट का नाम - बड़ौदिया बिन्दी


राजस्व ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक कुल क्षेत्रफल (हे. में)	राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य से बाहर किया जाने वाला (हे. में)	बिन्दु	क्षेत्र के जीपीएस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6
कुंहाजापुर	217	75.828	2.403	A B	25°28'2.25"N,76°33'32.95"E 25°28'2.19"N,76°33'34.33"E
बड़ौदिया घाट	1	15.60	7.086	C D E F G H	25°27'53.93"N,76°33'34.81"E 25°27'42.44"N,76°33'32.45"E 25°27'34.76"N,76°33'28.59"E 25°27'35.55"N,76°33'27.43"E 25°27'39.68"N,76°33'27.80"E 25°27'44.31"N,76°33'27.29"E
योग			9.489		



अनुसूची - 2

वन मण्डल- मुरैना
जिला- मुरैना
तहसील- जौरा/मुरैना
स्थल/घाट का नाम - बरवासिन

राजस्व ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक कुल क्षेत्रफल (हे. में)	राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य से बाहर किया जाने वाला (हे. में)	बिन्दु	क्षेत्र के जीपीएस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6
खाण्डौली (तह.-जौरा)	852/1	40.661	32.45	B	26°36'38.01"N,77°51'05.60"E
	852/2	05.894	04.00	C	26°36'44.27"N,77°51'30.39"E
	746	67.706	56.40	F	26°36'33.25"N,77°51'54.11"E
कैथरी (तह.-मुरैना)	2	17.62	15.50	G	26°36'30.94"N,77°51'48.13"E
	103	11.432	9.51	H	26°36'32.04"N,77°51'40.84"E
				I	26°36'31.61"N,77°51'35.33"E
	101	01.327	0.80	J	26°36'18.23"N,77°50'47.10"E
				D	26°36'41.63"N,77°52'06.51"E
				E	26°36'33.92"N,77°52'07.27"E
				A	26°36'06.58"N,77°50'08.32"E
				K	26°36'01.65"N,77°50'11.97"E
योग			118.66		



अनुसूची - 3


वन मण्डल- मुरैना

जिला- मुरैना

तहसील- मुरैना

स्थल/घाट का नाम - राजघाट

राजस्व ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक कुल क्षेत्रफल (हे. में)	राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य से बाहर किया जाने वाला (हे. में)	बिन्दु	क्षेत्र के जीपीएस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6
भलपुर	2	25.30	21.05	B	26°39'35.04"N, 77°54'46.01"E
	3	01.34	01.34	C	26°39'35.76"N, 77°54'59.58"E
				D	26°39'31.65"N, 77°55'49.46"E
				E	26°39'30.29"N, 77°56'08.36"E
				F	26°39'25.26"N, 77°56'27.61"E
	14	01.50	0.80	I	26°39'20.75"N, 77°56'27.01"E
	15	01.50	0.80	J	26°39'26.82"N, 77°55'32.06"E
पिपरई	16	0.39	0.39	K	26°39'30.40"N, 77°55'27.44"E
				L	26°39'26.00"N, 77°55'26.01"E
				M	26°39'29.05"N, 77°55'08.45"E
	17	02.38	0.80	N	26°39'30.26"N, 77°55'07.57"E
	2	03.49	2.40	O	26°39'30.12"N, 77°55'03.92"E
	177	19.51	17.91	P	26°39'30.80"N, 77°54'58.65"E
				Q	26°39'29.33"N, 77°54'49.10"E
				R	26°39'22.87"N, 77°54'49.60"E
				S	26°39'23.26"N, 77°54'42.23"E
				T	26°39'24.49"N, 77°54'42.17"E
	03.10	2.10	G	26°39'24.04"N, 77°56'41.70"E	
236	28.39	16.71	H	26°39'21.48"N, 77°56'41.99"E	
239	28.40	14.60	A	26°39'31.08"N, 77°54'26.42"E	
			U	26°39'20.74"N, 77°54'29.45"E	
योग			78.90		



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2023

क्रमांक For/2/0004/2022-sec-2-10:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक For/2/0004/2022-sec-2-10, दिनांक 31/01/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से रतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, उपसचिव.

Bhopal, the 31st January, 2023

For/2/0004/2022-sec-2-10::In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and in pursuance of this department's Notification No.15-12-X (2)-82 dated 24th December, 1982 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 17th June, 1983 and the 69th meeting of the Standing Committee of the National Board Wildlife was held on 29th July, 2022, the State Government, hereby, exclude the partial revenue area of the sanctuary with the aim of protection of the National Chambal Sanctuary as well as for the provision of sand supply to the local residents for their livelihood with below condition imposed by National Board Wildlife.

The proposal was recommended subject to the following conditions, namely :-


- (1) The administration will ensure that mining related activities will not be done in water zone or sand bars in the river surrounded by waters.
- (2) The entire process of sand-mining, sand-transport, sand-storage and sand-marketing will be done under well-established administrative, monitoring and regulatory system.
- (3) To establish a new control and regulation system, Sand Mining Corporation Ltd or a branch of existing Madhya Pradesh Mining Corporation Ltd shall be established in the region for the mining, transport, storage and marketing of sand to plug possible illegal activities connected with sand mining.
- (4) Technology shall be used to monitor and control illegal mining like barcoding of each Transit Permit; Barcoding of royalty receipts; IT enabled weighing balance at exit points; geo-tagged demarcation of mining leases; electronic surveillance; GPS fitted tractors/trucks involved in transporting; avoidance of heavy machinery in digging etc.
- (5) The de-notified area shall be clearly demarcated on the ground by erecting boundary pillars and geo-tagging.
- (6) There shall be regular monitoring and reporting system about the sand mining and its impact on aquatic fauna in the Chambal River.
- (7) Biennial impact assessment of sand mining needs to be done around sanctuary area to ascertain the biodiversity loss. Funding of the assessment may be done from the State MMDC/Sand Mining Corporation Fund.
- (8) The declining trend of flow of 3.5% per annum recorded over the last 20 years needs to be factored in for future water management programmes for Chambal River.

As per the levied condition, by partially amending the notification of the State Government dated 24th December, 1982 these lands are separated as per the following list and maps from the boundary of the sanctuary from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

SCHEDULE-I

Division-Morena
District-Sheopur
Tehsil-Badhoda
Name of Site/Ghat-Badhoda Bindi

Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. total area (In ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (In ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Kunhajapur	217	75.828	2.403	A	25°28'2.25"N,76°33'32.95"E
				B	25°28'2.19"N,76°33'34.33"E
Badhodia Ghat	1	15.60	7.086	C	25°27'53.93"N,76°33'34.81"E
				D	25°27'42.44"N,76°33'32.45"E
				E	25°27'34.76"N,76°33'28.59"E
				F	25°27'35.55"N,76°33'27.43"E
				G	25°27'39.68"N,76°33'27.80"E
				H	25°27'44.31"N,76°33'27.29"E
Total			9.489		




SCHEDULE-II

Division- Morena,
District Morena
Tehsil- Jora/Morena

Name of Site/Ghat- Barwasin


Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. Total area (In ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (In ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Khandoli (Teshil- Jora)	852/1	40.661	32.45	B	26°36'38.01"N,77°51'05.60"E
	852/2	05.894	04.00	C	26°36'44.27"N,77°51'30.39"E
	746	67.706	56.40	F	26°36'33.25"N,77°51'54.11"E
Kenthri (Teshil- Morena)	2	17.62	15.50	G	26°36'30.94"N,77°51'48.13"E
	103	11.432	9.51	H	26°36'32.04"N,77°51'40.84"E
				I	26°36'31.61"N,77°51'35.33"E
				J	26°36'18.23"N,77°50'47.10"E
	101	01.327	0.80	D	26°36'41.63"N,77°52'06.51"E
				E	26°36'33.92"N,77°52'07.27"E
			A	26°36'06.58"N,77°50'08.32"E	
			K	26°36'01.65"N,77°50'11.97"E	
Total			118.66		



SCHEDULE-3

Division- Morena,
District- Morena
Tehsil- Morena
Name of Site/Ghat- Rajghat

Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. Total area (in ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (in ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Bhanpur	2	25.30	21.05	B	26°39'35.04"N,77°54'46.01"E
	3	01.34	01.34	C	26°39'35.76"N,77°54'59.58"E
				D	26°39'31.65"N,77°55'49.46"E
				E	26°39'30.29"N,77°56'08.36"E
				F	26°39'25.26"N,77°56'27.61"E
	14	01.50	0.80	I	26°39'20.75"N,77°56'27.01"E
	15	01.50	0.80	J	26°39'26.82"N,77°55'32.06"E
Piprai	16	0.39	0.39	K	26°39'30.40"N,77°55'27.44"E
	17	02.38	0.80	L	26°39'26.00"N,77°55'26.01"E
	2	03.49	2.40	M	26°39'29.05"N,77°55'08.45"E
	177	19.51	17.91	N	26°39'30.26"N,77°55'07.57"E
				O	26°39'30.12"N,77°55'03.92"E
				P	26°39'30.80"N,77°54'58.65"E
				Q	26°39'29.33"N,77°54'49.10"E
				R	26°39'22.87"N,77°54'49.60"E
				S	26°39'23.26"N,77°54'42.23"E
				T	26°39'24.49"N,77°54'42.17"E
	180	03.10	2.10	G	26°39'24.04"N,77°56'41.70"E
			H	26°39'21.48"N,77°56'41.99"E	
	236	28.39	16.71	A	26°39'31.08"N,77°54'26.42"E
	239	28.40	14.60	U	26°39'20.74"N,77°54'29.45"E
Total			78.90		



By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Dy. Secy.



प्रति,

✓ सचिव,

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड,
अलीगंज, नई दिल्ली-110003

ANNEXURE R-5

विषय :- राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के वन्यप्राणियों के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय लोगों की आजीविका एवं रेत की आपूर्ति हेतु अभयारण्य के डिनोटिफाइड आंशिक क्षेत्र 207.05 हेक्टेयर में रेत उत्खनन की अनुमति बाबत।

- संदर्भ :-**
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के ईको सेंसिटिव जोन संबंधी अधिसूचना एस.ओ. 796 (E) दिनांक 20 फरवरी, 2020
 2. मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी, 2023 (प्रति संलग्न)

—0—

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में लेख है कि वर्ष 1982 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मध्यप्रदेश राज्य की ओर पार्वती एवं चम्बल नदी की 435 कि.मी. की लम्बाई में नदी के मध्य से 01 कि.मी. की दूरी के अंतर्गत क्षेत्र को राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। अभयारण्य के गठन के उपरांत वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधान लागू होने के फलस्वरूप अभयारण्य क्षेत्र में रेत उत्खनन प्रतिबंधित है। इस कारण उक्त क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रेत आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से न होने के कारण इस क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन की घटनाओं में वृद्धि होने से अभयारण्य के प्रबंधन में अनेक कठिनाइयां महसूस की जा रही हैं।

स्थानीय लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने एवं रेत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य वन्यप्राणी बोर्ड के अनुमोदन उपरांत अभयारण्य के आंशिक क्षेत्र 207.05 हेक्टेयर को डिनोटिफाई करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। राज्य के इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 69वीं बैठक दिनांक 29.07.2022 को समग्र रूप से विचार करते हुए रेत उत्खनन की सशर्त अनुमति दी गई, जिसकी प्रति संलग्न है।

प्राप्त अनुमति के क्रम में राज्य शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 31.01.2023 से निम्न क्षेत्र को डिनोटिफाई किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	जिला	घाट/स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हे. में)
1	श्यापुर	बड़ोदिया बिन्दी	9.489
2	मुरैना	बरवासिन	118.66
3.	मुरैना	राजघाट	78.90
		योग	207.05

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के ईको सेंसेटिव जोन की अधिसूचना एस.ओ. 796 (E) दिनांक 20.02.2020 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी की गई। उक्त अधिसूचना में ईको सेंसेटिव जोन की सीमा राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की सीमा से 02 कि.मी. तक अधिसूचित की गई है।
- ईको सेंसेटिव जोन की उक्त अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 4(क)-1 में वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां संबंधी कार्य प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप के अंतर्गत रखे गये हैं जो वर्तमान में प्रतिबंधित हैं। फलस्वरूप राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य से रेत उत्खनन हेतु डिनोटिफाई किये गये उक्त क्षेत्र 207.05 हेक्टेयर से रेत उत्खनन नहीं किया जा सकता है।
- स्थानीय लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने, रेत की स्थानीय आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा रेत की अवैध उत्खनन की घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही भारत सरकार द्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के आंशिक क्षेत्र को डिनोटिफाई करने की अनुमति प्रदान की गई है। अवगत होने चाहेगी कि राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य 435 कि.मी. की लम्बाई में अधिसूचित है तथा यही इस क्षेत्र की रेत की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एकमात्र स्रोत है। ऐसे में अभयारण्य के लगभग सभी महत्वपूर्ण वन्यप्राणी पर्यावास तथा नेस्टिंग क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए उपरोक्तानुसार तीन स्थलों पर 207.05 हेक्टेयर क्षेत्र को ही रेत उत्खनन हेतु चिन्हित किया गया है।
- उक्त चिन्हित स्थलों पर वैधानिक तरीके से तथा भारत सरकार की समस्त अधिरोपित शर्तों के अधीन रेत उत्खनन प्रारंभ होने से शेष राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य में अवैध रेत उत्खनन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

6. अभयारण्य का डिनोटिफाइड क्षेत्र अभयारण्य के ईको सेंसेटिव जोन (ESZ) के अंतर्गत होने के कारण रेत उत्खनन वर्तमान में संभव नहीं होगा। फलस्वरूप उक्त क्षेत्र को डिनोटिफाई किये जाने के उद्देश्यों की पूर्ति भी संभव नहीं हो सकेगी।
7. वर्तमान में रेत उपलब्धता के अभाव में सम्पूर्ण अंचल में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव नहीं हो पा रही है। फलस्वरूप स्थानीय जनता से अभयारण्य के प्रति अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के दीर्घकालिक संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि स्थानीय जनता अभयारण्य के संरक्षण एवं संवर्धन में सहभागी बने। यह तभी संभव हो सकेगा जब स्थानीय जनता की रेत की आवश्यकताओं की पूर्ति हों।

अतः स्थानीय लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने, रेत की आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा रेत के अवैध उत्खनन की घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु इस प्रकरण में उक्त डिनोटिफाई क्षेत्र 207.05 हेक्टेयर में रेत उत्खनन के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की ईको सेंसेटिव जोन की जारी अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक-4 (क)-1 में (वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां संबंधी प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप) रेत उत्खनन को छूट प्रदाय करने का अनुरोध है, ताकि इस क्षेत्र में रेत उत्खनन कर स्थानीय आवश्यकताओं की आपूर्ति की जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(गुलशन बामरा)
प्रमुख सचिव

पृ० क्रमांक/ ^{535/2399/2018/} /2023/32-3

भोपाल, दिनांक 08/06/2023

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की ओर उनकी नस्ती For/2/0004/2022-sec-2-10 पर अंकित टीप क्रमांक 1117/अमुस/वन/2023 दिनांक 08/06/2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग की मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. कार्यपालन संचालक, (ईको सेंसेटिव जोन शाखा) पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन भोपाल।

प्रमुख सचिव

F.No 25/79/2015/ESZ/RE
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(ESZ-Division)

ANNEXURE R-6

Indira Paryavaran Bhawan,
 Jorbagh Road, Aliganj,
 New Delhi- 110 003

Dated: 28th June, 2023

To,

Shri Gulshan Bamra
Principal Secretary
Department of Environment,
Govt. of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal
Madhya Pradesh-462004

Subject: Eco-Sensitive Zone around National Chambal Wildlife Sanctuary, Madhya Pradesh, reg.-

Sir,

This has reference to your letter No. 584/2399/2018/32-3 dated 08th June, 2023 seeking relaxation in sand mining activities around denotified area of National Chambal Wildlife Sanctuary (207.05 ha).

2. In this regard, it is to inform you that the ESZ around National Chambal WLS was declared on 20.02.2020, wherein uniform 2 km extent was notified as ESZ. The Hon'ble Supreme Court of India in its recent judgement dated 26.04.2023 in the matter of IA No.1000 of 2003 in WP(C) No.202 of 1995: TN Godavarman vs. Union OF India & Ors has directed that the mining is to be carried outside 1 km of Protected Area the relevant extract is reproduced below:

"65. We also modify the direction contained in paragraph 56.4 of the order dated 3rd June, 2022 (supra) and direct that mining within the National Park and Wildlife Sanctuary and within an area of one kilometre from the boundary of such National Park and Wildlife Sanctuary shall not be permissible."

3. Considering the above facts, it would not appropriate to give the relaxation in the matter. However, it is suggested that the State Govt. may submit a revised proposal for declaring ESZ around National Chambal Wildlife Sanctuary, reducing the denotified area for consideration.

With regards,


Yours sincerely,



(Dr. S.Kerketta)

Scientist (G)/ Adviser

849/PS/Env/2023
05/7/23

OSD/Env.




F.No.1-9/2022 WL
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Wild Life Division)

2nd Floor, Vayu Wing,
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bag Road, New Delhi-110003.

Date: 15th September, 2023

Office Memorandum

Sub: Summary Record of the discussions on the meeting chaired by Secretary MoEF&CC held on 31.08.2023 in connection with the OA no. 248 of 2022.

Sir,

Kindly find enclosed Summary Record of the discussions on the meeting chaired by Secretary MoEF&CC held on 31.08.2023 in connection with the OA no. 248 of 2022 held on 31st August, 2023 under the chairmanship of Secretary, MoEF&CC.

Yours faithfully,

(Dr. Sudheer Chintalapati)
Scientist 'E'
Email: adwl-mefcc@gov.in.

Encl: As above

Distribution:

1. The Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
2. The Chief Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur.
3. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
4. The PCCF & HoFF, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
5. The PCCF & HoFF, Government of Rajasthan, Jaipur.

Copy to:

1. PPS to Secretary/PPS to DGF&SS/PSO to PSO to Addl. DGF(WL)/PPS to IGF(WL)/PS to DIG(WL), MoEF&CC.

**Summary Record of the discussions on the meeting chaired by
Secretary MoEF&CC held on 31.08.2023 in connection with the OA no.
248 of 2022**

A meeting has been convened on 31st August 2023 under the chairmanship of Secretary MoEF&CC in accordance with the directions of Ld. National Green Tribunal, Principal Bench, Delhi in **OA no 248 of 2022 - a suo-moto case by the National Green Tribunal New Delhi based on the News article published in the Hindu titled "Digging up the Chambal" dated 27.03.2022..**

The list of participants is placed at **Annexure-I**.

1. Secretary EF&CC welcomed the participants to the meeting and initiated the discussions.
2. Inspector General of Forests (WL) gave a brief background about the application before the Ld. NGT. He mentioned that the matter at hand concerns illegal mining activities occurring in the vicinity of Keoladeo National Park in Rajasthan, near Dholpur, in close proximity to the National Chambal Sanctuary.
3. This matter was taken up Suo moto by the Tribunal based on a news article published in "The Hindu" on 27th March 2022, titled "Digging up the Chambal." The Tribunal vide order dated 05.04.22 constituted, an Eight Member Joint Committee comprising of the DGF&SS, Director, National Chambal Sanctuary, Secretaries Mining, Rajasthan, UP and M.P. and UP, MP and Rajasthan State PCBs. The committee gave several recommendations after the site visit.
4. It was also informed that Eco-sensitive Zone (ESZ) around National Chambal Wildlife Sanctuary, Uttar Pradesh was notified on 10.06.2020 and around National Chambal Wildlife Sanctuary, Madhya Pradesh, it was notified on 20.02.2020. However, ESZ for National Chambal Wildlife Sanctuary Rajasthan has not yet been notified and proposal for National Chambal Wildlife Sanctuary is pending with the State Government of Rajasthan.
5. Further, alteration of boundaries of the National Chambal Sanctuary, Madhya Pradesh to the extent resulting in exclusion of 292.39 ha from the sanctuary has been recommended in the 69th SCNBWL meeting with certain conditions.
6. The Tribunal heard the matter OA 248 of 2022 on 25th July 2023 and has issued the following directions:
 - i. *District Authorities (Chief Secretaries, DGPs, PCBs of Rajasthan, MP and UP and SSPs and DMs of Bhind, Morena, Gwalior, Agra, Etawah, Jhansi, Dholpur and Bharatpur) to periodically monitor it and ensure compliance of (2016 and 2020) Guidelines and control illegal mining and submit a*

further action taken report within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

- ii. *Secretary, MoEF&CC need to have monitoring with Chief Secretary of MP to provide clarity on acceptability of Notification dated 31.01.2023 de-notifying 207 hectare from the sanctuary.*
- iii. *Secretary, MoEF&CC need to have a joint meeting with the Chief Secretaries of MP, UP and Rajasthan and the concerned Head of Departments (Forest and Wildlife and those related to NCS) and to ascertain complete protection of NCS with reference to wildlife and no mining or other activities. MoEF&CC need to give independent report on direction nos. (ii) and (iii) above.*

With this back ground the States were asked to give their status with regard to the Hon'ble NGT order.

Madhya Pradesh:

7. The Government of Madhya Pradesh stated that they have implemented a comprehensive set of measures in accordance with the recommendations put forth by the committee established by the National Green Tribunal (NGT) to combat illegal sand mining. The specific details of the steps taken by Madhya Pradesh are at **Annexure-II**.

8. ADGF (WL) mentioned that after obtaining the recommendations for the de-notification of 292.39 hectares of revenue land within the National Chambal Wildlife Sanctuary in Morena, Madhya Pradesh, it is incumbent upon the State Government to proceed with the process of amendment in the notification of the ESZ around the National Chambal Sanctuary, Madhya Pradesh.

9. It was discussed that the State of Madhya Pradesh should expedite the establishment of ESZ boundaries without delay. This is imperative to facilitate the lawful allocation of mining activities within the region. Furthermore, all Collectors and District Magistrates must immediately take stringent measures to combat and eliminate any instances of illegal sand mining in the area.

Uttar Pradesh:

10. The Government of Uttar Pradesh informed that they have implemented a series of measures as were recommended by the committee appointed by the National Green Tribunal (NGT) to combat illegal sand mining. The specific details of the steps taken by Uttar Pradesh are at **Annexure-III**.

Rajasthan:

11. The Government of Rajasthan provided information regarding the measures being undertaken to prevent illegal sand mining within the state,

with particular focus on areas surrounding the Chambal catchment area. These measures encompass a range of strategies and actions aimed at safeguarding the natural resources and environment while ensuring compliance with relevant regulations. The details of the measures implemented by Rajasthan are at **Annexure-IV**.

Conclusions

12. After deliberations on the necessity for consistently enforcing the anti-illegal mining measures, the following actionable points emerged:

- i. All the State Governments should prioritize and encourage permissible activities within the catchment areas in order to raise awareness and naturally mitigate illegal mining and poaching activities.
- ii. The State Governments of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Rajasthan, shall provide detailed reports of the measures taken to combat illegal mining in the vicinity of the Chambal Sanctuary immediately.
- iii. Thereafter, the State Governments are to submit a monthly report to the Ministry on the progress regarding steps to curb illegal mining.
- iv. A standardized format will be devised by the Ministry for monitoring of actions taken by the respective State Governments.
- v. A quarterly coordination committee meeting will be held under the Chairmanship of ADG (WL) to oversee the actions taken by State Governments and share best practices.
- vi. State Government of Rajasthan to take immediate steps to submit the proposal for notification of the ESZ for National Chambal Wildlife Sanctuary.
- vii. District Collectors should take proactive measures for providing alternative livelihood options for the local communities currently dependent on sand mining, through convergence of various schemes.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair and all participants.

LIST OF PARTICIPANTS

S.No.	Name and Designation
1.	Ms. Leena Nandan, Secretary, MoEF&CC
2.	Shri Bivash Ranjan, ADGF(WL), MoEF&CC
3.	Shri Shikhar Agrawal, Additional Chief Secretary, Forest, Environment And Climate Change, Rajasthan.
4.	Sh. Gulshan Bamra, Principal Secretary Environment, Madhya Pradesh
5.	Sh Ashish Tiwari, Principal Secretary Environment, Uttar Pradesh
6.	Shri Raghu Prasad, IGF (WL)
7.	Shri Aseem Srivastava, Chief Wild Life Warden, Madhya Pradesh
8.	Shri Arindam Tomar, Chief Wild Life Warden, Rajasthan
9.	Shri Anjani Acharya, Chief Wild Life Warden, Uttar Pradesh
10.	Sh. Shrawan Kumar Verma, DIG, IRO Gandhinagar
11.	DM Morena, Madhya Pradesh
12.	DM Agra, Uttar Pradesh
13.	DM Gwalior, Madhya Pradesh
14.	Ig Chambal, Madhya Pradesh
15.	DFO Chambal, Madhya Pradesh
16.	DM-Sheopur, Madhya Pradesh
17.	Senior Superintendent of Police, Etawah, Uttar Pradesh
18.	Dr. Sudheer Chintalapati, Scientist E, MoEF&CC

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/1029/2399/2018/32-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/10/2023

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय:-राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के ईको सेंसेटिव जोन की संशोधित अधिसूचना जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 796 (अ) दिनांक 20.02.2020

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित अधिसूचना (अनुलग्नक-A) द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के ईको सेंसेटिव जोन को अधिसूचित किया गया था। उक्त के पश्चात राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 69वीं बैठक दिनांक 29.07.2022 (अनुलग्नक-B) में 207.05 हेक्टेयर राजस्व भूमि को राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य क्षेत्र से विमुक्त करने की अनुमति प्राप्त की गई। प्राप्त अनुमति के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 31.01.2023 (अनुलग्नक-C) द्वारा अभयारण्य क्षेत्र से 207.05 हेक्टेयर भूमि को डिनोटिफाई किया गया।

2/ उपर्युक्त डिनोटिफाईड क्षेत्र को ईको सेंसेटिव जोन से बाहर रखा जाना प्रस्तावित है। तदनुसार ईको सेंसेटिव जोन हेतु संदर्भित अधिसूचना दिनांक 20.02.2020 के उपाबंध-II अंतर्गत मानचित्र को संशोधित कर डिनोटिफाईड क्षेत्र को दर्शाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अधिसूचना के उपाबंध-III में सारणी (ख) के उपरान्त अभयारण्य से बाहर किए गए क्षेत्र का विवरण सम्मिलित किया गया है।

3/ भारत सरकार द्वारा जारी संदर्भित अधिसूचना के उपाबंध-I में दर्शित सीमाओं में कुछ त्रुटियां परिलक्षित होने तथा उपाबंध-IV में डिजिटल डाटा से मिलान करने पर ईको सेंसेटिव जोन अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूचि में परिवर्तन होने से तदनुसार उपाबंध-I एवं उपाबंध-IV में भी संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

4/ अतः उपर्युक्त पैरा 2 तथा 3 अनुसार राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के ईको सेंसेटिव जोन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 20.02.2020 में उपाबंध I, II, III, IV में संशोधन हेतु प्रारूप (अनुलग्नक-D) संलग्न कर अधिसूचना में आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु अनुरोध है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(गुलशन बामरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

//2//

// 2 //

पृ.क्रमांक / 1030 / 2399 / 2018 / 32-3

भोपाल, दिनांक 30 / 10 / 2023

प्रतिलिपि:-

1 अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय।

2 मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग मंत्रालय

1.राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य मुरैना के पारस्थितिकी संवेदी जोन की भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2020 के पृष्ठ क्र.11 पर उपाबंध-1 की जानकारी विलोपित कर निम्नलिखित जानकारी मान्य की जावे-

उपाबंध-1

संरक्षित क्षेत्र के पारस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की अधिसूचित सीमा।
पूर्व	जिला भिण्ड की उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा
दक्षिण	<p>मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत ईको सेंसेटिव जोन की सीमा राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की सीमा से अभयारण्य के बाहर मध्य प्रदेश राज्य के भीतर 02 कि.मी. तक रहेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है-</p> <p>शयोपुर जिले के राजस्व क्षेत्र के ग्राम बड़ौदिया बिंदी, हांडी, कलमुंडा, धोरी बावड़ी, पाली, बजरली, उदोतपुरा, कुदैथा, ढीकरिया, बोरदा देव, कुहांजापुर, बासोंद, बीदा खेड़ली, उतनबाद, बगदरी, बगड़िया, मकरोड़, धिरोली, खोजीपुरा, काशीपुर, मानपुर, जैनी, अवनि, जवासा, ऊंचाखेड़ा, बिचपुरी, सामरसा, दांतरदा कलां, मलारना, जुवाड, साडा का पाडा, लेचोडा, मुदालपाड़ा, अडू, बनवाड़ा, करीरिया, इच्छाना खेड़ी, बेहटेड, बिट्टलपुर, चक जुवाड, पहाडल्या, जालेरा, बिजारपुर, अडवाड, गोधा अडवाड, गांवड़ी, अमल्दा, नानावाड, पटपदा, दुबडी उतनवाड, दौलपुरा, दुबावली, नदीगांव, लिलौली, जिमरछा, नितानवास, पान्चो, बलवानी, अकोरिया, खेरोदा कलां, सुधारा, अरौंदरी, हीरापुरा, पराशता, डोंगरपुर (ढोढर),</p> <p>मुरैना जिले के राजस्व क्षेत्र के ग्राम बरैढ़, सिंगरौली, चिन्नोनी चंबल, तिंदोखर, बृजगढ़ी, हुसैनपुर, मिलौआ, खोरा, मोहनपुर, सुखपुरा, सरसैनी, बरहाना, नंदपुरा, गुढ़ा चम्बल, गलेथा, कैंथरी, जराह, पिपरई, नायकपुरा, महचंदपुर, गडोरा, गोरखा, झुंडपुरा (एनपी), कड़ावना, भटपुरा, गोसपुर, रतन बसई, रुअर, रिठौरा मरजादगढ़, रछेड़, उसैद, बरवाई, बिंडवा, कुंडौना, सिलावली, धौरा, नगरा पोरसा, अटार, भदावली, चपाक, बरोठा, कछिंदा, कैमारा कलां, गडुला, गोंदोली, बावड़ी, डिगवार, खेड़ा डिगवार, रहु का गांव, गाजी खेड़ा, बनवारा, नोरावली खेरौन, खेरौन, गुरेमा, हीरापुर, तिलोल, रिठौना, जोहान, खिरेंटा, डंडोली, गूँज एवं</p> <p>जिला भिण्ड के राजस्व क्षेत्र के ग्राम अर्जुनपुरा, कनेरा, खेरट, अहरोलीकाली, गडेर, घिनोची, रेपुरा, बिंडवा, सलीमपुर, खिपोना, डांगसरकार, आकौन, नखलोली, बिजोरा, चिलोंगा, परियाया, रमा, जोरी अहीर, गढ़ा, उदनपुर, चाचर, नारीपुरा, बरही, समन्ना, सपाड़, भोनपुरा, कछुई, बिंडवा, नहारा, चितावली, बड़ापुरा, कसाहपुरा, भीमपुरा, खुआवली एवं छूँछरी की कृत्रिम सीमा।</p>

पश्चिम	जिला श्योपुर में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा।
--------	---

एवं उक्त अधिसूचना के पृष्ठ क्र. 31 पर अंग्रेजी भाषा में दी गई Annexure-1 जानकारी विलोपित कर निम्नानुसार मान्य की जावे-


Annexure-1

Details of the boundary of the Eco-sensitive Zone of the Protected Area

North	Notified Boundary of National Chambal Sanctuary in Madhya Pradesh.
East	Interstate border of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh state under district Bhind.
South	The extent of the Eco-Sensitive Zone will be 02 km from the boundary of National Chambal Sanctuary in Madhya Pradesh. The details of which are as follows- Artificial border of the following villages of Sheopur District Barodiya Bindi, Handi, Kalamunda, Dhori Bawdi, Pali, Bajrali, Udotpura, Kudaitha, Dhikaria, Borda Dev, Kuhanjapur, Basond, Bida Khedli, Utanbad, Bagdari, Bagadia, Makrod, Dhiroli, Khojipura, Kashipur, Manpur, Jaini , Avni, Jawasa, Unchakheda, Bichpuri, Samarsa, Dantarda Kalan, Malarna, Juwad, Sada Ka Pada, Lechoda, Mudalpada, Adu, Banwada, Kaririya, Ichhana Khedi, Behted, Bithalpur, Chak Juwad, Pahadlya, Jalera, Bijarpur, Adwad, Godha Adwad, Gaondi, Amalda, Nanawad, Patpada, Dubdi Utanwad, Daulpura, Dubawali, Nadigaon, Lilauli, Jimrachha, Nitawas, Pancho, Balwani, Akoria, Kheroda Kalan, Sudhara, Arraudri, Hirapura, Parashta, Dongarpur (Dhodhar), Artificial border of the following villages of Morena District Barraidh, Singrauli, Chinnoi Chambal, Tindokhar, Brijgarhi, Hussainpur, Milua, Khora, Mohanpur, Sukhpura, Sarsaini, Barhana, Nandpura, Gudha Chambal, Galetha, Kainthari, Zarah, Piprai, Nayakpura, Mahchandpur, Gadora, Gorkha, Jhundpura (NP), Kadavna, Bhatpura, Gospur, Ratan Basai, Ruar, Rithora Marjadgarh, Rachher, Usaid, Barwai, Bindwa, Kundauna, Silawali, Dhaurra, Nagra Porsa, Attar, Bhadawali, Chapak, Barohta, Kachhinda, Camara Kalan, Gadula, Gondoli, Bawdi, Digwar, Kheda Digwar, Rahu's village, Ghazi Kheda, Banwara, Norawali Kheraun, Kheraun, Gurema, Hirapur, Tilol , Rithona, Johan, Khirenta, Dandoli, Gunj, and Artificial border of the following villages of Bhind District Arjunpura, Kanera, Kheraat, Ahrolikali, Gader, Ghinochi, Repura, Bindwa, Salimpur, Khipona, Dangsarkar, Aakaun, Nakhloli, Bijora, Chilonga, Pariaya, Rama, Jori Ahir, Garha, Udanpur, Chachar, Naripura, Barhi, Samanna, Sapar, Bhonpura, Kachhui, Bindwa, Nahara, Chitwali, Badapura, Kasahpura, Bhimpura, Khuawali and Chhunchuri.
West	The inter-state border of Rajasthan and Madhya Pradesh under District Sheopur.

2.राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य मुरैना के पारस्थितिकी संवेदी जोन की भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2020 के पृष्ठ क्र.12 पर उपाबंध-II की जानकारी एवं पृष्ठ क्र. 31 पर अंग्रेजी भाषा में दी गई Annexure-II की जानकारी विलोपित कर निम्नलिखित जानकारी मान्य की जावे-

राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के पारस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



3.राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य मुरैना के पारस्थितिकी संवेदी जोन की भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2020 के उपाबंध-III के अंतर्गत सारणी 'ख' के उपरांत पृष्ठ क्र.13 पर निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित की जावे-

मध्य प्रदेश की अधिसूचना क्र. For/2/0004/2022—sec—2—10 दिनांक 31 जनवरी 2023 द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के भीतर निम्नानुसार 03 स्थलों में आंशिक रूप से डिनोटिफाई किये गये कुल 207.049 हेक्टेयर क्षेत्र में ईको सेंसेटिव जोन की सीमा, अभयारण्य की सीमा से शून्य रहेगी:-

वनमण्डल- मुरैना, जिला-श्यापुर, तहसील- बढौदा, स्थल/घाट का नाम -बढौदिया बिन्दी

राजस्व ग्राम का नाम	सर्वे क्र.	सर्वे क्र. का कुल रकबा (हे. में)	अभयारण्य से बाहर किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)	बिन्दु	क्षेत्र के जी.पी.एस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6
कुंहाजापुर	217	75.828	2.403	A B	25°28'2.25"N,76°33'32.95"E 25°28'2.19"N,76°33'34.33"E
बढौदिया घाट	1	15.60	7.086	C D	25°27'53.93"N,76°33'34.81"E 25°27'42.44"N,76°33'32.45"E
				E F	25°27'34.76"N,76°33'28.59"E 25°27'35.55"N,76°33'27.43"E
				G H	25°27'39.68"N,76°33'27.80"E 25°27'44.31"N,76°33'27.29"E
योग:-			9.489		

वनमण्डल - मुरैना, जिला-मुरैना, तहसील- जौरा/मुरैना, स्थल/घाट का नाम - राजघाट

राजस्व ग्राम का नाम	सर्वे क्र.	सर्वे क्र. का कुल रकबा (हे. में)	अभयारण्य से बाहर किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)	बिन्दु	क्षेत्र के जी.पी.एस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6
भानपुर	2	25.30	21.05	B C D E F	26°39'35.04"N,77°54'46.01"E 26°39'35.76"N,77°54'59.58"E 26°39'31.65"N,77°55'49.46"E 26°39'30.29"N,77°56'08.36"E 26°39'25.26"N,77°56'27.61"E
				3	01.34
	14	01.50	0.80	I J K	26°39'20.75"N,77°56'27.01"E 26°39'26.82"N,77°55'32.06" E
	15	01.50	0.80		
	16	0.39	0.39	L M N	26°39'30.40"N,77°55'27.44" E 26°39'26.00"N,77°55'26.01" E
	17	02.38	0.80	O P	26°39'29.05"N,77°55'08.45"E
पिपरई	2	03.49	2.40	Q	26°39'30.26"N,77°55'07.57" E

	177	19.51	17.91	R S T	26°39'30.12"N,77°55'03.92" E 26°39'30.80"N,77°54'58.65" E 26°39'29.33"N,77°54'49.10" E 26°39'22.87"N,77°54'49.60" E 26°39'23.26"N,77°54'42.23" E 26°39'24.49"N,77°54'42.17" E
	180	03.10	2.10	G H	26°39'24.04"N,77°56'41.70"E 26°39'21.48"N,77°56'41.99"E
	236	28.39	16.71	A U	26°39'31.08"N,77°54'26.42"E
	239	28.40	14.60		26°39'20.74"N,77°54'29.45"E
योग:-			78.90		

वनमण्डल- मुरैना, जिला-मुरैना, तहसील- मुरैना, स्थल/घाट का नाम - बरवासिन

राजस्व ग्राम का नाम	सर्वे क्र.	सर्वे क्र. का कुल रकबा (हे. में)	अभ्यारण्य से बाहर किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)	बिन्दु	क्षेत्र के जी.पी.एस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6
खाण्डौली (तह.-जौरा)	852/1	40.661	32.45	B	26°36'38.01"N,77°51'05.60"E
	852/2	05.894	04.00	C	26°36'44.27"N,77°51'30.39"E
	746	67.706	56.40	F G H	26°36'33.25"N,77°51'54.11"E 26°36'30.94"N,77°51'48.13"E
कैथरी (तह.-मुरैना)	2	17.62	15.50	I J	26°36'32.04"N,77°51'40.84"E 26°36'31.61"N,77°51'35.33"E 26°36'18.23"N,77°50'47.10"E
	103	11.432	9.51	D E	26°36'41.63"N,77°52'06.51"E 26°36'33.92"N,77°52'07.27"E
	101	01.327	0.80		A K
योग:-			118.66		

एवं उक्त अधिसूचना के पृष्ठ क्र. 32 पर अंग्रेजी भाषा में दी गई Annexure-III के अंतर्गत Table B के उपरांत निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित की जावे-

Eco-sensitive Zone at the following three places, partially denotified 207.049 ha. area of National Chambal Sanctuary, vide MP Govt. notification no. For/2/0004/2022-sec-2-10 dated 31st January, 2023 will be Zero from the boundary of Sanctuary.

Division- Morena, Distt.-Sheopur Tehsil- Badhoda Name of Site/Ghat- Badhodia Bindi

Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. Total area (In ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (In ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Kunhajapur	217	75.828	2.403	A B	25°28'2.25"N,76°33'32.95"E 25°28'2.19"N,76°33'34.33"E

Badhodia Ghat	1	15.60	7.086	C	25°27'53.93"N,76°33'34.81"E
				D	25°27'42.44"N,76°33'32.45"E
				E	25°27'34.76"N,76°33'28.59"E
				F	25°27'35.55"N,76°33'27.43"E
				G	25°27'39.68"N,76°33'27.80"E
	Total		9.489	H	25°27'44.31"N,76°33'27.29"E

Division- Morena, Distt.-Morena Tehsil- Jora/Morena Name of Site/Ghat- Barwasin

Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. Total area (In ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (In ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Khandoli (Teshil-Jora)	852/1	40.661	32.45	B	26°36'38.01"N,77°51'05.60"E
	852/2	05.894	04.00	C	26°36'44.27"N,77°51'30.39"E
	746	67.706	56.40	F	26°36'33.25"N,77°51'54.11"E
Kentthri (Teshil-Morena)	2	17.62	15.50	G	26°36'30.94"N,77°51'48.13"E
	103	11.432	9.51	H	26°36'32.04"N,77°51'40.84"E
				I	26°36'31.61"N,77°51'35.33"E
				J	26°36'18.23"N,77°50'47.10"E
	101	01.327	0.80	D	26°36'41.63"N,77°52'06.51"E
			E	26°36'33.92"N,77°52'07.27"E	
			A	26°36'06.58"N,77°50'08.32"E	
			K	26°36'01.65"N,77°50'11.97"E	
Total			118.66		

Division- Morena, Distt.- Morena Tehsil- Morena Name of Site/Ghat- Rajghat

Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. Total area (In ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (In ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Bhanpur	2	25.30	21.05	B	26°39'35.04"N,77°54'46.01"E
	3	01.34	01.34	C	26°39'35.76"N,77°54'59.58"E
					26°39'31.65"N,77°55'49.46"E
					26°39'30.29"N,77°56'08.36"E
					26°39'25.26"N,77°56'27.61"E
		14	01.50	0.80	I
	15	01.50	0.80	J	26°39'26.82"N,77°55'32.06" E
	16	0.39	0.39	K	26°39'30.40"N,77°55'27.44" E
	17	02.38	0.80	L	26°39'26.00"N,77°55'26.01" E
Piprai	2	03.49	2.40	M	26°39'29.05"N,77°55'08.45"E
	177	19.51	17.91	N	26°39'30.26"N,77°55'07.57" E
				O	26°39'30.12"N,77°55'03.92" E
				P	26°39'30.80"N,77°54'58.65" E
				Q	26°39'29.33"N,77°54'49.10" E
				R	26°39'22.87"N,77°54'49.60" E
				S	26°39'23.26"N,77°54'42.23" E
				T	26°39'24.49"N,77°54'42.17" E
	180	03.10	2.10	G	26°39'24.04"N,77°56'41.70"E
				H	26°39'21.48"N,77°56'41.99"E
	236	28.39	16.71	A	26°39'31.08"N,77°54'26.42"E
239	28.40	14.60	U	26°39'20.74"N,77°54'29.45"E	
Total			78.90		

4. राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य मुरैना के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2020 के उपाबंध-IV की सारणी पृष्ठ क्रमांक 19 से 21 के स्थान पर निम्नानुसार सारणी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

जिला	क्र.सं.	2 किलोमीटर परिधि पर स्थित ग्राम के नाम	अक्षांश / देशांतर
श्यापुर	1.	हांडी	उ 25 ⁰ 23'55.32" पू 76 ⁰ 37'16.22"
	2.	कल्मुंडा	उ 25 ⁰ 24'21.06" पू 76 ⁰ 37'57.61"
	3.	बडोदिया बिंदी	उ 25 ⁰ 24'54.10" पू 76 ⁰ 36'20.50"
	4.	पाली	उ 25 ⁰ 25'44.00" पू 76 ⁰ 37'46.42"
	5.	ढीकरीया	उ 25 ⁰ 26'13.23" पू 76 ⁰ 38'05.85"
	6.	कुंआजापुर	उ 25 ⁰ 26'45.00" पू 76 ⁰ 34'20.00"
	7.	बासौद	उ 25 ⁰ 29'53.22" पू 76 ⁰ 35'52.25"
	8.	बीदा खेडली	उ 25 ⁰ 27'20.00" पू 76 ⁰ 34'25.00"
	9.	उतनबाद	उ 25 ⁰ 33'36.27" पू 76 ⁰ 34'06.31"
	10.	गोध्या अडवाड़	उ 25 ⁰ 39'27.00" पू 76 ⁰ 31'44.98"
	11.	बिट्ठलपुर	उ 25 ⁰ 42'15.22" पू 76 ⁰ 33'29.23"
	12.	चक जुवाड	उ 25 ⁰ 44'54.81" पू 76 ⁰ 32'34.95"
	13.	बनवाड़ा	उ 25 ⁰ 39'57.45" पू 76 ⁰ 36'47.33"
	14.	खोजीपुरा	उ 25 ⁰ 56'52.36" पू 76 ⁰ 50'46.14"
	15.	खैरोद कलां	उ 26 ⁰ 00'48.00" पू 76 ⁰ 52'00.00"
	16.	अकोरीया	उ 26 ⁰ 00'34.62" पू 76 ⁰ 53'11.43"
	17.	हीरापुरा	उ 26 ⁰ 03'38.87" पू 76 ⁰ 56'18.16"
	18.	उदोतपुरा	उ 26 ⁰ 04'09.24" पू 76 ⁰ 58'01.87"
	19.	पराशता	उ 26 ⁰ 05'13.80" पू 76 ⁰ 58'22.61"
	20.	दौलपुरा	उ 26 ⁰ 04'55.86" पू 76 ⁰ 59'03.37"
मुरैना	21.	गुरैमा	उ 26 ⁰ 20'18.87" पू 77 ⁰ 27'20.76"
	22.	हीरापुर	उ 26 ⁰ 19'46.16" पू 77 ⁰ 28'46.70"
	23.	बरहाना	उ 26 ⁰ 30'33.71" पू 77 ⁰ 48'33.97"
	24.	रिठौना	उ 26 ⁰ 44'43.17" पू 78 ⁰ 12'49.95"
भिण्ड	25.	अर्जुनपुरा	उ 26 ⁰ 44'19.71" पू 78 ⁰ 33'07.55"
	26.	चितावली	उ 26 ⁰ 43'06.07" पू 78 ⁰ 45'00.15"
	27.	भोनपुरा	उ 26 ⁰ 36'21.78" पू 78 ⁰ 56'38.62"

एवं उक्त अधिसूचना के पृष्ठ क्र. 32 पर अंग्रेजी भाषा में दिए गई Annexure-IV की सारणी पृष्ठ क्र. 37 से 39 के स्थान पर निम्नानुसार सारणी सम्मिलित की जावे-

Annexure-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF NATIONAL CHAMBAL
SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

District	S.No.	Name of village situated on 2 km. periphery	Latitude / longitude
Sheopur	1	Handi	N 25 ⁰ 23'55.32" E 76 ⁰ 37'16.22"
	2	Kalmunda	N 25 ⁰ 24'21.06" E 76 ⁰ 37'57.61"
	3	Badodiya Bindi	N 25 ⁰ 24'54.10" E 76 ⁰ 36'20.50"
	4	Pali	N 25 ⁰ 25'44.00" E 76 ⁰ 37'46.42"
	5	Dhikariya	N 25 ⁰ 26'13.23" E 76 ⁰ 38'05.85"
	6	Kwahanjapur	N 25 ⁰ 26'45.00" E 76 ⁰ 34'20.00"
	7	Basod	N 25 ⁰ 29'53.22" E 76 ⁰ 35'52.25"
	8	Beeda khedli	N 25 ⁰ 27'20.00" E 76 ⁰ 34'25.00"
	9	Utanbad	N 25 ⁰ 33'36.27" E 76 ⁰ 34'06.31"
	10	Godha Adwad	N 25 ⁰ 39'27.00" E 76 ⁰ 31'44.98"
	11	Bitthalpur	N 25 ⁰ 42'15.22" E 76 ⁰ 33'29.23"
	12	Chak Juwad	N 25 ⁰ 44'54.81" E 76 ⁰ 32'34.95"
	13	Banwada	N 25 ⁰ 39'57.45" E 76 ⁰ 36'47.33"
	14	Khojipura	N 25 ⁰ 56'52.36" E 76 ⁰ 50'46.14"
	15	Khairod Kalan	N 26 ⁰ 00'48.00" E 76 ⁰ 52'00.00"
	16	Akoriya	N 26 ⁰ 00'34.62" E 76 ⁰ 53'11.43"
	17	Hirapura	N 26 ⁰ 03'38.87" E 76 ⁰ 56'18.16"
	18	Udotpura	N 26 ⁰ 04'09.24" E 76 ⁰ 58'01.87"
	19	Parashta	N 26 ⁰ 05'13.80" E 76 ⁰ 58'22.61"
	20	Daulpura	N 26 ⁰ 04'55.86" E 76 ⁰ 59'03.37"
Morena	21	Gurema	N 26 ⁰ 20'18.87" E 77 ⁰ 27'20.76"
	22	Hirapur	N 26 ⁰ 19'46.16" E 77 ⁰ 28'46.70"
	23	Barhana	N 26 ⁰ 30'33.71" E 77 ⁰ 48'33.97"
	24	Rithona	N 26 ⁰ 44'43.17" E 78 ⁰ 12'49.95"
Bhind	25	Arjunpura	N 26 ⁰ 44'19.71" E 78 ⁰ 33'07.55"
	26	Chitawali	N 26 ⁰ 43'06.07" E 78 ⁰ 45'00.15"
	27	Bhonpura	N 26 ⁰ 36'21.78" E 78 ⁰ 56'38.62"

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

ANNEXURE R-9

क्रमांक- 16A /2023/32-3

भोपाल, दिनांक 08/01/2024

प्रति,

- 1) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव ,
मध्य प्रदेश शासन,
गृह / वन / खनिज / राजस्व विभाग।
- 2) पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश ।
- 3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश ।
- 4) सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
- 5) आयुक्त, चंबल संभाग ।
- 6) पुलिस महानिरीक्षक, चंबल।
- 7) कलेक्टर, मुरैना / भिण्ड / श्योपुर।
- 8) पुलिस अधीक्षक, मुरैना / भिण्ड / श्योपुर।
- 9) वन मण्डलाधिकारी, मुरैना / भिण्ड / श्योपुर।

विषय:- एनजीटी प्रकरण OA 248/2022 (PB) (राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य में खनन से संबंधित) की अन्तर्विभागीय समीक्षा ।

विषयांतर्गत मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 08/01/2024 को आयोजित की गई । बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।


(लोकेश कुमार जांगिड़)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

Minutes of the meeting dated 08.01.2024 chaired by Chief Secretary
in the NGT matter OA 248 / 2022 (PB)

1. An interdepartmental meeting in hybrid mode was convened under the Chairpersonship of Chief Secretary to review the progress of compliance of the order dated 03.11.2023 in the matter OA 248 / 2022 (PB) "In Re: News item published in the Hindu dated 27.03.22 titled "Digging up the Chambal". List of attendees is as per Annexure-1 (attendees in person) and Annexure-2 (attended through VC).
2. Principal Secretary Environment made a detailed presentation (Annexure-3) to the Chief Secretary about the developments in the case. It was presented that the 207 hectare of area was de-notified on 31.01.2023 after the approval obtained from National Wildlife Board.

Request for permission of mining in NCS de-notified area was sent by GoMP to MoEF&CC on 08.06.2023 and reply was sent by MoEF&CC on 28.06.2023, with the following:

(1) Hon'ble SC in 'TN Godavarman vs Uol' in its order dated 26-04-2023 has stated that ".... mining within an area of 1 km from the boundary of protected area shall not be permissible"

(2) GoMP to submit a revised proposal for declaring ESZ around NCS.

In a VC by Secretary, MoEF&CC on 31.08.2023, GoMP was instructed to establish new ESZ boundaries around the de-notified area. Pursuant to that, proposal for making ESZ zero around de-notified area sent by GoMP to MoEF&CC on 30.10.2023 by the Environment department and after receiving their approval, GoMP shall need to approach Hon'ble Supreme Court to seek relaxation for mining, waiving the prohibition on mining (within 1 km of Sanctuary) laid down in the Godavarman Case on 26-04-2023.


3. The Forest department appraised about the progress made on the implementation of the 'Comprehensive Conservation & Protection Plan for National Chambal Sanctuary'. Action has been initiated on building new infrastructure, procuring drones, high speed boats and other equipment for Turtle and Gharial breeding facilities, research and monitoring, awareness and public participation and other protection measures. An amount of Rs. 19.48 Cr has been budgeted for, out of which Rs. 1.24 Cr has already been spent, and the implementation of the plan is underway.


4. Collectors of Morena, Sheopur and Bhind presented the progress of action taken by them to control the illegal mining, transportation and storage activities of sand from Sanctuary area. Commissioner Chambal and Collector Morena requested for deployment of a SAF company, to check the illegal mining more effectively. Chief Secretary asked DG Police to explore the possibility of the deployment of an additional SAF company in Morena.
5. Chief Secretary reiterated that district administration must ensure complete check on the illegal mining, transportation and storage of sand from NCS area and that all steps be taken to ensure strict compliance of Hon'ble NGT orders passed from time to time. Chief Secretary instructed Collectors and SPs to ramp up the action against illegal mining in the next week and directed Commissioner Chambal to review it on a daily basis. She also directed that the action must be continuous on an ongoing basis.
6. Chief Secretary asked the mining department to ensure allotment of tenders for legal sand mining in Sindh river in Bhind is completed within two weeks. Moreover, mining department should take immediate necessary steps, including approaching Hon'ble Supreme Court if necessary, to ensure that legal mining is permitted at the earliest. Chief Secretary instructed to seek an opinion from the office of Advocate General in this regard and do the needful further.
7. The meeting ended with vote of thanks to the chair.


(J.N. Kansotiya)
Additional Chief Secretary
Forest Department


(Rajesh Rajpratap)
Additional Chief Secretary
Home Department


(Abhay Kumar Patil)
Principal Chief Conservator of Forest
and Head of Forest Force


(Gulshan Bamra)
Principal Secretary
Environment Department


(Chandra Mohan Thakur)
Member Secretary
MP Pollution Control Board


(Rajeev Ranjan Meena)
Managing Director
M.P. Mining Corporation

Annexure – 1

The meeting was attended by the following officers in person:

1. Sh JN Kansotiya, Additional Chief Secretary, Department of Forest
2. Sh Rajesh Rajora, Additional Chief Secretary, Department of Home
3. Sh Sudhir Saxena, Director General of Police, Madhya Pradesh
4. Sh Abhay Patil, PCCF and Head of Forest Force, Madhya Pradesh
5. Sh Gulshan Bamra, Principal Secretary, Environment Department
6. Sh Nikunj Srivastava, Principal Secretary, Department of Revenue
7. Sh Aseem Shrivastava, PCCF (Wildlife), Madhya Pradesh
8. Sh Satyanand Dube, Addl PCCF (Wildlife), Madhya Pradesh
9. Sh Rajiv Ranjan Meena, MD, Madhya Pradesh Mining Corporation
10. Sh Chandra Mohan Thakur, Member Secretary, MP Pollution Control Board
11. Sh Lokesh Kumar Jangid, Deputy Secretary, Department of Environment

Annexure – 2

The meeting was attended by the following officers through VC:

1. Sh Deepak Singh, Commissioner, Chambal Division
2. Sh Sushant Saxena, IG Chambal Range
3. Sh Ankit Asthana, Collector Morena
4. Sh Sanjeev Shrivastava, Collector Bhind
5. Sh Sanjay Kumar, Collector Sheopur
6. Sh Shailendra Singh Chouhan, SP Morena
7. Dr Asit Yadav, SP Bhind
8. Sh Rai Singh Narwariya, SP Sheopur
9. Sh Swaroop Dixit, Director National Chambal Sanctuary, Morena

Ann.-3



Government of Madhya Pradesh
Meeting with Chief Secretary on 08.01.2024 (11 am)

ACTION TAKEN REPORT (AS ON 31-12-23)
by Government of Madhya Pradesh
In compliance of
NGT Order Dated 03-11-2023
OA 248 / 2022 (Mining in Chambal Sanctuary)
Next Date of Hearing: 19.01.2024

Synopsis of Earlier Orders by NGT in NCS Mining Case

- Monthly review meetings by the Chief Secretaries and DGPs with DMs, SPs and other concerned Departments be taken.
- Inter state co-ordination of the officers of the three states of MP, UP & Rajasthan to control illegal mining and inter state transportation of the sand.
- District Authorities to periodically monitor it and ensure compliance of (2016 and 2020) Guidelines and control illegal mining.
- Secretary, MoEF&CC to have monitoring with Chief Secretary of MP to provide clarity on acceptability of Notification dated 31.01.2023 de-notifying 207 Ha from the sanctuary

Operative Part of Latest NGT Order Dated 03.11.2023

- Stage of finalization of the '**Comprehensive Conservation and Protection Plan for National Chambal Sanctuary**' to be submitted by GoMP
- State of MP is directed to place on record and explain as to ***how for the purpose of sand mining, the NCS area can be de-notified***
- Concerned State Authorities to take further action in pursuant to the earlier directions of the Tribunal and **to file fresh action taken reports after 8 weeks** (i.e. by end of Dec 2023)

De-notification of NCS Area and Mining : Timeline

1. **207 Ha area de-notified from NCS by GoMP on 31-01-2023**, after approval from National Wildlife Board
 2. Request for permission of mining in NCS de-notified area sent by GoMP to MoEF&CC on 08-06-2023
 3. Reply by MoEF&CC on 28-06-2023, with two main points:
 - a) **Hon'ble SC in 'TN Godavarman vs UoI' in its order dated 26-04-2023 has stated that "....mining within an area of 1 km from the boundary of protected area shall not be permissible."**
 - b) GoMP to submit a revised proposal for declaring ESZ around NCS
 4. In a VC by Secretary, MoEF&CC on 31-08-2023, GoMP was instructed to establish new ESZ boundaries
 5. **Proposal for making ESZ zero around de-notified area sent by GoMP to MoEF&CC on 30-10-2023**
- *Next, GoMP shall need to file SLP in Hon'ble Supreme Court to seek relaxation for mining, waiving the prohibition on mining (within 1 km of Sanctuary) laid down in the Godavarman Case.***

Action Taken by District Administration (01-04-2022 to 31-12-23)

S. No.	Action Taken	Morena		Sheopur		Bhind*		Total		Act/ Rule
		As on 31-10-2023	As on 31-12-2023							
1	Cases of Illegal Mining	96	114	3	3	14	64	113	181	<i>Madhya Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2022</i>
2	Cases of Illegal Transportation	304	340	142	150	455	857	901	947	
3	Cases of Illegal Storage	65	70	25	25	37	41	127	136	
4	Vehicles Seized	301	338	133	139	581	631	1015	1113	
5	Penalty Imposed (Rs. Lakhs)	32	32	22	23	1207	1272	1261	1332	
6	Penalty Recovered (Rs. Lakhs)	30	30	17	19	1130	1181	1178	1230	

***No illegal sand mining/ transportation / storage in NCS area in district Bhind.
Reported actions are for River Sindh**

Action Taken by District Administration

Sl No	Action Taken	Morena		Sheopur		Bhind*		Total		Act/ Rule
		As on 31-10-2023	As on 31-12-2023							
7	Vehicles Confiscated	91	93	14	17	02	02	107	112	<i>Section 52 of The Indian Forest Act 1927</i>
8	FIRs Lodged	120	134	39	42	78	84	237	260	<i>Section 379 and 414 of IPC</i>
9	PORs Lodged	214	232	69	71	-	0	283	303	<i>The Wildlife Protection Act 1972 and The Indian Forest Act 1927</i>
10	Accused/Criminals	368	392	153	159	563	563	1084	1114	<i>The Indian Penal Code, The Wildlife Protection Act 1972 and The Indian Forest Act 1927</i>
11	Action on Vehicles without number plate	7914	8832	09	09	251	251	8174	8543	<i>The Motor Vehicles Act, 1988</i>
12	Action on Overload Vehicles	2592	3667	-	-	150	166	2742	3233	

***No illegal sand mining/ transportation / storage in NCS area in district Bhind.
Reported actions are for River Sindh**

Action Taken by District Administration

SI No	Action Taken	Morena		Sheopur		Bhind*		Total		Act/ Rule
		As on 31-10-2023	As on 31-12-2023							
13.	Suspension of Arms License	04	04	00	00	00	00	04	04	Section 52 of The Indian Forest Act 1927
14.	Legal sand mines in the district	00	00	00	00	72	72	72	72	MP Sand (Mining, Transportation, Storage & Trading) Rules, 2019
15.	New licenses for sand storage	08	08	00	00	00	00	08	08	As above & MP Mineral (Prevention of Illegal Mining & Storage) Rules, 2022

***No illegal sand mining/ transportation / storage in NCS area in district Bhind.
Reported actions are for River Sindh**

Action Taken by Police Department

S.No.	Action Taken	Morena		Bhind		Sheopur		Total	
		As on 31-10-2023	As on 31-12-2023	As on 31-10-2023	As on 31-12-2023	As on 31-10-2023	As on 31-12-2023	As on 31-10-2023	As on 31-12-2023
1.	New check posts	17	17	03	03	05	05	25	25
2.	Force deployed	232	170	248	182	117	117	597	469
3.	CCTV Surveillance Locations	08	08	02	02	03	03	13	13
4.	Criminal cases registered	120	134	78	84	39	42	237	260
5.	Number of persons arrested	124	139	109	118	56	59	289	316
6.	Preventive Action (From Feb 2023 to 31December 2023)	27288 (36105 persons)	29776 (39153 persons)	31103 (35275 persons)	37663 (42227 persons)	7400 (8044 persons)	7805 (8462 persons)	65791 (79424 persons)	75244 (89842 persons)
7.	Wireless equipments deployed	569	569	449	449	305	305	1323	1323

Action Taken by Police Department

S. No.	Head	Action Taken
8.	Surveillance by drones	Surveillance by drones is being carried out in the sensitive areas
9.	River patrolling by motor boat	Joint river patrolling is being carried out by the police and forest staff in sensitive areas on motorboats of Forest.
10.	Force deployed	A company of SAF had been provided by PHQ to each of the districts of Morena & Bhind with modern weapons. This is in addition to the forces deployed in concerned police stations and police lines.

Inter State Coordination Meetings (Monthly)

Sl. No	Date of Meeting	Intra/Inter	Chaired by	Participants
1.	20 th March 2023	Inter State	Co-Chaired by Chief Secretaries of MP, Rajasthan and UP	<ol style="list-style-type: none"> DGPs of MP, Rajasthan and UP ACS/PS/Secretary of Home Departments MP, Rajasthan and UP ACS/PS/Secretary of Mining Departments MP, Rajasthan and UP ACS/PS/Secretary of Forest and Environment Departments MP, Rajasthan and UP District Collectors, SPs and DFOs of Morena, Bhind, Sheopur and Gwalior (MP); Bharatpur and Dholpur (Rajasthan); Agra and Etawah (UP)
2.	11 th July 2023	Inter- State	Jointly by District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP)	<ol style="list-style-type: none"> SPs of Morena (MP) and Dholpur (Rajasthan) DCP, Agra (UP) DFOs Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP) Transport, Mining and Revenue Officers of the three districts
3.	31 st Aug 2023	Inter- State	Secretary, MoEF&CC	<ol style="list-style-type: none"> ADGF (WL), MoEF&CC ACS/PS, Forest and Environment, UP, MP and Rajasthan Chief Wildlife Warden, UP, MP, Rajasthan IG Chambal (MP) DM, SP and DFO of Morena (MP), Gwalior (MP), Agra (UP), Sheopur (MP)
4.	25 th Sep 2023	Inter- State	Jointly by District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP)	<ol style="list-style-type: none"> SPs of Morena (MP) and Dholpur (Rajasthan) DCP, Agra (UP) DFOs Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP) Transport, Mining and Revenue Officers of the three districts
5.	06 th Oct 2023	Inter- State	Jointly by District Collectors, Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP)	<ol style="list-style-type: none"> SPs of Morena (MP) and Dholpur (Rajasthan) DCP, Agra (UP) DFOs Morena (MP), Dholpur (Rajasthan) and Agra (UP) Transport, Mining and Revenue Officers of the three districts

Check posts and Surveillance

- Mining, Police and Forest departments have increased the number of check posts to 32 from earlier 7 check posts
 - Morena – 22 (earlier 4)
 - Sheopur – 07 (earlier 02)
 - Bhind – 03 (earlier 01)
- Drone surveillance by **2 drone cameras** is being done by Forest department
- Drone surveillance has also been started by district Collector, Morena

Check posts and Surveillance

- GoMP has prepared a project of **installation of 100 electronic check posts in the entire state** with AI (Artificial Intelligence) enabled cameras, number plate/ RFID/ QR reader.
- In the first phase, the tendering process for 40 check posts has been completed. LoI has been issued.
- This **project will be implemented first in National Chambal Sanctuary with 5 such electronic check posts**. These will be made operational **by end of April 2024**.
 - Alabeli Police Chowki (Morena),
 - Banmore Tiraha Bypass (Morena),
 - Bandha Churaha (Morena),
 - Samarsa Check post (Sheopur),
 - Barhi Toll Plaza (Bhind)

Legal Alternatives for Demand of Sand

S.No	District	Tehsil	Village	Area (In Ha.)	Name of Quarry
1.	Morena	Joura	Khandoli 1	4.80	Barwasin Ghat
		Morena	Khandoli 2	5.00	
			Khandoli Kenthri 3	63.47	
		Morena	Bhanpur 1	5.00	Rajghat
			Bhanpur-Piprai 2	5.00	
			Piprai 3	40.87	
2.	Sheopur	Baroda	Kuhajapur	2.403	Kuhajapur- Barodia Ghat (Total Area-9.48 Ha.)
			Barodia Ghat	7.086	
Total Area				133.629	

- District Survey Reports (DSR) approved by MP SEIAA on 27/03/2023, 04 sand mines in Morena district declared in B-2 Class. As per requirement revised DSR approved by MP SEAC on 23-08-23.
- To improve the legal availability of sand in the districts of Morena and Bhind storage licenses have been sanctioned to contractors . Total storage of sand available in district Morena – 3.70 Lakh Cum

On Comprehensive Conservation & Protection Plan for NCS

Directions by NGT	Reply by Forest Department
As far as the State of MP is concerned, the report mentions about a detailed plan on "Comprehensive Conservation and Protection Plan for National Chambal Sanctuary". Learned Counsel for the State of MP has prayed for time to point out stage of finalization of the said proposed plan.	<p>"Comprehensive Conservation & Protection Plan for National Chambal Sanctuary" has been prepared and approved by competent authority for 2023-24 to 2027-28.</p> <p>Said plan is already being implemented by Forest & other concerned departments.</p>

Comprehensive Conservation & Protection Plan by Forest Department

Sr	Strategy	Action Point	Progress Till Date
1	Protection and Recovery of Species and their Habitat	1.1 Implementation of Court Order	Court Order being implemented 106 cases are of illegal sand transportation, 100 vehicles are seized, 54 vehicles are confiscated.
		1.2 Strengthen Intelligence Network	Being strengthened through Forest Committees and awareness campaigns amongst school students, intelligence network developed
		1.3 Strengthen inter-agency coordination	- After the NGT order dated : 06.02.2023, 10 District Level Task Force Meetings, 09 Divisional level Task Force Meetings & 09 Inter State Border Meetings have been organized to strengthen inter-agency coordination. -Coordinated raids are being conducted by Forest, Police and Mining Dept.
		1.4 Minimize mortality of eggs and hatchlings by effective patrolling in the nesting areas & better beach management	- At 44 nesting sites constant monitoring and patrolling is being done. - 04 temporary hatcheries are established every year, during the nesting season. - Patrolling by Motor Boat & On foot patrolling by SAF & Forest Staff. - Some vulnerable nests are fenced with Chain-link. - Gharial nests are protected against depredation by covering it by the metal net. - Drones are being used for surveillance of sensitive areas.

Comprehensive Conservation & Protection Plan by Forest Department

SI No	Strategy	Action Point	Progress Till Date
	Protection and Recovery of Species and their Habitat	1.5 Identify species specific Critical Habitats (CH) and ensure their protection	1. No. of CH identified – Muggar – 45 sites Gharial - 36 sites Dolphin- 30 sites (70 Km Approx) Indian skimmer – 52 sites 2. Protection being ensured by regular surveillance of nesting sites & Critical Habitat.
		1.6 Monitor key indicators like water quality and water flow	Monitoring of water quality is being done regularly by Wildlife Institute of India, Dehradun.
		1.7 Strengthen Deori Gharial rearing centre and Barhi Turtle rearing centre	Rs. 33.90 Lacs allotted for 2023-24

Comprehensive Conservation & Protection Plan by Forest Department

S. No	Strategy	Action Point	Progress Till Date
2	Adequate human Resources & Financial Support	2.1 Filling up of vacancies for effective patrolling	Recruitment of frontline staff is in process.
		2.2 Capacity building of the field staff	-Staff are being Sensitized through Regular Meetings at Division, District & Range level. -Field staff is being trained by the Wildlife Institute of India, Dehradun Scientists to develop scientific acumen. -Study tours to areas with best practices have been conducted.
		2.3 Ensure adequate financial resources	-A Five Yrs Action Plan for Rs 19.80 Cr Sanctioned, - for 2023-24 Rs 3.59 Crores Sanctioned till Date.

Comprehensive Conservation & Protection Plan by Forest Department

S. No	Strategy	Action Point	Progress Till Date
3.	Ensure scientific management of the National Chambal Sanctuary	3.1 Promote research & information exchange	--- 05 studies are under going- -- 02 on gharial, 02 on Indian skimmer and 01 on Dolphin, mugger & Gharial combined are under going in NCS by various research institutions, 01 on plant resource mapping on Chambal ravines and 01 on maintenance of aquatic ecosystem services under Namami Gange Project by Scientist of Wildlife Institute of India, Dehradun & other institutions are under progress.
		3.2 Ensure baseline survey and regular monitoring through standardized protocols	Every year surveys of nesting sites , hatchlings and estimation of major species are done.

1. Comprehensive Conservation & Protection Plan by Forest Department (contd...)

S. No	Strategy	Action Point	Progress Till Date												
4.	IEC activities for Public Participation & Promote Alternate Livelihood	<p>4.1 Set up a Biodiversity interpretation Centre & Kiosks at appropriate places.</p> <p>4.2 Organize education and awareness programmes for the public, especially students etc.</p> <p>4.3 Promote eco-tourism and ensure income from tourism for the locals.</p> <p>4.4 Promote alternate livelihood opportunities and capacity building of local youth.</p>	<p>4.1 Basic Nature Interpretation Centre at Deori Dist. Morena is functional.</p> <p>4.2 Anubhuti, an awareness and education campaign is organised for school children in all 3 Districts of the NCS every year during winters.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dn.Name</th> <th>No. of Camps</th> <th>No. of Students</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Morena</td> <td>14</td> <td>1680</td> </tr> <tr> <td>Sheopur</td> <td>16</td> <td>1920</td> </tr> <tr> <td>Bhind</td> <td>04</td> <td>480</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.3 Ecotourism activities are organised at Deori interpretation centre and boat rides in Chambal river are available for tourists.</p> <p>4.4 Alternate livelihood programmes are being planned for persons dependent on Chambal river for their livelihood.</p>	Dn.Name	No. of Camps	No. of Students	Morena	14	1680	Sheopur	16	1920	Bhind	04	480
Dn.Name	No. of Camps	No. of Students													
Morena	14	1680													
Sheopur	16	1920													
Bhind	04	480													
5.	Work towards International Recognition of NCS	Submit proposals for designation of NCS as UNESCO World Heritage Site & as RAMSAR Site.	Proposal for declaring NCS a Ramsar site has been approved by State Wetland authority.												

Comprehensive Conservation & Protection Plan (2023-24 to 2027-28)**Financial Estimates**

S. No.	Component	Budget Provision for Five Years (Rs. In Lakhs)	Budget Provision required for first year	Sanctioned till Date (Rs. In Lakhs)
1	2	3	4	5
1	New Infrastructure	362	245	48.3
2	Procurement & Maintenance of Equipment (Including Drones, High Speed Boats & Vehicles) for Turtle and Gharial rearing facilities	487.65	178.5	124.45
3	Research and Monitoring	419.06	70.53	74.75
4	Awareness, Conservation, Education and Public Participation	111.52	30.17	9.34
5	Protection Major	540.79	88.58	99
6	Miscellaneous Activities and Court Cases and other Expend.	26.64	8.54	3.54
Total		1947.66	621.32	359.38

Information about Survey of Aquatic Fauna of National Chambal Sanctuary

Year	Gharial	Dolphin	Mugger	Indian Skimmer
2018	1681	74	613	-
2019	1876	-	706	329
2020	1859	68	710	512
2021	2176	82	886	577
2022	2014	72	868	517
2023	2108	96	878	740


Information about collection of Turtle Eggs

S.No.	Year	No. of Eggs.
1	2018	5860
2	2019	4934
3	2020	7621
4	2021	7496
5	2022	7410
6	2023	7612


Information of Gharial Eggs Collection and hatching

Years	No. of Eggs Collected	No. of Eggs Hatched	Number of Gharial Released in River	Release Batch Year
2018	200	192	145	2013-2016
2019	200	184	396	2014-2017
2020	200	188	116	2018
2021	200	190	90	2018-2019
2022	200	189	94	2019-2020
2023	200	192	153	2019-2020-2021

* Currently 252 Gharials of Batch year 2020-23 are available in Deori Conservation, Rearing Centre




Gharial Nesting sites in National Chambal Sanctuary




Location of Turtle Hatcheries as part of turtle in-situ conservation




Gharial sightings during survey along National Chambal Sanctuary



Mugger sightings during the survey along National Chambal Sanctuary







THANK YOU!

ESTABLISHMENT OF RIVER SIDE HATCHERY






GHARIAL SITING DURING SURVEY ALONG NCS



MUGGER SITING DURING SURVEY ALONG NCS

DOLPHIN SITING DURING SURVEY ALONG NCS



New Infrastructure Progress



Action Taken By Police Administration

Annexure R-10 B

S.No	Action Taken	Morena		Bhind		Sheopur		Total	
		As on 31-10-2023	As on 31-12-2023						
1.	New check posts	17	17	03	03	05	05	25	25
2.	Force deployed	232	170	248	182	117	117	597	469
3.	CCTV Surveillance Locations	08	08	02	02	03	03	13	13
4.	Criminal cases registered	120	134	78	84	39	42	237	260
5.	Number of persons arrested	124	139	109	118	56	59	289	316

6.	Preventive Action (From Feb 2023 to 15 October 2023)	27288 (36105 persons)	29776 (39153 persons)	31103 (35275 persons)	37663 (42227 persons)	7400 (8044 persons)	7805 (8462 persons)	65791 (79424 persons)	75244 (89842 persons)
7.	Wireless equipments deployed	569	569	449	449	305	305	1323	1323
8.	Surveillance by drones	Surveillance by drones is being carried out in the sensitive areas							
9.	River patrolling by motor boat	Joint river patrolling is being carried out by the police and forest staff in sensitive areas on motorboats of Forest.							
10.	Force deployed	A company of SAF has been provided by PHQ to each of the districts of Morena & Bhind with modern weapons. This is in addition to the forces deployed in concerned police stations and police lines.							

Annexure R-10 C**Action Taken by District Administration**

S. No.	Action Taken	Morena		Sheopur		Bhind*		Total		Act/ Rule
		As on 31-10-2023	As on 31-12-2023							
1	Cases of Illegal Mining	96	114	3	3	14	64	113	181	<i>Madhya Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules,2022</i>
2	Cases of Illegal Transportation	304	340	142	150	455	857	901	947	
3	Cases of Illegal Storage	65	70	25	25	37	41	127	136	
4	Vehicles Seized	301	338	133	139	581	631	1015	1113	
5	Penalty Imposed (Rs. Lakhs)	32	32	22	23	1207	1272	1261	1332	
6	Penalty Recovered (Rs. Lakhs)	30	30	17	19	1130	1181	1178	1230	

S.No.	Action Taken	Morena		Sheopur		Bhind*		Total		Act / Rule
		As on 31-10-2023	As on 31-12-2023							
7	Vehicles Confiscated	91	93	14	17	02	02	107	112	<i>Section 52 of The Indian Forest Act 1927</i>
8	FIRs Lodged	120	134	39	42	78	84	237	260	<i>Section 379 and 414 of IPC</i>
9	PORs Lodged	214	232	69	71	-	0	283	303	<i>The Wildlife Protection Act 1972 and The Indian Forest Act 1927</i>
10	Accused/ Criminals	368	392	153	159	563	563	1084	1114	<i>The Indian Penal Code, The Wildlife Protection Act 1972 and The Indian Forest Act 1927</i>
11	Action on Vehicles without number plate	7914	8832	09	09	251	251	8174	8543	<i>The Motor Vehicles Act, 1988</i>

S.No.	Action Taken	Morena		Sheopur		Bhind		Total		Act / Rule
		As on 31-10-2023	As on 31-12-2023							
12	Action on Overload Vehicles	2592	3667	-	-	150	166	2742	3233	<i>The Motor Vehicles Act, 1988</i>
13	Suspension of Arms Licences	04	04	00	00	00	00	04	04	<i>Section 52 of The Indian Forest Act 1927</i>
14	Legal Sand Mines in the District	00	00	00	00	72	72	72	72	<i>MP Sand (Mining, Transportation, Storage & Trading) Rules, 2019</i>
15	New Licences for sand storage	08	08	00	00	00	00	08	08	<i>As above & MP Mineral (Prevention of Illegal Mining & Storage) Rules, 2022</i>

**No illegal sand mining/ transportation / storage in NCS area in district Bhind. Reported actions are for River Sindh*

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक / खनिज / एनजीटी / 248 / 2022 / 34
प्रति,

मुरैना, दिनांक 15.01.2024

प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन,
पर्यावरण विभाग, भोपाल (म0प्र0)।

ANNEXURE 10 D

विषय:- दिनांक 01 से 14 जनवरी 2024 तक की गई कार्यवाही की जानकारी बावत् ।
संदर्भ:- मा0राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली में दायर ओ.ए. क्रमांक / 248 / 2022 के संबंध में व्ही0सी0 में दिये गये निर्देशों के पालन में।

उपरोक्त विषयांतर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसीपल बैंच, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. क्रमांक / 248 / 2022 में पारित आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के प्रतिबंधित चम्बल नदी रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर दिनांक 01 से 14 जनवरी 2024 तक पुलिस, वन, खनिज एवं परिवहन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र०	विवरण	कुल योग
1	Cases of Illegal Mining	16
2	Cases of Illegal Transportation	21
3	Cases of Illegal Storage	09
4	Vehicles Seized	21
5	Penalty Imposed	76,250
6	Penalty Recovered	—
7	Vehicles Confiscated	—
8	FIRs Lodged	12
9	PORs Lodged	16
10	Accused/Criminals	15
11	Action on Vehicles without number plate	58
12	Action on Overload Vehicles	07
13	Suspension of Arms License	—
14	Legal sand mines in the district	—
15	New licenses for sand storage	—

टीप:- जिला मुरैना में चम्बल नदी से होने वाले रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण को रोकने के लिये अस्थाई चेक पॉइन्ट लगाकर जिला प्रशासन द्वारा चैकिंग करते हुये प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, जो कि आगे भी निरंतर जारी रहेगी ।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

मुरैना, दिनांक .01.2024

पृ0क्रमांक / खनिज / एनजीटी / 248 / 2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, चम्बल संभाग, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ ।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29 ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 25.10.2023 समय सांय 04.00 बजे

स्थान: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना

ANNEXURE R-11 (colly.)

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में दिनांक 25.10.2023 समय सांय 04.00 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (म0प्र0)।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान(IPS), पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0)
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना ।
4. श्री बी0एस0 कुशवाह, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ।
5. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
6. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
7. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना ।
8. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, मुरैना ।
9. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना ।

बैठक में निम्न 22 बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

- 1- N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248/2022 :-
N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248/2022 में आदेश दिनांक 20.07.2023 के पालन में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, चम्बल नदी व आसपास अवैध खनिज रेत उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर कार्यवाही स्पेशल चेक पोस्ट, अस्थाई चेक पोस्ट, कैमरा से निगरानी लगातार रखी जावेगी। S.A.F. की तैनाती आगामी पेशी दिनांक 03.11.2023 तक रहेगी। पूर्व में लिये गये लोग टर्म एण्ड शॉर्ट टर्म प्लान पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। वन विभाग को एन.जी.टी. आदेश के पालन में कार्यवाही करने के लिये स्पष्ट निर्देश दिये।
- 2- रेत खदानों का विवरण :-
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पर, चंबल नदी के 02 घाट-राजघाट एवं बरवासिन घाट पर 01-01 रेत खदानें बनाई गई थी। पूर्व बरवासिन घाट जिसका कुल रकवा 118.66 हे0 क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 16,37,508 घ0मी0 थी। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन मे उक्त घाट में तीन खदानें कमशः बरवासिन घाट-1 (खांडोली-1), बरवासिन घाट-2 (खांडोली-2), एवं बरवासिन घाट-3 (खांडोली-कैथरी-3) बनाई गई हैं, जिनका कुल रकवा कमशः(1)-4.80 हेक्ट0, (2)-5.00 हेक्ट0 (3)-63.57हेक्ट0, इसप्रकार कुल रकवा 73.37 हे0 खनिज मात्रा 10,11,126 घ0मी0 है।
इसीप्रकार राजघाट पूर्व में 01 खदान डिनोटिफाइट की गई थी, जिसका कुल रकवा 78.90 हे0 क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 11,83,500 घ0मी0 थी। वर्तमान में उक्त घाट पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन मे तीन खदानें कमशः राजघाट-1(भानपुर-1), राजघाट-2 (भानपुर-पिपरई 2) एवं राजघाट-3(पिपरई-3)बनाई गई। जिनका कुल रकवा कमशः (1)-5.00 हेक्ट0, (2)-5.00 हेक्ट0 (3)-40.87 हेक्ट0, इसप्रकार कुल रकवा 50.87 हेक्ट0 खनिज मात्रा 7,63,050 घ0मी0 है।
- 3- रेत खदानों का D.S.R.:-
पूर्व में 31 मार्च 2023 को D.S.R. सिया से अनुमोदन हो गया था, जिसमें 02 घाटों की 02 खदानें थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाई गई, जिनका DSR SEAC से अनुमोदन हो गया है। SEIAA से अनुमोदन होना लंबित है।

क्रमश.....2

- 4- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइड किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कॉर्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अप्रैल 2024 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।
- 5- रेत के खनन योजना :-
मुरैना जिले में स्वीकृत 06 रेत खदानों में से 04 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 28.08.2023 एवं 02 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 29.08.2023 को अनुमोदित हो चुके हैं।
- 6- रेत भण्डारण अनुमति:-
जिला टास्कफोर्स में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में रेत खनिज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम 01 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति/अनुमति जारी की जाये।
जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में वर्तमान में 08 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान में इन रेत भण्डारण अनुज्ञप्तियों पर लगभग 3,70,000 घनमीटर खनिज रेत उपलब्ध है।
- 7- स्पेशल अस्थाई चौक पॉइंट :-
जिले में अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 02 स्पेशल चौक पॉइन्ट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है
1. अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (38 पुलिस बल)-
थाना सरायछौला
2. बरवासिन घाट पर (30 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
- 8- कैमरे से निगरानी:-
स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे। देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लावेली पुलिस चौकी पॉइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है।
- 9- ड्रोन से निगरानी:-
चंबल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।
- 10- ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही :-
जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा ओवरलोड वाहनों पर 01 अप्रैल 2022 से 25.10.2023 तक कुल 2592 वाहनो पर कार्यवाही करने का विवरण दिया है।

क्रमश.....3

11- आर.टी.ओ. नंबर :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार ओर अधिक कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।

जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग ने 7914 बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर कार्यवाही की गई है।

12- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 25.10.2023 तक कुल 120 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

13- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 25.10.2023 तक 214 पी.ओ.आर. काटी गई है।

14- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकड़े गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 29.08.2023 तक कुल 91 वाहनों को राजसात किये जाने की कार्यवाही की गई है।

15- अवैध रेत उत्खनन/भण्डारण :-

वनमण्डलाधिकारी जिला मुरैना द्वारा बताया गया कि, उनके विभाग ने दिनांक 01.04.2022 से 25.10.2023 तक कुल 96 अवैध रेत उत्खनन/भण्डारण के प्रकरण बनाये हैं। अवैध रेत भण्डारण के 65 प्रकरण बने हैं।

16- अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा :-

जिला खनि अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि, अवैध खनिज भंडारणों पर वर्ष 2021 में 15 प्रकरण, वर्ष 2022 में 59 एवं 2023 में 52 प्रकरण कुल 126 प्रकरणों में खनिज जप्त किया गया एवं शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा (टी.पी.) जारी की गई, जिससे शासन को खनिज राजस्व प्राप्त हुआ एवं अन्य टैक्स राशि ऑनलाईन जमा करवाई गई, जिससे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिली। यह कार्यवाही खनि अधिकारी जारी रखें, ऐसा निर्देश दिया गया।

क्रमश.....4

- 17- रेत खनिज के अतिरिक्त अन्य खनिज पर कार्यवाही:-
जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही खनिज विभाग अपने स्तर पर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / समस्त तहसीलदार / समस्त पटवारी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में करेंगे।

राजस्व विभाग खनिजों पर की गई कार्यवाही जिला खनि अधिकारी के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

तहसील बामोर के ग्राम रंचोली, पढावली, बिसेठा, अरदोनी, महाटोली, गडाजर, मितावली, धनेला, पारौली के सरपंचों/सचिवों, पटवारियों एवं संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन को रोकने के लिये जबाबदारी तय की जावेगी, जिससे कि अवैध खनिजों के उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।

- 18- ईट चिमनीभट्टों पर कार्यवाही:-

खनि अधिकारी मुरैना द्वारा बताया गया कि, जिले में संचालित ईट चिमनीभट्टों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा ईट चिमनीभट्टों पर कार्य करने वाले मजदूरों एवं ठेकेदार के मध्य होने वाले वाद विवाद की स्थिति से निपटने के लिये पुलिस, राजस्व एवं श्रम विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अवैध ईट चिमनीभट्टों पर नियमानुसार अवैध उत्खनन एवं अवैध भंडारण के प्रकरण दर्ज किये जा रहे हैं। उक्त संबंध में कलेक्टर महोदय के माध्यम से समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त तहसीलदारों को भी जारी कर कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया है।

- 19- खनिज रेत के वाहनों पर काटी जाने वाली ई टीपी :-

प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा खनिज रेत का परिवहन कर रहे वाहनों (ट्रक/डम्पर) पर कम से कम निम्नानुसार ई टीपी काटे जाने हेतु लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

क्रमांक	वाहन विवरण	मात्रा
1	06 चक्का	10 घ.मी.
2	10 चक्का	16 घ.मी.
3	12 चक्का	20 घ.मी.
4	14 चक्का	22 घ.मी.
5	16 चक्का	24 घ.मी.

उपरोक्त सारणी अनुसार रेत की ई-टीपी या इससे 2 से 4 घनमीटर अधिक खनिज मात्रा होने पर ओवरलोड का प्रकरण बनाने की कार्यवाही वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाये। उक्त निर्देश का पालन शीघ्र किया जाये। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा दिये गये।

- 20- पुलिस द्वारा चम्बल नदी से रेत का अवैध परिवहन पर कार्यवाही :-

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा अवगत कराया गया कि, पिछले दिनों पुलिस द्वारा अवैध चम्बल रेत परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किये गये, जिन पर आगामी कार्यवाही के लिये कलेक्टर महोदय के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी को वाहनों पर नियमानुसार राजसात की कार्यवाही हेतु लिखा गया।

- 21- दिनांक 10.04.2023 को लिये गये निर्णय अनुसार खनिज शाखा, जिला मुरैना के लिये 02 कम्प्यूटर कय करना है। यह कम्प्यूटर कय जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाकर इनका भुगतान डी.एम.एफ. राशि से किया जावेगा, जिसकी कार्यवाही प्रचलित है।

22- स्वीकृत खदानों में सुरक्षा के उपाये:-

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, स्वीकृत खदान क्षेत्रों में बारिस को ध्यान में रखते हुये सभी ठेकेदारों/पट्टेदारों को कलेक्टर जिला मुरैना की ओर से सूचनापत्र जारी करवाकर निर्देशित किया है कि, सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाये करें, जैसे-तारफेंसिंग, खुदाई, चौकीदार तैनात करें ।

नोट:-वर्षा/बारिस व चम्बल नदी में बाढ की स्थिति को ध्यान में रखते हुये एस.ए.एफ. बल को चम्बल नदी के निचले स्थानों से ऊपर अल्लाबेली चोकी पर लाया गया ।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिलेमें निर्देशानुसार अच्छी कार्यवाही होगी।

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023/1061

मुरैना,दिनांक

25/10/2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति,
2. मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29 ए खनिज भवन, अरेरां हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ ।
6. पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
7. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
9. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
14. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
15. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ ।

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 07.11.2023 समय सांय 04.00 बजे
स्थान: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में दिनांक 07.11.2023 समय सांय 04.00 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (म0प्र0)।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान(IPS), पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0)
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना ।
4. श्री बी0एस0 कुशवाह, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ।
5. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
6. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
7. श्री भूरा गायकवाड, अधीक्षक, रा0च0आ0 देवरी मुरैना (म0प्र0)।
8. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना ।
9. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, मुरैना ।
10. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना ।

बैठक में निम्न 20 बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248 / 2022 :-

N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248 / 2022 में आदेश दिनांक 20.07.2023 के पालन में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, चम्बल नदी व आसपास अवैध खनिज रेत उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर कार्यवाही स्पेशल चेक पोस्ट, अस्थाई चेक पोस्ट, कैमरा से निगरानी लगातार रखी जावेगी। S.A.F. की तैनाती आगामी आदेश दिनांक तक रहेगी। पूर्व में लिये गये लोग टर्म एण्ड शॉर्ट टर्म प्लान पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। वन विभाग को एन.जी.टी. आदेश के पालन में कार्यवाही करने के लिये स्पष्ट निर्देश दिये।

2- रेत खदानों का विवरण :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पर, चंबल नदी के 02 घाट-राजघाट एवं बरवासिन घाट पर 01-01 रेत खदानें बनाई गई थी। पूर्व बरवासिन घाट जिसका कुल रकवा 118.66 हे0 क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 16,37,508 घ0मी0 थी। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उक्त घाट में तीन खदानें क्रमशः बरवासिन घाट-1 (खांडोली-1), बरवासिन घाट-2 (खांडोली-2), एवं बरवासिन घाट-3 (खांडोली-कैथरी-3) बनाई गई हैं, जिनका कुल रकवा क्रमशः(1)-4.80 हेक्ट0, (2)-5.00 हेक्ट0 (3)-63.57 हेक्ट0, इसप्रकार कुल रकवा 73.37 हे0 खनिज मात्रा 10,11,126 घ0मी0 है।

इसीप्रकार राजघाट पूर्व में 01 खदान डिनोटिफाइट की गई थी, जिसका कुल रकवा 78.90 हे0 क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 11,83,500 घ0मी0 थी। वर्तमान में उक्त घाट पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तीन खदानें क्रमशः राजघाट-1(भानपुर-1), राजघाट-2 (भानपुर-पिपरई 2) एवं राजघाट-3(पिपरई-3)बनाई गई। जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-5.00 हेक्ट0, (2)-5.00 हेक्ट0 (3)-40.87 हेक्ट0, इसप्रकार कुल रकवा 50.87 हेक्ट0 खनिज मात्रा 7,63,050 घ0मी0 है।

3- रेत खदानों का D.S.R.:-

पूर्व में 31 मार्च 2023 को D.S.R. सिया से अनुमोदन हो गया था, जिसमें 02 घाटों की 02 खदानें थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाई गई, जिनका DSR SEAC से अनुमोदन हो गया है। SEIAA से अनुमोदन होना लंबित है।

क्रमश.....2

- 4- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइड किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अप्रैल 2024 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।
- 5- रेत के खनन योजना :-
मुरैना जिले में स्वीकृत 06 रेत खदानों में से 04 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 28.08.2023 एवं 02 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 29.08.2023 को अनुमोदित हो चुके हैं।
- 6- रेत भण्डारण अनुमति:-
जिला टास्कफोर्स में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में रेत खनिज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम 01 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति/अनुमति जारी की जाये।
जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में वर्तमान में 08 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान में इन रेत भण्डारण अनुज्ञप्तियों पर लगभग 3,10,000 घनमीटर खनिज रेत उपलब्ध है।
- 7- स्पेशल अस्थाई चैक पोइंट :-
जिले में अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 02 स्पेशल चैक पोइंट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है
1. अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (38 पुलिस बल)-
थाना सरायछौला
2. बरवासिन घाट पर (30 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
- 8- कैमरे से निगरानी:-
स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे। देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लावेली पुलिस चौकी पोइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है।
- 9- ड्रोन से निगरानी:-
चंबल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।

10- ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही :-

जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा ओवरलोड वाहनों पर 01 अप्रैल 2022 से 07.11.2023 तक कुल 2592 वाहनो पर कार्यवाही करने का विवरण दिया है।

11- आर.टी.ओ. नंबर :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार ओर अधिक कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।

12- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 07.11.2023 तक कुल 120 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

13- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 07.11.2023 तक 214 पी.ओ.आर. काटी गई है।

14- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकड़े गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 07.11.2023 तक कुल 91 वाहनों को राजसात किये जाने की कार्यवाही की गई है।

15- अवैध रेत उत्खनन/भण्डारण :-

वनमण्डलाधिकारी जिला मुरैना द्वारा बताया गया कि, उनके विभाग ने दिनांक 01.04.2022 से 07.11.2023 तक कुल 96 अवैध रेत उत्खनन/भण्डारण के प्रकरण बनाये हैं। अवैध रेत भण्डारण के 65 प्रकरण बने हैं।

16- अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा :-

जिला खनि अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि, अवैध खनिज भंडारणों पर वर्ष 2022 में 59 एवं 2023 में 52 प्रकरण कुल 111 प्रकरणों में खनिज जप्त किया गया एवं शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा (टी.पी.) जारी की गई, जिससे शासन को खनिज राजस्व प्राप्त हुआ एवं अन्य टैक्स राशि ऑनलाईन जमा करवाई गई, जिससे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिली। यह कार्यवाही खनि अधिकारी जारी रखें, ऐसा निर्देश दिया गया।

17- रेत खनिज के अतिरिक्त अन्य खनिज पर कार्यवाही:-

जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही खनिज विभाग अपने स्तर पर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / समस्त तहसीलदार / समस्त पटवारी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में करेंगे।

राजस्व विभाग खनिजों पर की गई कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

तहसील बामोर के ग्राम रंचोली, पढावली, बिरोठा, अरदोनी, महाटोली, गडाजर, मितावली, धनेला, पारौली के सरपंचों/सचिवों, पटवारियों एवं संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन को रोकने के लिये जवाबदारी तय की जावेगी, जिससे कि अवैध खनिजों के उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।

18- खनिज रेत के वाहनों पर काटी जाने वाली ई टीपी :-

प्रमुख सचिव म०प्र० शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा खनिज रेत का परिवहन कर रहे वाहनों (ट्रक/डम्पर) पर कम से कम निम्नानुसार ई टीपी काटे जाने हेतु लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

क्रमांक	वाहन विवरण	मात्रा
1	06 चक्का	10 घ.मी.
2	10 चक्का	16 घ.मी.
3	12 चक्का	20 घ.मी.
4	14 चक्का	22 घ.मी.
5	16 चक्का	24 घ.मी.

उपरोक्त सारणी अनुसार रेत की ई-टीपी या इससे 2 से 4 घनमीटर अधिक खनिज मात्रा होने पर ओवरलोड का प्रकरण बनाने की कार्यवाही वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाये। उक्त निर्देश का पालन शीघ्र किया जाये। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा दिये गये।

19- पुलिस द्वारा चम्बल नदी से रेत का अवैध परिवहन पर कार्यवाही :-

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा अवगत कराया गया कि, पिछले दिनों पुलिस द्वारा अवैध चम्बल रेत परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किये गये, जिन पर आगामी कार्यवाही के लिये कलेक्टर महोदय के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी को वाहनों पर नियमानुसार राजसात की कार्यवाही हेतु लिखा गया।

20- स्वीकृत खदानों में सुरक्षा के उपाये:-

जिला खनिज अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, स्वीकृत खदान क्षेत्रों में बारिस को ध्यान में रखते हुये सभी ठेकेदारों/पट्टेदारों को कलेक्टर जिला मुरैना की ओर से सूचनापत्र जारी करवाकर निर्देशित किया है कि, सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाये करें, जैसे-तारफेंसिंग, खुदाई, चौकीदार तैनात करें।

नोट:-वर्षा/बारिस व चम्बल नदी में बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुये एस.ए.एफ. बल को चम्बल नदी के निचले स्थानों से ऊपर अल्लाबेसी चोकी पर लाया गया।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में निर्देशानुसार अच्छी कार्यवाही होगी।

कलेक्टर
जिला मुरैना (म०प्र०)

क्रमश.....5

पृ.क्रमांक / खनिज / टास्क. / 2023 / 1072

मुरैना, दिनांक 07.11.2023

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति,
2. मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29 ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
7. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
9. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी / भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
15. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में दिनांक 23.11.2023 समय प्रातः 11:00 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (म0प्र0)।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान(IPS), पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0)
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना ।
4. श्री बी0एस0 कुशवाह, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ।
5. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
6. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
7. श्री भूरा गायकवाड, अधीक्षक, रा0च0अ0 देवरी मुरैना (म0प्र0)।
8. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना ।
9. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, मुरैना ।
10. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना ।

बैठक में निम्न 20 बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- रेत खदानों का विवरण :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पर, चंबल नदी के 02 घाट-राजघाट एवं बरवासिन घाट पर 01-01 रेत खदानें बनाई गई थी। पूर्व बरवासिन घाट जिसका कुल रकवा 118.66 हे0 क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 16,37,508 घ0मी0 थी। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उक्त घाट में तीन खदानें क्रमशः बरवासिन घाट-1 (खांडोली-1), बरवासिन घाट-2 (खांडोली-2), एवं बरवासिन घाट-3 (खांडोली-कैंथरी-3) बनाई गई हैं, जिनका कुल रकवा क्रमशः(1)-4.80 हेक्ट0, (2)-5.00 हेक्ट0 (3)-63.57 हेक्ट0, इसप्रकार कुल रकवा 73.37 हे0 खनिज मात्रा 10,11,126 घ0मी0 है।

इसीप्रकार राजघाट पूर्व में 01 खदान डिनोटिफाइट की गई थी, जिसका कुल रकवा 78.90 हे0 क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 11,83,500 घ0मी0 थी। वर्तमान में उक्त घाट पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तीन खदानें क्रमशः राजघाट-1(भानपुर-1), राजघाट-2 (भानपुर-पिपरई 2) एवं राजघाट-3(पिपरई-3)बनाई गई। जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-5.00 हेक्ट0, (2)-5.00 हेक्ट0 (3)-40.87 हेक्ट0, इसप्रकार कुल रकवा 50.87 हेक्ट0 खनिज मात्रा 7,63,050 घ0मी0 है।

2- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अप्रैल 2024 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।

3- N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248/2022 :-

N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248/2022 में आदेश दिनांक 20.07.2023 के पालन में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, चम्बल नदी व आसपास अवैध खनिज रेत उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर कार्यवाही स्पेशल चेक पोस्ट, अस्थाई चेक पोस्ट, कैमरा से निगरानी लगातार रखी जावेगी। S.A.F. की तैनाती आगामी आदेश दिनांक तक रहेगी। पूर्व में लिये गये लोग टर्म एण्ड शॉर्ट टर्म प्लान पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। वन विभाग को एन.जी.टी. आदेश के पालन में कार्यवाही करने के लिये स्पष्ट निर्देश दिये गये।

4- रेत के खनन योजना :-

मुरैना जिले में स्वीकृत 06 रेत खदानों में से 04 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 28.08.2023 एवं 02 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 29.08.2023 को अनुमोदित हो चुके हैं।

5- रेत खदानों का D.S.R.:-

पूर्व में 31 मार्च 2023 को D.S.R. सिया से अनुमोदन हो गया था, जिसमें 02 घाटों की 02 खदानें थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाई गईं, जिनका DSR SEAC से अनुमोदन हो गया है। SEIAA से अनुमोदन होना लंबित है।

6- रेत भण्डारण अनुमति:-

जिला टास्कफोर्स में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में रेत खनिज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम 01 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति/अनुमति जारी की जाये।

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में वर्तमान में 08 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान में इन रेत भण्डारण अनुज्ञप्तियों पर लगभग 3,10,000 घनमीटर खनिज रेत उपलब्ध है।

7- स्पेशल अस्थाई चैक पॉइंट :-

जिले में अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 02 स्पेशल चैक पॉइंट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है

1. अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (38 पुलिस बल)-थाना सरायछौला
2. बरवासिन घाट पर (30 पुलिस बल)-थाना सरायछौला

8- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे। देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लावेली पुलिस चौकी पॉइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है।

9- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।

10- ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही :-

जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा ओवरलोड वाहनों पर 01 अप्रैल 2022 से 23.11.2023 तक कुल 2592 वाहनो पर कार्यवाही करने का विवरण दिया है।

11- आर.टी.ओ. नंबर :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार ओर अधिक कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।

12- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 23.11.2023 तक कुल 120 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

13- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 23.11.2023 तक 214 पी.ओ.आर. काटी गई है।

14- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकड़े गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 23.11.2023 तक कुल 91 वाहनों को राजसात किये जाने की कार्यवाही की गई है।

15- अवैध रेत उत्खनन/भण्डारण :-

वनमण्डलाधिकारी जिला मुरैना द्वारा बताया गया कि, उनके विभाग ने दिनांक 01.04.2022 से 23.11.2023 तक कुल 96 अवैध रेत उत्खनन/भण्डारण के प्रकरण बनाये हैं। अवैध रेत भण्डारण के 65 प्रकरण बने हैं।

16- अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा :-

जिला खनि अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि, अवैध खनिज भंडारणों पर वर्ष 2022 में 59 एवं 2023 में 52 प्रकरण कुल 111 प्रकरणों में खनिज जप्त किया गया एवं शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा (टी.पी.) जारी की गई, जिससे शासन को खनिज राजस्व प्राप्त हुआ एवं अन्य टैक्स राशि ऑनलाईन जमा करवाई गई, जिससे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिली। यह कार्यवाही खनि अधिकारी जारी रखें, ऐसा निर्देश दिया गया।

मुरैना, दिनांक 23.11.2023

पृ.क्रमांक / खनिज / टास्क. / 2023 / 1085
प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति,
2. मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29 ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
7. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
9. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
15. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

स्थान: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में दिनांक 13.12.2023 समय प्रातः 11:00 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (म0प्र0)।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान(IPS), पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0)
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना ।
4. श्री सी0बी0 प्रसाद, अपर कलेक्टर, जिला मुरैना ।
5. श्री बी0एस0 कुशवाह, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ।
6. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
7. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
8. श्री भूरा गायकवाड, अधीक्षक, रा0च0अ0 देवरी मुरैना (म0प्र0)।
9. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना ।
10. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, मुरैना ।
11. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना ।

बैठक में निम्न 21 बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248 / 2022 :-

N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248 / 2022 में आदेश दिनांक 20.07.2023 के पालन में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, चम्बल नदी व आसपास अवैध खनिज रेत उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर कार्यवाही स्पेशल चेक पोस्ट, अस्थाई चेक पोस्ट, कैमरा से निगरानी लगातार रखी जावेगी। S.A.F. की तैनाती आगामी आदेश दिनांक तक रहेगी। पूर्व में लिये गये लोग टर्म एण्ड शॉर्ट टर्म प्लान पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। वन विभाग को एन.जी.टी. आदेश के पालन में कार्यवाही करने के लिये स्पष्ट निर्देश दिये गये।

2- इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट :-

आगरा बोर्डर की तर्ज पर अवैध खनिजों के परिवहन कर रहे वाहनों की जांच/धरपकड के लिये इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट सिस्टम लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। आगामी दिनों में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट धौलपुर बोर्डर एवं मुरैना बोर्डर पर भी लगाने का प्रस्ताव अपनी अपनी राज्य सरकारों को भेजा जायेगा, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।


इसी क्रम में जिला मुरैना में 03 इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट क्रमशः

1-अल्लावेली पुलिस चौकी, 2-बामोर तिराहा बायपास, 3-बंधा चौराह बरवासिन घाट रोड पर लगाये जायेंगे। शासन से अनुमोदन आना शेष है।

3- स्पेशल अस्थाई चैक पॉइंट :-

जिले मे अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 02 स्पेशल चैक पॉइन्ट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है

1. अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (38 पुलिस बल)-थानासरायछौला
2. बरवासिन घाट पर (30 पुलिस बल)-थाना सरायछौला



4- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइड किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अप्रैल 2024 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।

5- रेत खदानों का D.S.R.:-

पूर्व में 31 मार्च 2023 को D.S.R. सिया से अनुमोदन हो गया था, जिसमें 02 घाटों की 02 खदानें थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाई गईं, जिनका DSR SEAC से अनुमोदन हो गया है। SEIAA से अनुमोदन होना लंबित है।

6- रेत खदानों का विवरण :-

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पर, चंबल नदी के 02 घाट-राजघाट एवं बरवासिन घाट पर 01-01 रेत खदानें बनाई गई थी। पूर्व बरवासिन घाट जिसका कुल रकवा 118.66 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 16,37,508 घ०मी० थी। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उक्त घाट में तीन खदानें क्रमशः बरवासिन घाट-1 (खांडोली-1), बरवासिन घाट-2 (खांडोली-2), एवं बरवासिन घाट-3 (खांडोली-कैथरी-3) बनाई गई हैं, जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-4.80 हेक्ट०, (2)-5.00 हेक्ट० (3)-63.57 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 73.37 हे० खनिज मात्रा 10,11,126 घ०मी० है।

इसीप्रकार राजघाट पूर्व में 01 खदान डिनोटिफाइड की गई थी, जिसका कुल रकवा 78.90 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 11,83,500 घ०मी० थी। वर्तमान में उक्त घाट पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तीन खदानें क्रमशः राजघाट-1(भानपुर-1), राजघाट-2 (भानपुर-पिपरई 2) एवं राजघाट-3(पिपरई-3)बनाई गई। जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-5.00 हेक्ट०, (2)-5.00 हेक्ट० (3)-40.87 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 50.87 हेक्ट० खनिज मात्रा 7,63,050 घ०मी० है।

7- रेत के खनन योजना :-

मुरैना जिले में स्वीकृत 06 रेत खदानों में से 04 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 28.08.2023 एवं 02 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 29.08.2023 को अनुमोदित हो चुके हैं।

8- रेत भण्डारण अनुमति:-

जिला टास्कफोर्स में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में रेत खनिज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम 01 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति/अनुमति जारी की जाये।

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में वर्तमान में 08 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान में इन रेत भण्डारण अनुज्ञप्तियों पर लगभग 3,10,000 घनमीटर खनिज रेत उपलब्ध है।

9- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे। देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लावैली पुलिस चौकी पॉइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है।

10- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।

11- ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही :-

जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा ओवरलोड वाहनों पर 01 अप्रैल 2022 से 13.12.2023 तक कुल 2592 वाहनो पर कार्यवाही करने का विवरण दिया है।

12- आर.टी.ओ. नंबर :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार ओर अधिक कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।

13- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 13.12.2023 तक कुल 129 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

14- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 13.12.2023 तक 218 पी.ओ.आर. काटी गई है।

15- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकड़े गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 13.12.2023 तक कुल 91 वाहनों को राजसात किये जाने की कार्यवाही की गई है।

16- अवैध रेत उत्खनन/भण्डारण :-
वनमण्डलाधिकारी जिला मुरैना द्वारा बताया गया कि, उनके विभाग ने दिनांक 01.04.2022 से 13.12.2023 तक कुल 100 अवैध रेत उत्खनन/भण्डारण के प्रकरण बनाये हैं। अवैध रेत भण्डारण के 65 प्रकरण बने हैं।

17- अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा :-
जिला खनि अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि, अवैध खनिज भंडारणों पर वर्ष 2022 में 59 एवं 2023 में 53 प्रकरण कुल 112 प्रकरणों में खनिज जप्त किया गया एवं शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा (टी.पी.) जारी की गई, जिससे शासन को खनिज राजस्व प्राप्त हुआ एवं अन्य टैक्स राशि ऑनलाईन जमा करवाई गई, जिससे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिली। यह कार्यवाही खनि अधिकारी जारी रखें, ऐसा निर्देश दिया गया।

18- रेत खनिज के अतिरिक्त अन्य खनिज पर कार्यवाही:-
जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही खनिज विभाग अपने स्तर पर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /समस्त तहसीलदार /समस्त पटवारी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में करेंगे।

राजस्व विभाग खनिजों पर की गई कार्यवाही जिला खनि अधिकारी के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

तहसील बामोर के ग्राम रंचोली, पढावली, बिसेठा, अरदोनी, महाटोली, गडाजर, मितावली, धनेला, पारौली के सरपंचों/सचिवों, पटवारियों एवं संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन को रोकने के लिये जबाबदारी तय की जावेगी, जिससे कि अवैध खनिजों के उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।

19- खनिज रेत के वाहनों पर काटी जाने वाली ई टीपी :-

प्रमुख सचिव म०प्र० शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा खनिज रेत का परिवहन कर रहे वाहनों (ट्रक/डम्पर) पर कम से कम निम्नानुसार ई टीपी काटे जाने हेतु लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

क्रमांक	वाहन विवरण	मात्रा
1	06 चक्का	10 घ.मी.
2	10 चक्का	16 घ.मी.
3	12 चक्का	20 घ.मी.
4	14 चक्का	22 घ.मी.
5	16 चक्का	24 घ.मी.

उपरोक्त सारणी अनुसार रेत की ई-टीपी या इससे 2 से 4 घनमीटर अधिक खनिज मात्रा होने पर ओवरलोड का प्रकरण बनाने की कार्यवाही वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाये। उक्त निर्देश का पालन शीघ्र किया जाये। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा दिये गये।

20- स्वीकृत खदानों में सुरक्षा के उपाये:-

जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, स्वीकृत खदान क्षेत्रों में बारिस को ध्यान में रखते हुये सभी ठेकेदारों/पट्टेदारों को कलेक्टर जिला मुरैना की ओर से सूचनापत्र जारी करवाकर निर्देशित किया है कि, सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाये करें, जैसे-तारफेंसिंग, खुदाई, चौकीदार तैनात करें।

नोट:-वर्षा/बारिस व चम्बल नदी में बाढ की स्थिति को ध्यान में रखते हुये एस.ए.एफ. बल को चम्बल नदी के निचले स्थानों से ऊपर अल्लाबेली चोकी पर लाया गया।

21- पुलिस द्वारा चम्बल नदी से रेत का अवैध परिवहन पर कार्यवाही :-

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा अवगत कराया गया कि, पिछले दिनों पुलिस द्वारा अवैध चम्बल रेत परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किये गये, जिन पर आगामी कार्यवाही के लिये कलेक्टर महोदय के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी को वाहनों पर नियमानुसार राजसात की कार्यवाही हेतु लिखा गया ।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में निर्देशानुसार अच्छी कार्यवाही होगी।

de

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023/1157
प्रतिलिपि:-

मुरैना,दिनांक 21/12/2023

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति,
2. मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29 ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ ।
6. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
7. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
9. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
14. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
15. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।

de

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

कार्यवाही विवरण

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में दिनांक 26.12.2023 समय सांय 06:00 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (म0प्र0)।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान (IPS), पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0)
3. श्री स्वरूप दीक्षित (IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना ।
4. श्री सी0वी0 प्रसाद, अपर कलेक्टर, जिला मुरैना ।
5. श्री बी0एस0 कुशवाह, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ।
6. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
7. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
8. श्री भूरा गायकवाड, अधीक्षक, रा0च0अ0 देवरी मुरैना (म0प्र0)।
9. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना ।
10. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, मुरैना ।
11. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना ।

बैठक में निम्न 23 बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- स्पेशल अस्थाई चैक पोइंट :-

जिले मे अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 02 स्पेशल चैक पॉइन्ट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है

1. अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (38 पुलिस बल)-थानासरायछौला
2. बरवासिन घाट पर (30 पुलिस बल)-थाना सरायछौला

2- N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248/2022 :-

N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248/2022 में आदेश दिनांक 20.07.2023 के पालन में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, चम्बल नदी व आसपास अवैध खनिज रेत उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर कार्यवाही स्पेशल चेक पोस्ट, अस्थाई चेक पोस्ट, कैमरा से निगरानी लगातार रखी जावेगी। S.A.F. की तैनाती आगामी आदेश दिनांक तक रहेगी। पूर्व में लिये गये लोग टर्म एण्ड शॉर्ट टर्म प्लान पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। वन विभाग को एन.जी.टी. आदेश के पालन में कार्यवाही करने के लिये स्पष्ट निर्देश दिये गये।

3- इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट :-

आगरा बोर्डर की तर्ज पर अवैध खनिजों के परिवहन कर रहे वाहनों की जांच/धरपकड के लिये इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट सिस्टम लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। आगामी दिनों में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट धौलपुर बोर्डर एवं मुरैना बोर्डर पर भी लगाने का प्रस्ताव अपनी अपनी राज्य सरकारों को भेजा जायेगा, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

इसी क्रम में जिला मुरैना में 03 इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट क्रमशः

- 1-अल्लावेली पुलिस चौकी, 2-बामोर तिराहा बायपास, 3-बंधा चौराहा बरवासिन घाट रोड पर लगाये जायेंगे। शासन से अनुमोदन आना शेष है।

- 4- डी-नोटिफिकेशन एवं रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही :-
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के राजघाट एवं बरवासिन घाट को डी-नोटिफाइट किया गया है, जिसमें प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाकर नियमानुसार रेत खदान नीलाम करने की कार्यवाही माइनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा की जा रही है। इन खदानों में संभवतः माह अप्रैल 2024 तक नीलामी की कार्यवाही हो जाने के पश्चात् अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिये हैं कि, यह संख्या प्रत्येक घाट की 01-01 भी हो सकती है।
- 5- रेत खदानों का D.S.R.:-
पूर्व में 31 मार्च 2023 को D.S.R. सिया से अनुमोदन हो गया था, जिसमें 02 घाटों की 02 खदानें थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रत्येक घाट पर 03-03 खदानें बनाई गईं, जिनका DSR SEAC से अनुमोदन हो गया है। SEIAA से अनुमोदन होना लंबित है। रेत खदानों से संबंधित कोई कार्यवाही जिला स्तर पर लंबित नहीं है।
- 6- रेत खदानों का विवरण :-
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पर, चंबल नदी के 02 घाट-राजघाट एवं बरवासिन घाट पर 01-01 रेत खदानें बनाई गई थी। पूर्व बरवासिन घाट जिसका कुल रकवा 118.66 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 16,37,508 घ०मी० थी। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उक्त घाट में तीन खदानें क्रमशः बरवासिन घाट-1 (खांडोली-1), बरवासिन घाट-2 (खांडोली-2), एवं बरवासिन घाट-3 (खांडोली-कैंथरी-3) बनाई गई हैं, जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-4.80 हेक्ट०, (2)-5.00 हेक्ट० (3)-63.57 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 73.37 हे० खनिज मात्रा 10,11,126 घ०मी० है।
इसीप्रकार राजघाट पूर्व में 01 खदान डिनोटिफाइट की गई थी, जिसका कुल रकवा 78.90 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 11,83,500 घ०मी० थी। वर्तमान में उक्त घाट पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तीन खदानें क्रमशः राजघाट-1(भानपुर-1), राजघाट-2 (भानपुर-पिपरई 2) एवं राजघाट-3(पिपरई-3) बनाई गईं। जिनका कुल रकवा क्रमशः (1)-5.00 हेक्ट०, (2)-5.00 हेक्ट० (3)-40.87 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 50.87 हेक्ट० खनिज मात्रा 7,63,050 घ०मी० है। जिला स्तर पर संपूर्ण कार्यवाही कर आगामी कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय में भेजा गया है।
- 7- रेत के खनन योजना :-
मुरैना जिले में स्वीकृत 06 रेत खदानों में से 04 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 28.08.2023 एवं 02 रेत खदानों के खनन योजना दिनांक 29.08.2023 को अनुमोदित हो चुके हैं। यह कार्यवाही एक घाट एक खदान के हिसाब से भी की गई है।
- 8- रेत भण्डारण अनुमति:-
जिला टास्कफोर्स में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में रेत खनिज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम 01 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति/अनुमति जारी की जाये।
जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में वर्तमान में 08 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान में इन रेत भण्डारण अनुज्ञप्तियों पर लगभग 3,69,000 घनमीटर खनिज रेत उपलब्ध है।

9- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे। देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लावैली पुलिस चौकी पॉइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग रवंग कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है।

10- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।

11- ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही :-

जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा ओवरलोड वाहनों पर 01 अप्रैल 2022 से 26.12.2023 तक कुल 2612 वाहनो पर कार्यवाही करने का विवरण दिया है।

12- आर.टी.ओ. नंबर :-

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये हैं कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार ओर अधिक कार्यवाही की जाये एवं की गई कार्यवाही जिला अधिकारियों से साझा करें।

13- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 26.12.2023 तक कुल 134 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

14- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 26.12.2023 तक 223 पी.ओ.आर. काटी गई है।

15- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनो/पकडे गये वाहनो को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 26.12.2023 तक कुल 93 वाहनो को राजसात किये जाने की कार्यवाही की गई है।

- 16- अवैध रेत उत्खनन/भण्डारण :-
वनमण्डलाधिकारी जिला मुरैना द्वारा बताया गया कि, उनके विभाग ने दिनांक 01.04.2022 से 26.12.2023 तक कुल 100 अवैध रेत उत्खनन/भण्डारण के प्रकरण बनाये हैं। अवैध रेत भण्डारण के 65 प्रकरण बने हैं।
- 17- पत्थर उत्खनिपट्टा डिया से सिया में आवेदन एवं उनका संचालन :-
जिला खनि अधिकारी मुरैना द्वारा बताया गया कि, जिले में डिया में स्वीकृत खदानों में आवश्यक कार्यवाही उपरांत उनको दिनांक 25.12.2023 से पुनः संचालन हेतु कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जिससे खनिज राजस्व में वृद्धि होन की संभावना है।
- 18- अस्थायी अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा :-
जिला खनि अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि, अवैध खनिज भंडारणों पर वर्ष 2022 में 59 एवं 2023 में 60 प्रकरण कुल 119 प्रकरणों में खनिज जप्त किया गया एवं शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग अस्थायी अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा (टी.पी.) जारी की गई, जिससे शासन को खनिज राजस्व प्राप्त हुआ एवं अन्य टैक्स राशि ऑनलाईन जमा करवाई गई, जिससे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिली। यह कार्यवाही खनि अधिकारी जारी रखें, ऐसा निर्देश दिया गया।
- 19- रेल्वे निर्माण कार्य गौण खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित करना :-
अधोहस्ताक्षकर्ता द्वार जिला खनि अधिकारी मुरैना को निर्देशित किया कि भारत सरकार के रेल्वे ट्रेक निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले गौण खनिज मिट्टी, मुरम एवं अन्य गौण खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
जिला खनि अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि, रेल्वे ठेकेदारों द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले आवेदनों पर कार्यवाही करते हुये समय सीमा में अस्थायी अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा के माध्यम से खनिज मुरम/मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे खनिज राजस्व एवं अन्य टैक्स की प्राप्ति हो रही है, साथ ही भारत सरकार का लोकहित में जारी निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है।
- 20- रेत खनिज के अतिरिक्त अन्य खनिज पर कार्यवाही:-
जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही खनिज विभाग अपने स्तर पर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /समस्त तहसीलदार /समस्त पटवारी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में करेंगे।
राजस्व विभाग खनिजों पर की गई कार्यवाही जिला खनि अधिकारी के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।
तहसील बामोर के ग्राम रंचोली, पढावली, बिसेठा, अरदोनी, महाटोली, गडाजर, मितावली, धनेला, पारौली के सरपंचों/सचिवों, पटवारियों एवं संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन को रोकने के लिये जबाबदारी तय की जावेगी, जिससे कि अवैध खनिजों के उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।
- 21- स्वीकृत खदानों में सुरक्षा के उपाये:-
जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, स्वीकृत खदान क्षेत्रों में बारिस को ध्यान में रखते हुये सभी ठेकेदारों/पट्टेदारों को कलेक्टर जिला मुरैना की ओर से सूचनापत्र जारी करवाकर निर्देशित किया है कि, सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाये करें, जैसे-तारफेंसिंग, खुदाई, चौकीदार तैनात करें।
- नोट:-वर्षा/बारिस व चम्बल नदी में बाढ की रिथति को ध्यान में रखते हुये एस.ए.एफ. बल को चंबल नदी के निचले स्थानों से ऊपर अल्लाबेली चोकी पर लाया गया।

22- खनिज रेत के वाहनों पर काटी जाने वाली ई टीपी :-

प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा खनिज रेत का परिवहन कर रहे वाहनों (ट्रक/डम्पर) पर कम से कम निम्नानुसार ई टीपी काटे जाने हेतु लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

क्रमांक	वाहन विवरण	मात्रा
1	06 चक्का	10 घ.मी.
2	10 चक्का	16 घ.मी.
3	12 चक्का	20 घ.मी.
4	14 चक्का	22 घ.मी.
5	16 चक्का	24 घ.मी.

उपरोक्त सारणी अनुसार रेत की ई-टीपी या इससे 2 से 4 घनमीटर अधिक खनिज मात्रा होने पर ओवरलोड का प्रकरण बनाने की कार्यवाही वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाये। उक्त निर्देश का पालन शीघ्र किया जाये। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये गये।

23- पुलिस द्वारा चम्बल नदी से रेत का अवैध परिवहन पर कार्यवाही :-

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा अवगत कराया गया कि, पिछले दिनों पुलिस द्वारा अवैध चम्बल रेत परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किये गये, जिन पर आगामी कार्यवाही के लिये कलेक्टर महोदय के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी को वाहनों पर नियमानुसार राजसात की कार्यवाही हेतु लिखा गया।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में निर्देशानुसार अच्छी कार्यवाही होगी।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

मुरैना, दिनांक 27/12/2023

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023/1166

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति,
2. मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29 ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
7. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
9. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
15. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

समय दोपहर 01:00 बजे

स्थान: कलेक्ट्रेट व्ही0सी0 कक्ष, मुरैना

कार्यवाही विवरण

—00—

कलेक्ट्रेट व्ही0सी0 कक्ष, मुरैना में दिनांक 04.01.2024 समय दोपहर 01:00 बजे जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें

1. श्री अंकित अस्थाना (IAS), कलेक्टर एवं अध्यक्ष मुरैना (म0प्र0)।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान(IPS), पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना (म0प्र0)
3. श्री स्वरूप दीक्षित(IFS), वनमण्डलाधिकारी मुरैना ।
4. श्री सी0बी0 प्रसाद, अपर कलेक्टर, जिला मुरैना ।
5. श्री बी0एस0 कुशवाह, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ।
6. श्री एस0के0 निर्मल, जिला खनि अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
7. श्रीमती अर्चना परिहार, जिला परिवहन अधिकारी मुरैना (म0प्र0)।
8. श्री भूरा गायकवाड, अधीक्षक, रा0च0अ0 देवरी मुरैना (म0प्र0)।
9. श्री रामनिवास टुण्डेलकर, पी.आर.ओ., मुरैना ।
10. श्री सुरेन्द्र पटले, खनि निरीक्षक, मुरैना ।
11. श्री अभिषेक चक, सहा. मानचित्रकार, खनिज शाखा, मुरैना ।

बैठक में निम्न 24 बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1- **स्पेशल अस्थाई चैक पोइंट :-**

जिले में अतिरिक्त पुलिस बल(S.A.F.) प्राप्त होने पर 02 स्पेशल चैक पॉइन्ट पृथक से लगाये गये हैं, जिन पर निम्नानुसार बल तैनात किया गया है

1. अल्लावेली पुलिस चौक-नदी से ऊपर आने वाले रास्ते पर (38 पुलिस बल)-थानासरायछौला
2. बरवासिन घाट पर (30 पुलिस बल)-थाना सरायछौला

2- **N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248 / 2022 :-**

N.G.T. प्रकरण क्रमांक 248 / 2022 में आदेश दिनांक 20.07.2023 के पालन में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, चम्बल नदी व आसपास अवैध खनिज रेत उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर कार्यवाही स्पेशल चेक पोस्ट, अस्थाई चेक पोस्ट, कैमरा से निगरानी लगातार रखी जावेगी। S.A.F. की तैनाती आगामी आदेश दिनांक तक रहेगी। पूर्व में लिये गये लोग टर्म एण्ड शॉर्ट टर्म प्लान पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। वन विभाग को एन.जी.टी. आदेश के पालन में कार्यवाही करने के लिये स्पष्ट निर्देश दिये गये।

3- **इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट :-**

आगरा बोर्डर की तर्ज पर अवैध खनिजों के परिवहन कर रहे वाहनों की जांच/धरपकड के लिये इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट सिस्टम लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। आगामी दिनों में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट धौलपुर बोर्डर एवं मुरैना बोर्डर पर भी लगाने का प्रस्ताव अपनी अपनी राज्य सरकारों को भेजा जायेगा, ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

इसी क्रम में जिला मुरैना में 03 इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट क्रमशः

1-अल्लावेली पुलिस चौकी, 2-बामोर तिराहा बायपास, 3-बंधा चौराहा बरवासिन घाट रोड पर लगाये जायेंगे। शासन से अनुमोदन आना शेष है।

क्रमश.....2



9- कैमरे से निगरानी:-

स्थाई चेक पोस्ट पर कैमरों से निगरानी निरंतर की जाती रहे। देवरी में वन विभाग के 02 कैमरे लगे हैं। इसकी मॉनिटरिंग वन विभाग, मुरैना द्वारा की जाती है तथा अल्लाबैली पुलिस चौकी पॉइंट पर 03 कैमरे लगे हैं, इनकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने मोबाइलों से की जाती है।

10- ड्रोन से निगरानी:-

चम्बल नदी में क्षेत्र में 01 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके लिये जिले में वनमण्डलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ड्रोन की लॉगबुक तैयार की जाये एवं वीडियो फुटेज जरूरत अनुसार जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करावें।

11- ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही :-

जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना द्वारा ओवरलोड वाहनों पर 01 अप्रैल 2022 से 04.01.2024 तक कुल 3067 वाहनो पर कार्यवाही करने का विवरण दिया है।

12- बिना आर.टी.ओ. नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्यवाही :-

जिला परिवहन अधिकारी मुरैना द्वारा बताया गया कि, वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने की कार्यवाही तत्परता से की जा रही है। 01 अप्रैल 2022 से 04.01.2024 तक कुल 8283 वाहनो पर कार्यवाही की गई है। आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी।

13- एफ.आई.आर.:-

निजी भूमि स्वामियों की जमीन पर अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किया जाना पाये जाने पर उन पर एफ.आई.आर. की जा रही है। साथ ही उन समस्त वाहनों पर जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, उन पर भी एफ.आई.आर.की जा रही है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 04.01.2024 तक कुल 134 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

14- पी.ओ.आर. :-

वन विभाग द्वारा अपने वन परिक्षेत्रांतर्गत अवैध खनिज रेत उत्खनन/परिवहन/भंडारणकर्ताओं पर पी.ओ.आर. की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 04.01.2024 तक 232 पी.ओ.आर. काटी गई है।

15- वाहनो का राजसात :-

अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित वाहनों/पकडे गये वाहनों को वन अधिनियम में राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्यवाही में ओर तत्परता लायी जावे।

वनमण्डलाधिकारी, मुरैना द्वारा जानकारी दी गई कि, उनके विभाग में 01 अप्रैल 2022 से 04.01.2024 तक कुल 93 वाहनों को राजसात किये जाने की कार्यवाही की गई है।

16- अवैध रेत उत्खनन/भण्डारण :-

वनमण्डलाधिकारी जिला मुरैना द्वारा बताया गया कि, उनके विभाग ने दिनांक 01.04.2022 से 04.01.2024 तक अवैध रेत उत्खनन के 114 एवं अवैध रेत भण्डारण के 70 इसप्रकार कुल 184 प्रकरण बनाये हैं।

- 17- अवैध रेत उत्खनन, परिवहन, भंडारण में संलिप्त व्यक्तियों पर कार्यवाही :-
अवैध रेत खनिज परिवहन, भंडारण, उत्खनन में सम्मिलित अपराधियों पर कार्यवाही की गई है। वन, पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 04.01.2024 तक रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण में संलिप्त कुल 392 अपराधियों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है।
- 18- पत्थर उत्खनिपट्टा डिया से सिया में आवेदन एवं उनका संचालन :-
जिला खनि अधिकारी मुरैना द्वारा बताया गया कि, जिले में डिया में स्वीकृत खदानों में आवश्यक कार्यवाही उपरांत उनको दिनांक 25.12.2023 से पुनः संचालन हेतु कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जिससे खनिज राजस्व में वृद्धि होने की पूर्ण संभावना है।
- 19- अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा :-
जिला खनि अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि, अवैध खनिज भंडारणों पर वर्ष 2022 में 59 एवं 2023 में 64 प्रकरण कुल 123 प्रकरणों में खनिज जप्त किया गया एवं शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा (टी.पी.) जारी की गई, जिससे शासन को खनिज राजस्व प्राप्त हुआ एवं अन्य टैक्स राशि ऑनलाईन जमा करवाई गई, जिससे शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिली। यह कार्यवाही खनि अधिकारी जारी रखें, ऐसा निर्देश दिया गया।
- 20- रेल्वे निर्माण कार्य गौण खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित करना :-
अधोहस्ताक्षकर्ता द्वार जिला खनि अधिकारी मुरैना को निर्देशित किया कि भारत सरकार के रेल्वे ट्रेक निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले गौण खनिज मिटटी, मुरम एवं अन्य गौण खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
जिला खनि अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि, रेल्वे ठेकेदारों द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले आवेदनों पर कार्यवाही करते हुये समय सीमा में अस्थाई अनुज्ञा/परिवहन अनुज्ञा के माध्यम से खनिज मुरम/मिटटी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे खनिज राजस्व एवं अन्य टैक्स की प्राप्ति हो रही है, साथ ही भारत सरकार का लोकहित में जारी निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है। रेल्वे निर्माण कार्य से संबंधित कोई शिकायत लंबित नहीं है और ना ही प्राप्त हुई हैं।
- 21- रेत खनिज के अतिरिक्त अन्य खनिज पर कार्यवाही:-
जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही खनिज विभाग अपने स्तर पर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /समस्त तहसीलदार /समस्त पटवारी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में करेंगे।
राजस्व विभाग खनिजों पर की गई कार्यवाही जिला खनि अधिकारी के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।
तहसील बामोर के ग्राम रंचोली, पढावली, बिसेठा, अरदोनी, महाटोली, गडाजर, मितावली, धनेला, पारौली के सरपंचों/सचिवों, पटवारियों एवं संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन को रोकने के लिये जबाबदारी तय की जावेगी, जिससे कि अवैध खनिजों के उत्खनन, परिवहन पर अंकुश लगेगा।
- 22- स्वीकृत खदानों में सुरक्षा के उपाये:-
जिला खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि, स्वीकृत खदान क्षेत्रों में बारिस को ध्यान में रखते हुये सभी ठेकेदारों/पट्टेदारों को कलेक्टर जिला मुरैना की ओर से सूचनापत्र जारी करवाकर निर्देशित किया है कि, सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाये करें, जैसे-तारफेंसिंग, खुदाई, चौकीदार तैनात करें।
- नोट:-वर्षा/बारिस व चम्बल नदी में बाढ की स्थिति को ध्यान में रखते हुये एस.ए.एफ. बल को चम्बल नदी के निचले स्थानों से ऊपर अल्लाबेली चोकी पर लाया गया।

23- खनिज रेत के वाहनों पर काटी जाने वाली ई टीपी :-

प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग व संचालक कार्यालय द्वारा खनिज रेत का परिवहन कर रहे वाहनों (ट्रक/डम्पर) पर कम से कम निम्नानुसार ई टीपी काटे जाने हेतु लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

क्रमांक	वाहन विवरण	मात्रा
1	06 चक्का	10 घ.मी.
2	10 चक्का	16 घ.मी.
3	12 चक्का	20 घ.मी.
4	14 चक्का	22 घ.मी.
5	16 चक्का	24 घ.मी.

उपरोक्त सारणी अनुसार रेत की ई-टीपी या इससे 2 से 4 घनमीटर अधिक खनिज मात्रा होने पर ओवरलोड का प्रकरण बनाने की कार्यवाही वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाये। उक्त निर्देश का पालन शीघ्र किया जाये। ऐसे निर्देश अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये गये।

24- पुलिस द्वारा चम्बल नदी से रेत का अवैध परिवहन पर कार्यवाही :-

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा अवगत कराया गया कि, पिछले दिनों पुलिस द्वारा अवैध चम्बल रेत परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किये गये, जिन पर आगामी कार्यवाही के लिये कलेक्टर महोदय के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी को वाहनों पर नियमानुसार राजसात की कार्यवाही हेतु लिखा गया।

अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में निर्देशानुसार अच्छी कार्यवाही होगी।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

मुरैना, दिनांक 04/01/2024

पृ.क्रमांक/खनिज/टास्क./2023/07
प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति,
2. मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29 ए खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
7. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
9. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला खनि अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. जिला परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. अधीक्षक रा.च.अ. देवरी/भिण्ड की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
15. जनसंपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर

जिला मुरैना (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला श्योपुर (म.प्र.)

टॉस्क फोर्स बैठक दिनांक 05.04.2022 का कार्यवाही विवरण


जिला स्तर पर टॉस्क फोर्स समिति की बैठक दिनांक 05.04.2022 का कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई है। उक्त बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्योपुर, उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर, परिवहन अधिकारी श्योपुर एवं सहा. खनि अधिकारी श्योपुर उपस्थित हुए, बैठक की कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

बैठक में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई एवं सहायक खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम माह में अवैध परिवहन के कुल 13 प्रकरण दर्ज किये गये जिसमें से 6 प्रकरणों में संबंधित मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना बताया गया।


खनिजों के अवैध परिवहन में जप्त वाहनों को शासन के निर्देशानुसार मोटरयान कर, जमा होने की पुष्टि उपरान्त मुक्त करने के संबंध में चर्चा की गई। एवं पालन प्रतिवेदन भेजने का निर्णय लिया गया। खनिजों के अवैध परिवहन में संलग्न बिना नंबर के वाहनों के प्रकरणों में अर्थदण्ड जमा कराने के लिये परिवहन विभाग को प्रकरण प्रेषित करने का निर्णय लिया जाकर वाहनों में नंबर लिखवाने के लिये यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया गया है।

जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोकथाम हेतु पुलिस, राजस्व, परिवहन एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है, उक्त कार्यवाही हेतु तात्कालिक सूचना सभी विभागों को दी जायेगी।


बैठक सधन्यवाद समाप्त किया गया।


अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
जिला श्योपुर


कलेक्टर
जिला श्योपुर (म0प्र0)


सहा० खनि अधिकारी
जिला श्योपुर


उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल श्योपुर


परिवहन अधिकारी
जिला श्योपुर

कार्यालय कलेक्टर (खानि शाखा) जिला श्योपुर (म.प्र.)

टॉस्क फोर्स बैठक दिनांक 20.02.2023 का कार्यवाही विवरण

जिला स्तर पर टॉस्क फोर्स समिति की बैठक दिनांक 20.02.2023 का कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई है। उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक श्योपुर, वनमण्डलाधिकारी श्योपुर, अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर, क्षेत्रीय अधिकारी जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर, जिला आपूर्ती अधिकारी, परिवहन अधिकारी श्योपुर एवं प्रभारी खनि अधिकारी श्योपुर उपस्थित हुए, बैठक की कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

बैठक में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई एवं प्रभारी खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम माह में अवैध परिवहन के 41 एवं अवैध उत्खनन के 3 प्रकरण दर्ज किये गये है।


जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु पुलिस राजस्व, वन एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही का निर्णय लिया गया। खनिजों के अवैध परिवहन में संलग्न बिना नंबर के वाहनों तथा ओवरलोड परिवहन में खनिज नियमों के साथ-साथ परिवहन विभाग के नियमों में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। खनिज का परिवहन करने वाले ऐसे वाहन जिनमें वाहन का रजि. नंबर अंकित नहीं है उन्हें डीजल/पेट्रोल वितरण नहीं किये जाने हेतु चर्चा की गई।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 31.01.2023 के परिप्रेक्ष्य में जिला श्योपुर के तहसील बड़ौदा स्थित ग्राम कुँहाजापुर एवं बड़ौदिया घाट पर नवीन रेत खदान घोषित किये जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा सभी संबंधित विभागों को खदान घोषित किये जाने के संबंध में कार्यवाही नियत अवधि में करने के निर्देश दिये गये।


बैठक सधन्यवाद समाप्त किया गया।


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)


पुलिस अधीक्षक
जिला श्योपुर (म0प्र0)


कलेक्टर
जिला श्योपुर (म0प्र0)

परिवहन अधिकारी
जिला श्योपुर


खनिज अधिकारी
(खनि शाखा)
जिला श्योपुर


अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभाग श्योपुर
जिला श्योपुर (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला श्योपुर (म.प्र.)


टॉस्क फोर्स बैठक दिनांक 10 जुलाई 2023 का कार्यवाही विवरण

जिला स्तर पर टॉस्क फोर्स समिति की बैठक दिनांक 10.07.2023 का कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई है। उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक श्योपुर, वनमण्डलाधिकारी श्योपुर, जिला परिवहन अधिकारी श्योपुर एवं प्रभारी खनि अधिकारी श्योपुर उपस्थित हुए, बैठक की कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

बैठक में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई एवं प्रभारी खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम त्रैमास में एवं अवैध उत्खनन के 5 प्रकरण अवैध भण्डारण का 1 प्रकरण एवं अवैध परिवहन के 10 प्रकरण दर्ज किये गये हैं।

खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु सीमावर्ती जिलों के साथ अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित कर, अवैध परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु ऐजेण्डा बनाया जाकर शामिल का निर्णय लिया गया। खनिजों के अवैध परिवहन में संलग्न बिना नंबर के वाहनों तथा ओव्हरलोड परिवहन में खनिज नियमों के साथ-साथ परिवहन विभाग के नियमों में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। खनिज का परिवहन करने वाले ऐसे वाहन जिनमें वाहन का रजि. नंबर अंकित नहीं है संबंधित वाहन चालक/मालिक से चौकी प्रभारी द्वारा वाहनों पर लेखन शुल्क वसूल कर, वाहनों पर नंबर लिखवाये जाये। परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों पर पृथक से कार्यवाही की जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त किया गया।



वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)




पुलिस अधीक्षक
जिला श्योपुर (म0प्र0)



कलेक्टर
जिला श्योपुर (म0प्र0)

परिवहन अधिकारी
जिला श्योपुर



प्रभारी खनि अधिकारी
(खनि शाखा)
जिला श्योपुर (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर (खानि शाखा) जिला श्योपुर (म.प्र.)


टॉस्क फोर्स बैठक दिनांक 31 अगस्त 2023 का कार्यवाही विवरण


जिला स्तर पर टॉस्क फोर्स समिति की बैठक दिनांक 31.08.2023 का कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई है। उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक श्योपुर, वनमण्डलाधिकारी श्योपुर एवं प्रभारी खनि अधिकारी श्योपुर उपस्थित हुए, बैठक की कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-


बैठक में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई एवं प्रभारी खनि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में एवं अवैध उत्खनन के 6 प्रकरण अवैध भण्डारण का 1 प्रकरण एवं अवैध परिवहन के 14 प्रकरण दर्ज किये गये है।


खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु सीमावर्ती जिलों के साथ अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित कर, अवैध परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु एजेण्डा बनाया जाकर शामिल का निर्णय लिया गया। खनिजों के अवैध परिवहन में संलग्न बिना नंबर के वाहनों तथा ओव्हरलोड परिवहन में खनिज नियमों के साथ-साथ परिवहन विभाग के नियमों में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। खनिज का परिवहन करने वाले ऐसे वाहन जिनमें वाहन का रजि. नंबर अंकित नहीं है संबंधित वाहन चालक/मालिक से चौकी प्रभारी द्वारा वाहनों पर लेखन शुल्क वसूल कर, वाहनों पर नंबर लिखाये जाये। परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों पर पृथक से कार्यवाही की जावे।


बैठक सधन्यवाद समाप्त किया गया।


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)


पुलिस अधीक्षक
जिला श्योपुर (म0प्र0)


कलेक्टर
जिला श्योपुर (म0प्र0)


अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभाग श्योपुर


प्रभारी खनि अधिकारी
(खनि शाखा)
जिला श्योपुर (म0प्र0)



पत्र क्रमांक _____ दिनांक _____
शाखा का नाम खनिज
कलेक्टर

कार्यालय कमिश्नर, चम्बल संभाग, मुरैना {मध्यप्रदेश}

प्रथम तल, चम्बल भवन, ए.बी. रोड, मुरैना

दूरभाष:- (कार्या.) 07532-232900, नि. 07532-232660, ईमेल- commchambal@nic.in

क्रमांक/बैठक/2023/टास्क फोर्स/ 3414 मुरैना दिनांक 12/ 07 / 2023

//कार्यवाही विवरण//

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक 248/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के परिपालन में संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिनांक 12.07.2023 अपरान्ह 03:00 बजे संभाग स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नानुसार अधिकारीगण उपस्थित रहे:-

1. श्री सुशांत सक्सैना, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज।
2. मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर।
3. श्री अंकित अस्थाना, कलेक्टर जिला मुरैना।
4. श्री अनुज कुमार रोहतगी, प्रभारी कलेक्टर जिला श्योपुर।
5. डॉ. सतीश कुमार एस, कलेक्टर जिला भिण्ड।
6. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान पुलिस अधीक्षक, मुरैना।
7. श्री मनीष खत्री, पुलिस अधीक्षक भिण्ड।
8. श्री आलोक कुमार, पुलिस अधीक्षक जिला श्योपुर।
9. श्री राजेन्द्र सिंह, संयुक्त आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना।
10. जिला वन मण्डलाधिकारी मुरैना, भिण्ड व श्योपुर।
11. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क अधिकारी, मुरैना।
12. जिला परिवहन अधिकारी मुरैना, भिण्ड व श्योपुर।
13. जिला खनिज अधिकारी मुरैना, भिण्ड व श्योपुर।

जिला-मुरैना

कलेक्टर मुरैना द्वारा जिले में टास्क फोर्स के पालन में की गई कार्यवाही का पावर पॉइन्ट प्रिजेंटेशन प्रस्तुतीकरण किया गया। जिसमें अवगत कराया गया कि राजघाट एवं बरवासिन घाट पर नवीन रेत खदान घोषित करने की कार्यवाही दिनांक 27.03.2023 को पूर्ण कर ली गई है, जिनमें नीलामी की कार्यवाही शासन स्तर से किया जाना है। जिसके

(Handwritten signature)

लिये संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल को प्रेषित किये गये हैं।

चम्बल नदी में खनिज रेत के अवैध उत्खनन तथा परिवहन पर त्वरित कार्यवाही करते हुये जिले में 17 अस्थाई पुलिस चेक पॉइन्ट तथा 04 स्पेशल चेक पॉइन्ट लगाये गये हैं। साथ ही ड्रोन निगरानी तथा कैमरों के माध्यमों से रेत के अवैध व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों एवं वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही कर मुख्य मार्गों से लेकर चम्बल नदी तक खनिजों के अवैध परिवहन तथा उत्खनन के विरुद्ध कड़ाई से कार्यवाही की जा रही है।

जिले की धौलपुर बॉर्डर के समीप अल्लाबेली पुलिस चौकी पर स्थाई रूप से एक 20 लोगों का पुलिस बल तैनात किया गया है। यह चेक पॉइंट 24*7 कार्यरत है, जिससे अंतर्राज्यीय अवैध रेत परिवहन की रोकथाम करने में सफलता मिली है।

अल्लाबेली पुलिस चेक पोस्ट पर 02 स्टेटिक तथा 01- PT Z कैमरा स्थापित किये गये, जिनका रियल टाइम कंट्रोल पुलिस कंट्रोल में स्थापित किया गया है। वन विभाग द्वारा परिक्षेत्र देवरी ए0बी0 रोड पर 01 कैमरा स्थापित कर एस.ए.एफ. एवं वन अधिकारियों के द्वारा अवैध रेत परिवहन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

कलेक्टर मुरैना द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में खनिज रेत की मांग को पूरा करने के लिए अबतक 08 रेत खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति जारी की गई है। वर्तमान में मुरैना जिले के रेत भण्डारण अनुज्ञप्तियों पर 4,21,262 घन मीटर रेत उपलब्ध है।

जिले में चल रहे वाहनों पर नम्बर प्लेट, म्यूजिक सिस्टम हटाने तथा गति को नियंत्रण करने के लिये यातायात पुलिस एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा अस्थाई चैकिंग पॉइंट्स लगाकर कार्यवाही की जा रही है। चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी का कार्य प्रारंभ किया जाकर उनके द्वारा प्रतिदिन लॉग बुक संधारित की जा रही है।

जिले में पुलिस, वन, राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत मंडियों को हटाया गया है एवं पुनः संचालन में न आये इसके लिए भी लगातार निगरानी रखी जा रही है।

जिला- भिण्ड

कलेक्टर भिण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि जिला भिण्ड में चम्बल नदी में अवैध रेत उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन संबंधी गतिविधियां वर्तमान में प्रचलित नहीं हैं। किन्तु सिंध नदी से रेत के उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन का इश्यू जरूर है। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जिसमें 01 जुलाई से वर्षाकालीन अवधि के दौरान उत्खनन संबंधी कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिये गये हैं।

रेत के अवैध उत्खनन के दौरान जप्त 02 पोकलेन मशीनों को राजसात कर नीलामी की कार्यवाही की जा रही है।

जिला- श्योपुर

प्रभारी कलेक्टर श्योपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में 06 फरवरी 2023 से वर्तमान अवधि तक 03 जगह सीसीटीव्ही कैमरों एवं 02 ड्रॉन के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। जिला वन मण्डलाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि नदियों में पानी का जलस्तर अधिक होने के कारण वर्तमान में उत्खनन संबंधी कार्य नहीं हो रहे हैं एवं तत्संबंध में स्थिति शांति पूर्ण है।


पुलिस महानिरीक्षक द्वारा बैठक में निम्नानुसार निर्देश दिये गये।

- जिलों में एनजीटी एवं टास्क फोर्स की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में इस तरह से संयुक्त रूप से कार्यवाही की जावे कि सीमावर्ती राज्यों से प्राप्त फीडबैक सकारात्मक हो।
- पुलिस महानिरीक्षक द्वारा बॉन्ड ओवर के प्रकरणों में संबंधित को आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से तामील कराकर प्रावधानुसार समय पर आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- तैनात पुलिस फोर्स को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने हेतु कार्यवाही की जावेगी।

आयुक्त महोदय द्वारा बैठक में निम्नानुसार निर्देश दिये गये।

- वर्षाकाल में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही में खेती एवं फसल उगाकर किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में तत्काल एवं प्रभावी आवश्यक कार्यवाही हो किन्तु कच्चे घर एवं झोंपडी को हटाने की कार्यवाही वर्षाकाल में न करें।
- निर्देशित किया गया कि ओवरलोडिंग के मामले में वैध एवं अवैध खदानों को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यवाही की जाये। साथ ही यह भी ध्यान रखा जावे कि अनावश्यक तौर पर विलम्ब कर परेशान न करें।
- मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग भोपाल से प्राप्त पीपीटी को कलेक्टर जिला मुर्ना एवं श्योपुर की टीम verify कर लें एवं विभाग प्रमुख से समन्वय स्थापित कर सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

तदुपरांत बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



(दीपक सिंह)

आयुक्त

चम्बल संभाग मुर्ना

:: राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25.08.2023 को आयोजित की गई। आयोजित बैठक में परिशिष्ट-अ अनुसार अधिकारी उपस्थित हुए। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा टास्क फोर्स की बैठक हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर तैयार किये गये प्रस्तुतीकरण पर चर्चा की गई।

2. जिला स्तर पर टास्क फोर्स की गठित समिति द्वारा निर्धारित मासिक बैठक का नियमित रूप से आयोजन नहीं किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा निर्देश दिये गये कि, ऐसे जिले जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष के विगत चार माह में केवल एक एवं दो बैठक आयोजित करने वाले जिलों को नियमित बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये। (परिशिष्ट-ब)
3. इसी प्रकार अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण के प्रकरणों में अधिरोपित अर्थदण्ड के विरुद्ध बहुत कम राशि की वसूली होने पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा दण्ड राशि की शीघ्रता से वसूली किये जाने बावत निर्देश संचालनालय स्तर से जारी किये जाने बावत आदेशित किया गया।
4. न्यायालयीन प्रकरण तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जिन मामलों में निर्देश जारी किये गये हैं, उनका शीघ्रता से पालन करते हुए समुचित जबाबदावा समय-सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। गृह विभाग से अनुरोध किया गया, कि अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में ऐसे प्रकरण जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये गये हैं, उन मामलों में अभियोजन की कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जावे। अभियोजन उपरांत न्यायालयीन निर्णयों की जानकारी भी खनिज साधन विभाग/संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। अभियोजन के प्रकरणों में शासकीय अधिवक्ता को प्रकरण की वस्तुस्थिति गंभीरतापूर्वक स्पष्ट की जावे, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।
5. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी. के प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु समस्त विभागों से नोडल अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया, ताकि एन.जी.टी. द्वारा दर्ज किये गये प्रकरणों में समुचित जबाब प्रस्तुत किया जा सके। ऐसे प्रकरणों में प्रकरण प्रभारी की नियुक्ति भी बिना विलंब के की जावे। उन्होंने यह बताया कि, ऐसे प्रकरण जिनमें अंतरिम आदेश हो चुके हैं, उनके कियान्वयन की जानकारी ट्रिब्यूनल के दिशा-निर्देश अनुरूप की जावे। कुछ ऐसे मामले संज्ञान में आये हैं, जिनमें ट्रिब्यूनल द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण तो किया जा चुका है, परंतु ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही नहीं किये जाने पर ट्रिब्यूनल द्वारा पुनः संज्ञान में लिया जाकर, शासन के उच्च पदस्थ अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाती है, ऐसी स्थिति निर्मित न होने पाये, इसका सभी विभाग ध्यान रखें।

निरंतर.....2

पत्र क्रमांक-----दिनांक 19/10/23
शाखा का नाम-----राज्य

प्रस्तुत करें/नस्ती


अधीक्षक

कलेक्टर

(2)

6. संचालक द्वारा अंतर्विभागीय मामलों का शीघ्रता से कियान्वयन करने के निर्देश दिये गये एवं बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त की गई।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन किये जाने हेतु जिलों को निर्देश जारी किये जावें।


संचालक 7/10/23

प्रशासन तथा खनिकर्म
एवं

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति

पृ. क्रमांक - 13556-65 न.क्र. / 2022
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 10/10/23

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
7. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
8. महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर की ओर सूचनार्थ।
9. समस्त कलेक्टर, जिला समस्त, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. खनि अधिकारी, जिला समस्त, म.प्र. की ओर उक्त निर्देशों का जिला स्तर पर पालन किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित।


संचालक 7/10/23

प्रशासन तथा खनिकर्म
एवं

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति

कार्यवाही विवरण

दिनांक 19/03/2023 को जिला श्योपुर, राजस्थान स्थित करोली एवं सवाई माधोपुर जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा NGT के आर्डर तथा 20/03/2023 को होने वाली मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। जिसके मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं -

- बैठक में बोर्डर क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्यवाही करने के सम्बन्ध में सहमती दी गयी।
- रेत उपलब्धता वाले क्षेत्रों में नदी बर्दी तक पहुँच मार्गों को JCB मशीन द्वारा काटने हेतु सहमती दी गयी।
- तीनों जिलों के पुलिस, खनिज एवं राजस्व विभाग द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन के साथ साथ खनिज परिवहन करने वाले बिना न. के वाहनों पर पृथक से कार्यवाही एवं अवैध खनन में संलिप्त चालकों के लाइसेंस निरस्ती के सम्बन्ध में भी चर्चा की गयी।
- अंत में बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तीनों जिले चम्बल नदी से रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर रोकथाम हेतु आपस में समन्वय कर सतत रूप से रेत खनन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जावे।


पुलिस अधीक्षक
श्योपुर (म.प्र.)


कलेक्टर
श्योपुर (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मिण्ड (म0प्र0)

E-Mail- modgmbhi@mp.gov.in

क्रमांक-...1389.../डी0टी0एफ0/खनिज/2023

मिण्ड, दिनांक...10/08/2023

टास्क फोर्स बैठक दिनांक 07.08.2023

// कार्यवाही विवरण //

जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक दिनांक 07.08.2023 को आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक मिण्ड, वनमण्डलाधिकारी मिण्ड, अपर कलेक्टर मिण्ड, क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर, जिला खनिज अधिकारी अधिकारी मिण्ड एव जिला परिवहन अधिकारी मिण्ड उपस्थित हुए। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

1. जिले में रेत उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की शिकायतें प्राप्त हो रही है। शिकायतों पर गम्भीरता से जांच कर कठोर कार्यवाही करें।

(कार्यवाही राजस्व/खनिज विभाग/ पुलिस)

2. जिले में खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु स्थापित खनिज जांच नाकों का सतत भ्रमण कर अवैध/ओवरलोडिंग परिवहन में लिप्त वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएं।

(कार्यवाही राजस्व/खनिज विभाग)

3. जिले ओवरलोड खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही की जावे। जांच के समय यह भी ध्यान रखे कि जिल वाहनों का पंजीयन परिवहन विभाग द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिये किया गया है, वे वाहन की व्यवसायिक कार्य में संलग्न रहे। प्रायः देखा गया है कि खनिज परिवहन किये जा रहे वाहनों पर पंजीयन क्रमांक स्पष्ट नहीं है उन वाहनों पर त्वरित कार्यवाही की जाएं। जिन वाहनों अतिरिक्त पट्टे लगे हो उनको हटवाया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करें।।

(कार्यवाही परिवहन विभाग)

4. चंबल नदी चम्बल अभ्यारण क्षेत्र अन्तर्गत आती है। जिसमें रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन की शिकायतें प्राप्त होने पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने के अधिकार वन विभाग को है। आवश्यकता होने पर पुलिस एवं खनिज विभाग मिण्ड से सम्पर्क कर सेन्चुरी अभ्यारण एवं वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध उत्खनन/परिवहन की जांच सख्ती से करेंगे।


(कार्यवाही वन विभाग विभाग)

5. मानसून सत्र में एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार नदियों से रेत का खनन प्रतिबंधित किया गया है। नदियों से रेत खनन पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही राजस्व/खनिज विभाग/ पुलिस)

6. जिले में जगह-जगह अवैध भण्डारित रेत पर कार्यवाही कर रेत के भण्डारणों को राजसात किया जावे। तथा नियमानुसार निवर्तन की कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही राजस्व/खनिज विभाग/पुलिस)



कलेक्टर

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

भिण्ड, दिनांक 10/08/2023

पृ.क्रमांक-...1390.../ डी0टी0एफ0 /खनिज/2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड की ओर संबंधितों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने बावत् सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी, जिला भिण्ड की ओर संबंधितों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने बावत् सूचनार्थ।
5. जिला परिवहन अधिकारी, जिला भिण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जिला खनि अधिकारी, जिला भिण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।



कलेक्टर

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड (म0प्र0)

E-Mail- modgmbhi@mp.gov.in

टास्क फोर्स बैठक दिनांक 12.07.2023

// कार्यवाही विवरण //

जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक दिनांक 12.07.2023 को कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक भिण्ड, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल भिण्ड,, जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड एव खनि निरीक्षक भिण्ड उपस्थित हुए। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

1. जिले में रेत उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की शिकायतें प्राप्त हो रही है। शिकायतों पर गम्भीरता से जांच कर कठोर कार्यवाही करें।

(कार्यवाही राजस्व/खनिज विभाग/ पुलिस)

2. जिले में खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु स्थापित खनिज जांच नाकों का सतत भ्रमण कर अवैध/ओव्हरलोडिंग परिवहन में लिप्त वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही राजस्व/खनिज विभाग)

3. जिले ओव्हरलोड खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की अनेक शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त हो रही है। ऐसे वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही की जावे। जांच के समय यह भी ध्यान रखे कि जिल वाहनों का पंजीयन परिवहन विभाग द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिये किया गया है, वे वाहन की व्यवसायिक कार्य में संलग्न रहे। प्रायः देखा गया है कि खनिज परिवहन किये जा रहे वाहनों पर पंजीयन क्रमांक स्पष्ट नहीं है उन वाहनों पर त्वरित कार्यवाही की जावे। जिन वाहनों अतिरिक्त पटरे लगे हो उनको हटवाया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करें।।

(कार्यवाही परिवहन विभाग)

4. चंबल नदी चम्बल अभ्यारण क्षेत्र अन्तर्गत आती है। जिसमें रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन की शिकायतें प्राप्त होने पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने के अधिकार वन विभाग को है। आवश्यकता होने पर पुलिस एवं खनिज विभाग भिण्ड से सम्पर्क कर सेन्चुरी अभ्यारण एवं वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध उत्खनन/परिवहन की जांच सख्ती से करेंगे।

(कार्यवाही वन विभाग विभाग)

5. मानसून सत्र में एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार नदियों से रेत का खनन प्रतिबंधित किया गया है। नदियों से रेत खनन पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही राजस्व/खनिज विभाग/ पुलिस)

6. जिले में खनिज रेत के स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र का राजस्व/खनिज का संयुक्त दल बनाकर जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

(कार्यवाही राजस्व/खनिज विभाग)

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)



प्रभारी खनि अधिकारी

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

भिण्ड, दिनांक.....

पृ.क्रमांक-...../ डी0टी0एफ0 /खनिज/2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड की ओर संबंधितों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने बावत् सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी, जिला भिण्ड की ओर संबंधितों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने बावत् सूचनार्थ।
5. परिवहन अधिकारी, जिला भिण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. खनि अधिकारी, जिला भिण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।



प्रभारी खनि अधिकारी

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड (म0प्र0)

Email - modgmbhi@mp.gov.in

कलेक्टर जिला भिण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 18.12.2023 को जिला स्तरीय टास्क फोर्स का आयोजन कलेक्टर सभागार जिला भिण्ड में किया गया। जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. श्री संजीव श्रीवास्तव (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला भिण्ड | - | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. श्री असीत यादव (आई.पी.एस.) पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड | - | सदस्य |
| 3. श्री मोहम्मद माज(आई.एफ.एस.) वनमण्डलाधिकारी जिला भिण्ड | - | सदस्य |
| 4. श्री दिनेश सिंह डुडवे प्रभारी खनि अधिकारी जिला भिण्ड | - | सदस्य सचिव |

उपरोक्त बैठक में समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु समन्वय के साथ कार्य में सहयोग करने पर सहमति दी गई है।

1. चम्बल नदी/वन क्षेत्र में रेत अवैध परिवहन, उत्खनन एवं भण्डारण बावत्।
जिले के वन क्षेत्र एवं चम्बल अभ्यारण्य में अवैध परिवहन, उत्खनन एवं भण्डारण की घटनाओं की सूचना प्राप्त होने पर जिला प्रशासन खनिज, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अवैध परिवहन, उत्खनन एवं भण्डारण में लिफ्ट, वाहनों एवं सामग्रियों को जप्तकर कड़ी कार्यवाही करने पर समिति सदस्यों द्वारा परस्पर सहयोग से कार्य करने का निर्णय लिया गया।
2. अवैध परिवहन/उत्खनन पर प्रभावी कार्यवाही बावत्।
जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन करने वाले वाहनों की जांच हेतु सघन अभियान चलाये जाने हेतु जिला प्रशासन खनिज, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग द्वारा परस्पर सहयोग से कार्य करने का निर्णय लिया गया।
3. बिना रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित खनिज का परिवहन करने वाले वाहनो पर कार्यवाही बावत्।
जिले में ओवरलोड खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही की जावे। जांच के समय यह भी ध्यान रखे कि जिले वाहनों का पंजीयन परिवहन विभाग द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिये किया गया है, वे वाहन की व्यवसायिक कार्य में संलग्न रहें। जिन वाहनों अतिरिक्त पटरे लगे हो उनको हटवाया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करने पर समिति सदस्यों द्वारा परस्पर सहयोग से कार्य करने का निर्णय लिया गया।
4. जिला स्तर पर खनिज स्टॉकयार्ड का निर्माण।
लावारिश जप्तशुदा खनिजों के भण्डारण एवं जप्तशुदा वाहनों के रखे जाने हेतु जिला स्तर स्टॉकयार्ड के निर्माण हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया।



सदस्य सचिव
जिला स्तरीय टास्क फोर्स
प्रभारी खनि अधिकारी
जिला भिण्ड

रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन व ओव्हर लोडिंग की रोकथाम हेतु

अंतर्राज्यीय बैठक दिनांक 31.03.2023

// कार्यवाही विवरण //

रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन व ओव्हर लोडिंग की रोकथाम के संबंध में दिनांक 31.03.2023 को ऑनलाईन वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से अंतर्राज्यीय बैठक का आयोजन किया। जिसमें :-

1. कलेक्टर भिण्ड/इटावा,
2. पुलिस अधीक्षक भिण्ड/इटावा,
3. वनमण्डलाधिकारी भिण्ड/इटावा,
4. अपर कलेक्टर भिण्ड/इटावा,
5. खनि अधिकारी भिण्ड/इटावा एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

1- मोटरयान एवं ड्रोन से निगरानी:-

चंबल नदी में अपने अपने क्षेत्रों में मोटरयान एवं ड्रोन से निगरानी की जावेगी, इसके लिये दोनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी नोडल अधिकारी रहेगे। चंबल नदी की कार्यवाही में दोनों जिलों के वनमण्डलाधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाते है। एन0जी0टी0 प्रकरण में जानकारी तैयार कर जबाव प्रस्तुत करेगें।

2- खनिज जांच नाको में समन्वय :-

खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम तथा निगरानी हेतु अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थापित खनिज जांच नाकों में समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।

3- कैमरे से निगरानी:-

खनिज जांच नाकों पर कैमरों से निगरानी की जावेगी। आवश्यकता होने पर दोनों जिले वीडियो, फोटो शेयर कर कार्यवाही में मदद करेगें।

क्रमशः.....2

4- आर0टी0ओ0 नंबर:-

खनिजों का परिवहन किये जाने वाले सभी वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित होना अनिवार्य होगा। जिन वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं है, उन पर दोनों जिले में विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जावे। ओव्हरलोड वाहनों पर कार्यवाही दोनों जिले के परिवहन अधिकारी टीम बनाकर करेंगे।

5- संयुक्त दल का गठन:-

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य अंतर्गत चंबल नदी क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की वस्तुस्थिति के संबंध में खनिज/राजस्व/वन विभाग द्वारा संयुक्त दल का गठन किया जाकर ड्रोन सर्वे कराकर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

6- वाट्सअप ग्रुप :-

जानकारी साझा किये जाने हेतु एक वाट्सअप ग्रुप बनाया जावेगा जिसमें दोनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, खनि अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी जानकारी, डाटा शेयर कर सकेंगे।

7- प्रतिमाह बैठक:-

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि, यह अंतर्राज्यीय टास्कफोर्स समिति की बैठक जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, खनि अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी होंगे, बैठक का आयोजन प्रतिमाह वर्चुअली किया जावेगा।

अंत में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की गई कि आने वाले समय में जिले में अच्छी कार्यवाही करेंगे।


पुलिस अधीक्षक
जिला भिण्ड (म0प्र0)


कलेक्टर
जिला भिण्ड (म0प्र0)